सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन 2022-23

DoIT

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2022-23

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	**परिचय**	**06**
2	**राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड**	**09**
3	**राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड**	**09**
4	**प्रशासनिक तंत्र**	**09**
5	**विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग**	
	5.1 जन सूचना पोर्टल	15
	5.2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE)	16
	5.3 राज उद्योग–मित्र पोर्टल (Raj Udyog Mitra Portal)	16
	5.4 राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)	17
	5.5 न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (News Media Management System)	20
	5.6 बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)	20
	5.7 भू–रूपांतरण प्रणाली (90A)	20
	5.8 विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए Startup को बढ़ावा देना	21
	5.9 Door Step Home डिलीवरी सेवाएं	21
6	**नीतिगत पहल**	
	6.1 आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम	22
	6.2 आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति	22
	6.3 राजस्थान स्टार्टअप	22
7	**सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाएं**	
	7.1 राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC)	32
	7.2 राजस्थान सम्पर्क	33
	7.3 नागरिक सम्पर्क केन्द्र	35
	7.4 वीडियो–वाल	35

	7.5 राजवीसी	37
	7.6 राजनेट	38
	7.7 राज वाई–फाई	41
	7.8 राजस्वान	43
	7.9 ई–मित्र	45
	7.10 ई–मित्र प्लस	46
	7.11 राज पेमेंट प्लेटफॉर्म	46
	7.12 राज ई–साईन	47
	7.13 स्टेट–पोर्टल	48
	7.14 एकीकृत राजकीय वेबसाईट / पोर्टल्स	48
	7.15 ई–संचार 2.0	49
	7.16 राज–मास्टर (स्टेट मास्टर डाटा हब)	50
	7.17 राज–काज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस)	50
	7.18 ई–वॉल्ट	53
	7.19 सिंगल साईन ऑन (राज एस.एस.ओ.)	55
	7.20 राजबोट	55
	7.21 रोबोटिक्स	56
	7.22 आधार डेटा वॉल्ट	56
	7.23 राज–सेवा द्वार	56
	7.24 डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर	59
	7.25 ई–बाजार	61
	7.26 एसआईएमएस पोर्टल (SIMS: Sales & Inventory Management System)	63
	7.27 रास (RAAS–Rajasthan Accountability & Assurance System)	64
	7.28 राजधारा–एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)	64
	7.29 राज ई. आर. पी.	66
	7.30 लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (RAJ-LMS)	67
	7.31 जयपुर 3D सिटी परियोजना	67
	7.32 चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)	70
8	**मानव संसाधन विकास**	
	8.1 सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण	71
	8.2 इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	71

	8.3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन	71
	8.4 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL), जयपुर	71
	8.5 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RGFDI), जोधपुर	74
	8.6 राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT), जयपुर	77
9	**अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं**	
	9.1 वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)	78
	9.2 आई.टी. इनेबलमेन्ट ऑफ सिलिकोसिस पेशेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड डिसबर्समेन्ट सिस्टम	81
	9.3 वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)	81
	9.4 आरटीआई पोर्टल	82
	9.5 अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर	84
	9.6 राज्य भर्ती पोर्टल (State Recruitment Portal)	86
	9.7 ई–टेन्डर (e-Procurement)	88
	9.8 एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)	88
	9.9 एकीकृत ई–पंचायत सॉटवेयर	91
	9.10 लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (LDMS)	92
	9.11 राजफेब (RajFab)	93
	9.12 स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)	94
	9.13 लाईट्स–न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)	95
	9.14 राज ई–ज्ञान Raj e-Gyan	95
	9.15 एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल	96
	9.16 राजस्थान जन–आधार योजना	97
	9.17 राजस्थान ई–आर्काईवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)	98
	9.18 आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)	100
	9.19 राजकिसान साथी	100
	9.20 सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)	103
	9.21 सोशल मीडिया नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्लेटफार्म	103
	9.22 जनकल्याण पोर्टल	106
	9.23 ई–लाइब्रेरी	107
	9.24 जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)	108
	9.25 राजकौशल	110
	9.26 ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)	111

	9.27 वन अधिकार अधिनियम के लिये पोर्टल (Portal for Forest Rights Act-FRA)	111
	9.28 यू.आई.डी (आधार)	113
	9.29 राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम	114
	9.30 राजनिवेश	114
	9.31 ई–बिजनेस पोर्टल	114
	9.32 ऋण माफी आवेदन पोर्टल (Loan Waiver Portal)	114
	9.33 ऐतिहासिक भवनों की 3D स्कैनिंग एवं मॉडलिंग	115
	9.34 यूडीएच में आईटी का योगदान (Contribution of IT in UDH)	115
	9.35 एलएसजी में आईटी का योगदान (Contribution of IT in LSG)	116
	9.36 रेरा में आईटी का योगदान (Contribution of IT in RERA)	117
	9.37 इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना	118
	9.38 स्टेट ऑर्गन टिश्यु ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (SOTTO)	118
	9.39 डीएलसी जीईओ टैगिंग (DLC Geo Tagging)	119
10	**COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम**	123
11	**वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय**	124
12	**पुरस्कार एवं प्रशंसा**	125

1 परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प.27(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1) मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया ।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प.27(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना, सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करनाः

(क) समग्र निर्देश और मार्गदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना।

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं के वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई—गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई—गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई—कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) व्यवहार्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य सॉफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ऑटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन।

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना –

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र में विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए योजना तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना–

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्राम–स्तर तक ब्रॉडबैण्ड डिजिटल संबन्धता की स्थापन को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. और अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की ऐजेन्सियों के साथ समन्वय करना।

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और उन्हें सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रयोजन कौंसिल, नास्कॉम आदि का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार कर्मियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित संस्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

2 राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL)स्थापित की गई।

3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना की गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये हैं।

4 प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात् राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

(Overall Cadre Strength)

02 जनवरी, 2023

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक	14	14	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	30	20	10
4.	वित्तीय सलाहकार	1	1[©]	0
5.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	82	76[β]	6
6.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	197	179[*]	18
7.	संस्थापन अधिकारी	1	0	1
8.	सहायक निदेशक	1	1	0
9.	लेखाधिकारी	1	1	0
10.	प्रोग्रामर	759	482[$]	277
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	3	3	0
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	35	21[**]	14
13.	प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	5	4	1
15.	कनिष्ठ लेखाकार	4	0	4
16.	निजी सचिव	1	1	0
17.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
18.	निजी सहायक	1	0	1
19.	सहायक प्रोग्रामर	2156	1831[¥]	325
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12	6	6
21.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
22.	वरिष्ठ सहायक	17	4	13
23.	सूचना सहायक	6497	3721[***]	2776
24.	कनिष्ठ सहायक	32	35[£]	0
25.	वाहन चालक	2	0	2
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	11	3
	कुल	**9870**	**6415**	**3458**

©श्रीमती पूनम चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

β सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के स्वीकृत पदों में 3 पद प्रतिनियुक्ति के सम्मिलित किये गये है।

*विभाग के आदेश क्रमांक 03554 दिनांक 27.06.2022 के द्वारा कुल 23 प्रोग्रामर एवं आदेश क्रमांक 05625 दिनांक 04.09.2022 के द्वारा कुल 75 प्रोग्रामर को एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। रिक्त पदों की गणना सभी को कार्यरत मानते हुए की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) सीधी भर्ती परीक्षा, 2014 के 29 पदों के विरूद्व विभाग को 28 नाम अभिस्तावित किये गये तथा एक पद, याचिका संख्या 5403/2017 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में सामान्य महिला का एक पद रिर्जव रखा गया। उक्त याचिका में विभाग पक्षकार नहीं हैं। विभाग द्वारा 28 पदों में से 25 अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किए जा चुके है। शेष रहे 03 अभ्यर्थियों के नाम विभिन्न याचिकाओं के आदेशों से रिक्त रखे गये है। रिक्त पदों की गणना 29 (कुल विज्ञप्ति पद) अभ्यर्थियों को कार्यरत मानते हुए की गई है। विभाग द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के भर्ती हेतु रिक्त 18 पदों में से 02 पद पदोन्नति हेतु 04 पद पिछली भर्ती में विभिन्न याचिकाओं के आदेशों से रिक्त रखे गये हैं। शेष 12 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, को अर्थना प्रेषित किए जाना प्रक्रियाधीन है।

$ विभाग के आदेश क्रमांक 05826 एवं 05828 दिनांक 04.09.2022 के द्वारा कुल 206 सहायक प्रोग्रामर को प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। रिक्त पदों की गणना सभी को कार्यरत मानते हुए की गई है। श्री विवेक यादव, प्रोग्रामर का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में समपद (लियन) होने के कारण प्रोग्रामर के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा प्रोग्रामर के 277 रिक्त पदों में से सीधी भर्ती हेतु रिक्त 199 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित किए जाना प्रक्रियाधीन है।

**सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– ।।के पद के विरूद्ध 2 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– । कार्यरत है।

¥विभाग के आदेश क्रमांक 05367 एवं 05368 दिनांक 23.12.2021 तथा 01351 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा कुल 23 सूचना सहायकों को सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। रिक्त पदों की गणना सभी को कार्यरत मानते हुए की गई है।

***राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के 1343 (1302+41 MBC) पदों पर आयोजित सीधी भर्ती में विभाग द्वारा कुल 1333 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके है। शेष रहे 10 पदों में से सहरिया जनजाति हेतु आरक्षित 05 पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिले, 03 पद माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों से रिक्त रखे गए है। 02 अभ्यर्थियों के पुलिस चरित्र सत्यापन सही नहीं पाए जाने के कारण उनके नाम अग्रिम कार्यवाही हेतु भर्ती बोर्ड को प्रेषित किए गए है। 39 सूचना सहायकों के अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में समपद (लियन) होने के कारण सूचना सहायक के कार्यरत पदों में इनके पदों को सम्मिलित किया गया है। सूचना सहायक के सीधी भर्ती हेतु रिक्त 2730 पदों हेतु अर्थना दिनांक 28.09.2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है।

£ विभागीय आदेश क्रमांक 03923 दिनांक 15.06.2022 के द्वारा राजस्थान मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का पुनर्गठन किया गया जिसमें कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत 53 पदो को कम कर 32 किया गया है। पुनर्गठन उपरान्त कनिष्ठ सहायक के पद पर स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर कार्मिक कार्यरत रहेंगे। इन पदो को अस्थाई रूप से सृजित माना जायेगा तथा जैसे–जैसे पदोन्नति/सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होगें, अस्थाई रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जायेगें।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)
स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

02 जनवरी, 2023

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	1	0
3.	तकनीकी निदेशक	9	7	2
4.	अतिरिक्त निदेशक	17	10[&]	7
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1[©]	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	11	18[€]	-7
7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	64	46[*]	18
8.	संस्थापन अधिकारी	1	0	1
9.	सहायक निदेशक	1	1	0
10.	लेखाधिकारी	1	1	0
11.	प्रोग्रामर	53	38[**]	15
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2	1	1
13.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2	2[α]	0
14.	प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0
15.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	5	4	1
16.	कनिष्ठ लेखाकार	4	4[μ]	0
17.	निजी सचिव	1	1	0
18.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	0	1
19.	निजी सहायक	1	0	1
20.	सहायक प्रोग्रामर	199	160[***]	39
21.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	12	6	6
22.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
23.	वरिष्ठ सहायक	10	3[¥]	7
24.	सूचना सहायक	312	280	32
25.	कनिष्ठ सहायक	16	16	0
26.	वाहन चालक	2	0	2
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	11	2
	कुल	**743**	**615**	**128**

नोटः–

&अतिरिक्त निदेशक के 2 पदों के विरूद्ध तकनीकी निदेशक एवं 4 पदों के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यरत है।

©श्रीमती पूनम चौधरी, मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

€सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के 8 पदों के विरूद्ध अतिरिक्त निदेशक कार्यरत है।

*एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 4 पदों के विरूद्ध सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) एवं 9 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर कार्यरत है।

**विभाग के आदेश क्रमांक 03109/2018 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा श्री सौरभ शर्मा, प्रोग्रामर वर्तमान पदस्थापन भामाशाह प्राधिकरण, आयोजना विभाग, जयपुर का वेतन सू.प्रौ.और संचार विभाग में रिक्त प्रोग्रामर पद के विरूद्ध आहरित किया जा रहा है। प्रोग्रामर के 10 पदों के विरूद्ध एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) कार्यरत है।

α सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के 1 पद के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यरत है।

µकनिष्ठ लेखाकार के 4 पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। कार्यरत है।

*** सहायक प्रोग्रामर के 16 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर एवं 23 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक कार्यरत है।

¥वरिष्ठ सहायक के 1 पद के विरूद्ध कनिष्ठ सहायक कार्यरत है।

- श्री सतीश कुमार जंगम, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) दिनांक 11.12.2019 से; श्री ओम प्रकाश, रविन्द्र कुमार गोठवाल एवं अब्दुल खलील कुरैशी, सहायक प्रोग्रामर दिनांक 24.12.2021, 15.03.2022 एवं 12.10.2022 से; श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री रविन्द्र बैरवा, श्री एकांत, श्री रविन्द्र कुमार, श्री दीपक रघुवंशी, श्री तरूनेश कुमार, श्री मोहित मलिक, सुश्री/श्रीमती प्रतिभा कमल, श्री नितेश कुमार मीना, सुश्री/श्रीमती श्वेता अग्रवाल, सुश्री/श्रीमती भागमती, श्री इरफान भाटी एवं श्री देवेन्द्र सिंह निर्वाण सूचना सहायक क्रमशः दिनांक 14.02.2019, 13.03.2020, 16.02.2021, 19.01.2021, 26.04.2021, 27.09.2021, 22.12.2021, 10.02.2022, 15.03.2022, 15.03.2022, 26.05.2022 एवं 30.08.2022 से निलम्बित चल रहे है।
- श्री जोगिन्दर सिंह, प्रोग्रामर दिनांक 01.12.2022 से आदेशों की प्रतीक्षा में है।

यू.आई.डी. प्रोजेक्ट

02 जनवरी, 2023

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	ओ.एस.डी.	1	1	–	
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	–	
3.	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी	2	–	2	
4.	परियोजना अधिकारी	2	–	2	
5.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	–	1	
6.	प्रोग्रामर	1	–	1	
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	1	–	1	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3*	–	3	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)
	कुल	**12**	**2**	**10**	

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)

एक्स-कैडर-अभियंता पद

02 जनवरी, 2023

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	मुख्य अभियंता	1	–	1	उक्त पद के विरूद्ध पूर्व में पदस्थापित श्री अमित कक्कड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता का वेतन आहरित किया जा रहा है।
2.	अधिशाषी अभियंता	2	–	2	
3.	सहायक अभियंता	2	–	2	
	कुल	5	0	5	

जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग

02 जनवरी, 2023

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	अतिरिक्त निदेशक	7	1
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	33	24*
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	22**
4.	प्रोग्रामर	33	28***
5.	सहायक प्रोग्रामर	198	136****
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	33	17©
7.	वरिष्ठ सहायक	7	4£
8.	सूचना सहायक	132	132
9.	कनिष्ठ सहायक	16	16

*सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद के विरूद्ध 2 अतिरिक्त निदेशक एवं 4 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) पदस्थापित है।

**एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद के विरूद्ध 4 सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) एवं 2 प्रोग्रामर पदस्थापित है।

***प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 6 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) एवं 3 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

****सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 8 प्रोग्रामर एवं 16 सूचना सहायक पदस्थापित है।

©सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। के पद के विरूद्ध 3 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। कार्यरत है।

£वरिष्ठ सहायक के पद के विरूद्ध 2 कनिष्ठ सहायक पदस्थापित है।

जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग, पंचायत समिति /नगरपालिका कस्बे

02 जनवरी, 2023

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	प्रोग्रामर	402	207*
2.	सहायक प्रोग्रामर	653	565**
3.	सूचना सहायक	1143	560

*प्रोग्रामर के 402 पदों के विरूद्ध 20 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), 92 प्रोग्रामर, 82 सहायक प्रोग्रामर तथा 13 सूचना सहायक पदस्थापित है।

**सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 73 प्रोग्रामर एवं 3 सूचना सहायक पदस्थापित है।

5. विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

5.1 जन सूचना पोर्टल

जनसूचना पोर्टल का लोकार्पण दिनांक 13.09.2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। जनसूचना पोर्टल 13 विभागों की 23 योजनाओं से संबंधित 44 सूचनाओं के साथ आरम्भ किया गया। जन – सूचना पोर्टल https://jansoochna.rajasthan.gov.in के माध्यम से आम–जन को कम से कम विकल्पों का चयन करने पर ही सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

परियोजना का उद्देश्य :- जनसूचना पोर्टल–2019 का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ–साथ आम–जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में संधारित सूचनाएं क्षेत्रवार व निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा व आसान तरीके से उपलब्ध करवाया जाना है।

परियोजना का लाभ :- यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है: "प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे, जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े"।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :-जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं की प्रगति तालिका दिनांक 21दिसम्बर 2022 तक निम्नानुसार है।

क्र. सं.	प्रगति विवरण	संख्यात्मक प्रगति
1	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध कुल विभागों की संख्या	115
2	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध विभागों की योजनाओं की संख्या	331
3	जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की दी जाने वाली प्रदत्त जानकारी की संख्या	690

4	जनसूचना वेब पोर्टल के विजिटर संख्या	12.14+ Cr.
5	जनसूचना वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त किए जाने की संख्या	17.73+ Cr.
6	ईमित्र प्लस मशीन के द्वारा जनसूचना पोर्टल की जानकारी प्राप्त किए जाने की संख्या	14.65+ Lacs
7	जनसूचना मोबाईल एप के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त किए जाने की संख्या	47.14+Lacs
8	मोबाईल एप डाउनलोड किए जाने की संख्या	2.83+ Lacs

5.2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE)

सरकार में दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करने की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं सत्यापन के लिए डॉक्यूमेन्ट वैरिफिकेशन एवं ऑथेन्टिकेशन इंजन (DVAE) नामक एप्लिकेशन का निर्माण किया गया है। यह प्रणाली (System) विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण में पारदर्शिता (Transparency) लाता है एवं दक्षता (efficiency) को बढ़ाता है। वर्तमान में इस इंजन के माध्यम से 20 प्रकार के दस्तावेज सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध है। इस इजन को चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रमुख विभागो मे लागू किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष मे इस सिस्टम पर 34 लाख ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये है।

5.3 राज उद्योग-मित्र

यदि कोई उद्यमी नये सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (MSME) को शुरू करना या उसे संचालित करना चाहता है, तो उसे एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत राज्य में 3 साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी राज उद्योग–मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर कर 3 साल तक की अवधि के स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकता है। 3 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत उसके उद्यम का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। इस योजना में मुख्य रूप से उन व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन करने का लाभ प्राप्त होगा, जो नये व्यवसाय या स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में आजीविका,

समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल की अधिकारिक लिंक निम्नानुसार है, जिसे SSO portal के माध्यम से उपयोग में लिया जा सकता हैं।

https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/

Total applications Received : 15,832

5.4 राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आंतरिक मानव संसाधनों के तकनीकी कौशल का उपयोग और संवर्धन करते हुए उपयुक्त लागत में, विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार की आईटी परियोजनाओं को विस्तारित करने के मिशन को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) की स्थापना की गई हैं। वर्तमान में 58 सूचना सहायक / सहायक प्रोग्रामर की संख्या के साथ संचालित हैं।

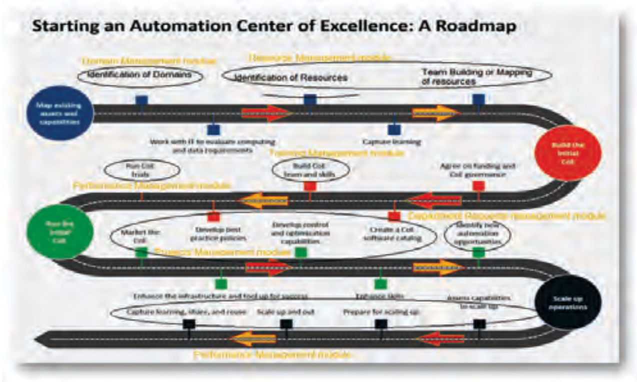

परियोजना की वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रगति :

RajCAD में Phase-1 के अन्तर्गत बिजनेस एनालिसिस, PHP, JAVA, मोबाईल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, UI/UX Design/SAS/Power BI/Tableau, Agile Axpert, सिक्योरिटी ऑडिट व लोड टेस्टिंग कार्य क्षेत्र संचालित हैं, और Phase 2 के अन्तर्गत Python, ArcGIS तथा Agile Axpert तकनीक को भी लागू किया जा चुका है।

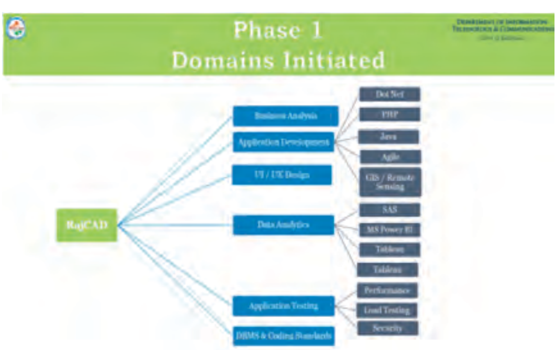

RajCAD द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में, अभी तक विभिन्न विभागों के डिजिटलाइजेशन के तहत 7 वेब पोर्टल के प्रोजेक्ट्स तथा डाटा एनालिटिक्स के अन्तर्गत कुल 19 प्रोजेक्ट के 52 मोड्युल के डेशबोर्ड पूर्ण करके लाईव किये जा चुके है व 3 मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा चुके है। वेब पोर्टल के 6 प्रोजेक्ट्स अंडर डवलपमेंट व 7 प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा, विगत वित्तीय वर्ष तक लाइव किये जा चुके प्रोजेक्ट्स के Maintenance का कार्य भी जारी है।

परियोजना का उद्देश्य एवं लाभ : फरवरी 2020 में राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर (RajCAD) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है –

- विभाग के आंतरिक मानव संसाधन, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की विभिन्न तकनीकों पर कुशल और प्रशिक्षित हैं, की पहचान करके व उनको ट्रेनिंग देकर RajCAD में डवलपमेंट का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य में डिजिटलाइजेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन–हाउस आईटी नेतृत्व प्रदान करना और आईटी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में नवीनतम एप्लीकेशन और डोमेन क्षमता को विकसित करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना।
- RajCAD ने अपने आंतरिक मानव संसाधनों द्वारा अब तक राजस्थान के विभिन्न विभागों के लिए वेब पोर्टल, डैशबोर्ड एवं मोबाइल ऐप इत्यादि विकसित कर अनुमानित 8.08 करोड़ रूपये की कुल बचत की हैं।

  RajCAD द्वारा विकसित किये गये विभिन्न वेब पोर्टल/एप्लीकेशन्स के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैः–

- **Mukhyamantri Work From Home Job Work Yojana (https://mahilawfh. rajasthan. gov.in/) – [G2C] –** राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए Work From Home Job Work योजना की घोषणा की थी। इस योजना में आवेदन हेतु उक्त पोर्टल विकसित किया गया है।

- **Sathin [G2C] –** महिला एवं बाल विकास विभाग के साथिन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन हेतु उक्त ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है।

- **Anukampa [G2G] –** राजस्थान के सरकारी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उक्त पोर्टल विकसित किया गया है।

- **Project Monitoring System [G2G] –** विभाग के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल एवं मोबाइल ऐप बनाये गये हैं।

- **Block Monitoring System [G2G] –** ब्लॉक लेवल पर विभिन्न मानकों के अनुरूप मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है।

- **ACB-17A Management System [G2G] –** भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है।

- **CM Service Delivery Cell –** CMService Delivery Cell के लिए राजकैड टीम द्वारा उक्त Works Monitoring System(CMWMS) प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड तैयार किये गये हैं।

Ranking - विभागों एवं जिलों की रैंकिंग के लिए राजकैड द्वारा डैशबोर्ड तैयार किये गये हैं।

5.5 न्यूज मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (News Media Management System)

बायोस्कोप पोर्टल पर ही मीडिया प्रबंधन प्रणाली भी विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर राज्य भर के जनसंपर्क अधिकारी समस्त समाचार पत्रों की कटिंग मय विवरण अपलोड कर सकते हैं। न्यूज की गुणवत्ता के आधार पर जनसंपर्क अधिकारी अपनी रेटिंग भी प्रदान कर सकते हैं। यह पोर्टल राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों की न्यूज को एकत्रित करने में सक्षम हैं, तथा प्राप्त रेटिंग के आधार पर जिला एवं विभागों के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है तथा गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। किसी विशेष समाचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित जिला कलेक्टर अथवा विभागाध्यक्ष से वास्तविक वस्तु स्थिति प्राप्त कर समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल मीडिया, प्रशासन एवं सरकार के मध्य जनता की समस्याओं को आगे लाने का एक सशक्त माध्यम हैं।

कुल समाचार अद्यतन किये गये: 79,478

5.6 बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS) विकसित किया गया है। BPAS एक IT आधारित वर्कफ्लो सिस्टम है, जो कि आवेदन जमा करने से लेकर, अनुमति पत्र प्रदान करने तक का संपूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। सिस्टम में बिल्डिंग प्लान स्क्रूट्नी इंजिन शामिल हैं जो पूर्ण स्वचालित तरीके से प्रस्तुत किए गए 2D ड्रॉइंग/3D मॉडल की, भवन निर्माण नियमों के आधार पर जाँच रिपोर्ट जारी करता है। एप्लीकेशन को एस.एस.ओ. एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं। उक्त सिस्टम को राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों, एवं UITs और ULBs में लागू किया गया है।

5.7 भू-रूपांतरण प्रणाली (90A)

ऑनलाइन भूमि रूपांतरण प्रणाली (90A) एक IT आधारित वर्कफ्लो प्रणाली है जो 90A के लिए आवेदन जमा करने से लेकर आदेश जारी करने तक की प्रक्रिया का पूर्ण ऑनलाइन समाधान

प्रदान करती है। इस एप्लीकेशन को एसएसओ एवं सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में IT के प्रभावी उपयोग द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने तथा नगर विकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं।

वर्तमान विकास स्थिति

Sr. No	Department	Applicaation Received	Application Approved	Pending at Applicant	Pending at Department
1	UDH	5873	4886	736	524
2	LSG	514	0	3	472

5.8 विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए Startup को बढ़ावा देना

प्रदेश के विकास में युवाओं को आगे लाने व उनकी उद्यमिता का विकास करने की दृष्टि से प्रदेश में startup को विभिन्न सुविधायें देने में iStart परियोजनो ने अग्रणीय भूमिका निभाई हैं। राज्य का ग्रामीण युवा, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ–साथ Innovation करने की क्षमता को भी समय–समय पर प्रदर्शित कर चुका है। छात्रों में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में 9 शैक्षिक संभाग स्तर–भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, पाली एव जोधपुर में iStart इंक्यूबेशन संेटर क्रियाशील है। इस प्रकार इन स्कूल स्टार्टअप को हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से टेक्नो हब से जोड़ा जाएगा। स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम में अब तक कुल 30307 विद्यार्थियों का पंजीकरण किया गया है। राज्य स्तर से 3 चयनित विजेताओं को, संभाग स्तर से 21 और जिला स्तर से 27 चयनित विजेताओं को कुल 20 लाख से अधिक रुपये का वितरण किया गया हैं।

5.9 Door Step Home डिलीवरी सेवाएं

राज्य में सरकारी सेवाओं के रूप में नागरिकों को घर पर ही जन्म, जाति, मूल–निवास, आय, विवाह आदि प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस– रिन्यूवल, पेयजल कनेक्शन, पेंशन पीपीओ आदि हेतु नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराने पर, उपरोक्त सेवाओं के लिए जयपुर एवं जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में Door Step Home Delivery System को शुरु कर दिया गया हैं ।

6 नीतिगत पहल

6.1 आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम

आधार प्रकोष्ठ द्वारा, राज्य के विभिन्न विभागों में संचालित की जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों तथा अन्य निवासियों के आधार अधिप्रमाणन हेतु आधार अधिप्रमाणन तंत्र की स्थापना की गई है। आधार अधिप्रमाणन तंत्र परियोजना में, विभाग द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से अधिकृत ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी (AUA) एवं ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी (ASA) एप्लीकेशन को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों को आधार आधारित अधिप्रमाणन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सिस्टम के प्रमुख उपयोगकर्ताओ में ई–पी.डी.एस. परियोजना, जन–आधार परियोजना, चिरंजीवी योजना, ईमित्र परियोजना, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सांख्यिकी विभाग एवं राज्य क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आदि कई महत्वपूर्ण विभाग एवं परियोजनाएं शामिल है। इस तन्त्र द्वारा प्रतिदिन औसतन 17 लाख से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये जा रहे है। वर्ष 2022 में अक्टूबर माह तक, सम्पूर्ण राज्य में इस तंत्र के माध्यम से 50 करोड से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये जा चुके हैं।

6.2 आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति

राज्य मे कर्मचारियो की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु आधार प्रकोष्ठ द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम विकसित किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बायोमैट्रिक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के डेटाबेस से मिलान कर उपस्थिति दर्ज की जाती है। वर्तमान मे राज्य के विभिन्न विभागो द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम के माध्यम से अपने कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस सिस्टम पर विभिन्न विभागो के 66 हजार से अधिक कर्मचारी पंजीकृत है एवं प्रतिदिन औसतन 3 हजार से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज किये जा रहे है। वर्ष 2022 मे अक्टूबर माह तक इस सिस्टम पर 9 लाख ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये हैं।

6.3 राजस्थान स्टार्टअप

राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप्स की गुणवता को बढानें तथा स्टार्टअप्स को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं हेतु iStart नामक एकीकृत स्टार्टअप प्लेटफार्म तैयार किया गया है। iStart प्लेटफॉर्म 100 प्रतिशत ऑनलाईन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप मान्यता, स्टार्टअप अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिग और स्टार्टअप एक्सेलेरेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आज देश में सबसे बड़े राज्य द्वारा संचालित एवं प्रबंधित स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है, जिसके साथ 2000 से अधिक स्टार्टअप जुड़े हुए है। iStart राजस्थान

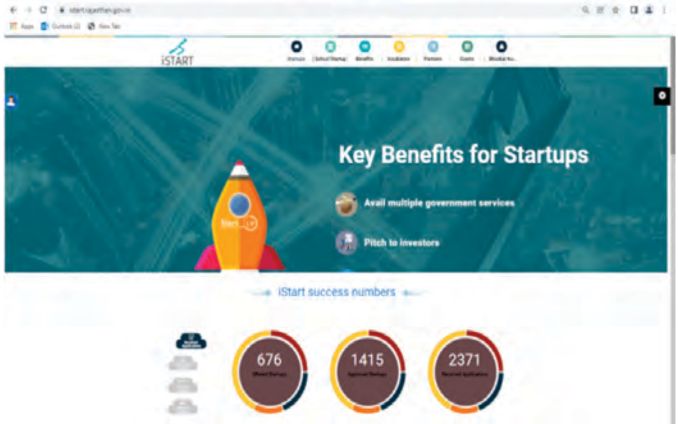

में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और राज्य में निवेश की सुविधा के लिए प्रमुख कार्यक्रम है।

राज्य सरकार ने स्टार्ट–अप से जुड़ी समस्त सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्रदान करने हेतु एक वेब पोर्टल www.istart.rajasthan.gov.in स्थापित किया है। यह पोर्टल नीति के तहत निर्धारित सभी प्रोत्साहनों के लिए एकल–स्टॉप गेटवे है। www.istart.rajasthan.gov.in स्टार्टअप नीति के सम्पूर्ण कार्यान्वयन का प्लेटफॉर्म है। यह सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, मेंटर्स, विद्यार्थी, अध्यापक/व्याख्यता मेंटर्स, विद्यालय, एडमिनिस्ट्रेटर आदि को iStart प्रोग्राम की निगरानी और एक्सेस के लिए डैशबोर्ड प्रदान करता है। iStart Portal के माध्यम से वर्ष 2022–23 में 507 नये स्टार्टअप पंजीकृत हुए, इनमें से 487 स्टार्टअप्स को स्वीकृत किया गया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यय से स्टार्टअप्स को दी जाने वाली सुविधाऐं निम्नानुसार है :–

1. Qrate

क्यूरेट, देश का एकमात्र स्टार्टअप रेटिंग तंत्र है। यह एक मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसके तहत स्टार्टअप्स का नियमित अन्तराल में परीक्षण किया जाता है, जिसके अनुसार सभी स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता तथा उनको इनक्यूबेशन की सुविधा दी जाती है एवं स्टार्टअप की क्षमता और निवेश योग्यता पर एक विस्तृत रिर्पोट भी प्रदान करता है। यह मूल्याकंन रिर्पोट स्टार्टअप, संस्थापकों को उनकी व्यावसायिक योजना को मजबूत करने में मदद प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के तहत उनके उत्पाद, रणनीति, व्यापार योजनाओं, बाजार की स्थिति को परिष्कृत करने और उनकी कमियों

और सीमाओं पर काम करने के लिए बूट–कैंप आयोजित किए जाते है। इस वर्ष कुल 40 स्टार्टअप आवेदनों को क्यूरेट किया गया है।

2. Startup Incubation

इनक्यूबेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत निःशुल्क स्पेस, कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, वीसी और इन्वेस्टर कनेक्ट, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों/विशेषज्ञों के लिए एक्सपोजर आदि सुविधाऐं प्रदान की जाती है। इस इनक्यूबेशन प्रोग्राम को स्टार्टअप्स हेतु मेंटर एंगेजमेंट, रैपिड इटरेशन साइकल और फंडरेजिंग तैयारी के जरिए संघर्षण (traction) हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आईस्टार्ट नेस्ट नवीन कंपनियों को लॉन्च करने और विकसित करने में स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए निवेशकों तथा सलाहकारों के व्यापक नेटवर्क के साथ काम करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर में इन्क्यूबेशन सेंटर, टेक्नोहब एवं आईस्टार्ट नेस्ट इन्क्यूबेटर भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर बीकानेर, पाली और चूरू में क्रियाशील है।

3. Techno Hub

टेक्नो हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जो कि सबसे उन्नत, रूपांतरित, मजबूत, प्रभावी स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर है, यह स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे कीमती मील का पत्थर है, जिसमें 295 से अधिक स्टार्टअप्स के बैठने की जगह है एवं 1,50,000 वर्ग फुट का इनक्यूबेशन स्पेस है। टेक्नो हब निःशुल्क स्पेस, कनेक्टिविटी, आसान फंडिंग, मेंटरशिप, मार्केट कनेक्ट, वीडियो कान्फ्रेसिंग तथा इन्वेस्टर कनेक्ट जैसी सुविधाओं के लिए स्टार्टअप्स के लिए One-Stop समाधान है। राजस्थान में स्टार्टअप पारिस्थितिकी–तन्त्र (Eco-system) को गति प्रदान करने के लिए टेक्नो हब, उभरते हुये स्टार्टअप्स को एक संपूर्ण समर्थन प्रणाली प्रदान करेगा।

iStart Nest

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आईस्टार्ट नेस्ट बीकानेर, कोटा एवं चूरू का लोकार्पण Digifest Jaipur-2022 के अतंर्गत दिनांक 19-08-2022 को तथा आईस्टार्ट नेस्ट, जोधपुर एवं पाली का लोकार्पण Digifest Jodhpur-2022 के अतंर्गत दिनांक 13.11.2022 को किया गया।

समस्त इन्क्यूबेशन सेंटर्स (वर्चुअल इन्क्यूबेटर एवं आई–स्टार्ट के साथ अनुबंधित इन्क्यूबेटर्स) में स्टार्टअप्स के लिये उपलब्ध कुल 2000 सीटों का विवरण निम्नानुसार है:–

S.No.	Incubation Centres	Capacity(in seats)
1	Techno Hub, Jaipur	295
2	iStart Nest, Udaipur	60
3	iStart Nest, Jodhpur	75
4	iStart Nest, Bharatpur	45
5	iStart Nest, Bikaner	20
6	iStart Nest, Kota	100
7	iStart Nest, Churu	25
8	iStart Nest, Pali	25
Total		**645**

Virtual Incubator

'सूचना तकनीक से सुशासन'' थीम पर आयोजित कार्यक्रम में कोरोना महामारी के मद्देनजर, राज्य में Virtual Incubator की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अगस्त, 2021 में की गयी थी। वर्चुअल इनक्यूबेशन सेंटर के तहत 650 सीटों का प्रावधान है तथा स्टार्टअप्स से मिली प्रतिक्रिया के अनुसार सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। वर्ष 2021 के दौरान, iStart ने शैक्षणिक

और कॉर्पोरेट भागीदारों के सहयोग से वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत 17 वर्चुअल मेंटरशिप कार्यशालाओं का आयोजन किया है। iStart वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम के अंर्तगत 950 उद्यमियों / स्टार्टअप्स (कुल 1975+seats) ने लाभ प्राप्त किया है।

4. राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज

राजस्थान में स्टार्ट–अप की क्षमता का लाभ उठाने के लिए राज्य / समाज में प्रचलित मुद्दों के लीक से हटकर समाधान विकसित करने के लिए सरकार राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज आयोजित करती है। राज्य सरकार के विभाग द्वारा प्रतिभागी स्टार्ट–अप्स के लिए चुनौतियों को साझा किया जायेगा, जो थीम के आधार पर समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार के समय–समय पर अधिसूचित मानदंडों के आधार पर, मूल्यांकन समिति द्वारा विजेताओं का निर्णय किया जायेगा और उन्हें निम्नानुसार पुरस्कृत किया जाएगा–

राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता:-

- प्रतियोगिता वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी
- प्रथम स्थान पाने वाला विजेता 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा
- दूसरे स्थान का विजेता 1 करोड़ तक का अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा
- तीसरे स्थान पर आने वाले तीन विजेता प्रत्येक 50 लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे (नोट–दूसरे और तीसरे पुरस्कार की राशि आवेदनों की संख्या और विचार की प्रासंगिकता के आधार पर भिन्न हो सकती है।)
- स्टार्टअप्स को दिये जाने वाला अनुदान माइलस्टोन पर आधारित होगा

5. School Startup

राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए आईस्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया। राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता को आत्मसात करने और उन्हें भविष्य के उद्यमी के रूप में उनकी यात्रा में एक ठोस आधार प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की पहल की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के समन्वय से विभिन्न जिलों से चयनित 130 Mentor Teacher/Professors को प्रशिक्षण दिया गया, ताकि टीम द्वारा छात्र उद्यमियों के विचारों, डिजाइन सोच, नवाचार और उद्यमशीलता की मानसिकता के पोषण की दिशा में किया जा सके। इसकी स्थापना के बाद से 30300+ छात्रों ने एवं 1800+ स्कूलों ने आईस्टार्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया हैं। पंजीकृत छात्रों को स्वरोजगार के बारे में ज्ञान प्रदान करने, व्यावसायिक विचारों को लाइव करने और मॉड्यूल के पूरा होने पर प्रतिभागी को एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को आईस्टार्ट स्कूल इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने का मौका दिया गया, जहां कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया, और छात्रों को उन समस्याओं से संबंधित समाधान प्रदान किये गए। मूल्यांकन समिति जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत सभी नवीन विचारों की जांच के पश्चात् विजेता टीमों में राज्य स्तर से 3, संभाग स्तर से 21 और जिला स्तर से 27 चयनित विजेताओं को योग्यता प्रमाण पत्र एवं कुल 20 लाख से अधिक रूपये की सीड मनी नकद पुरस्कार के रूप में, 13.11.2022 को DigiFest Jodhpur के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान की गई।

S. No.	Level	1st Prize (INR)	2nd Prize (INR)	3rd Prize (INR)
1.	District	50,000	25,000	10,000
2.	Division	75,000	50,000	25,000
3.	State	1,00,000	75,000	50,000

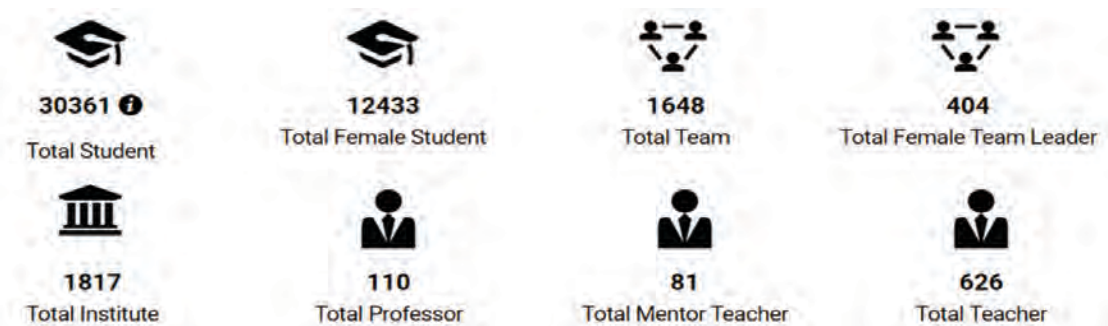

6. Rural iStart

प्रदेश के विकास में युवाओं को आगे लाने व उनकी उद्यमिता का विकास करने की दृष्टि से प्रदेश में स्टार्टअप्स् को विभिन्न सुविधायें दी जा रही है, जो कि वर्तमान में बड़े शहरों तक सीमित है। राज्य में बढ़ते स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र की पहुंच और प्रभाव को ग्रामीण राजस्थान तक विस्तारित करने हेतु ग्रामीण आईस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण राजस्थान में उद्यमिता और नवाचार की भावना को प्रज्वलित करना और राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को बदलना है। ग्रामीण आईस्टार्ट कार्यक्रम के तहत अब तक कुल 676 ग्रामीण स्टार्टअप्स ने आईस्टार्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया हैं। ग्रामीण स्टार्टअप्स को कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इनोवेशन चैलेंज में भाग लेने का मौका दिया गया, जहां कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया और स्टार्टअप्स द्वारा उन समस्याओं से संबंधित समाधान प्रदान किये गये। मूल्यांकन समिति जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर जैसे विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत सभी नवीन विचारों की जांच के पश्चात राज्य स्तर से 3, और जिला स्तर से 20 चयनित विजेताओं को योग्यता प्रमाण पत्र एवं कुल 20,75,000.00 रूपये की सीड मनी नकद पुरस्कार के रूप में 13.11.2022 को DigiFest Jodhpur के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान की गई।

Individual entrepreneurs, Rural Innovators, and Rural Start-ups

District level (Prize)

- 1st Best Idea/ solution - INR 1,00,000/-
- 2nd Best Idea/ solution - INR 50,000/-
- 3rd Best Idea/ solution - INR 25,000/-

State-level (Seed grant)

- 1st Best Idea/ solution - INR 5,00,000/-
- 2nd Best Idea/ solution - INR 2,50,000/-
- 3rd Best Idea/ solution - INR 1,25,000/-

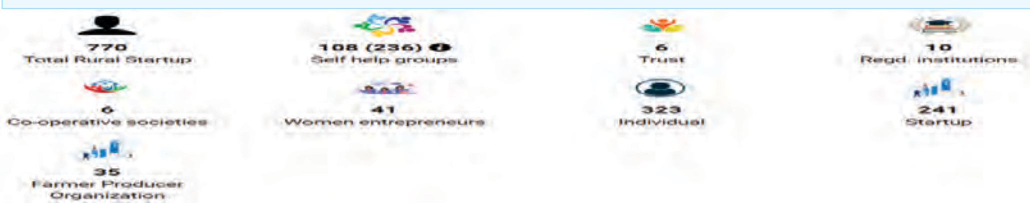

7. eBazaar Portal

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021–22 के बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान में पंजीकृत स्टार्टअप्स को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 15 लाख रुपये तक के प्रत्यक्ष कार्यादेश दिये जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से iStart के साथ पंजीकृत स्टार्टअप ebazaar.rajasthan.gov.in पर अपने उत्पादों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने विभागों, निगमों और बोर्डों को eBazaar में पंजीकृत स्टार्टअप से 15 लाख रुपये तक की वस्तुओं/सेवाओं को खरीदने का निर्देश जारी कर दिया है। विभाग को, बिना किसी निविदा प्रक्रिया के स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, परिवहन आदि क्षेत्रों में तकनीकी–सक्षम स्टार्टअप को सीधे कार्य अनुबंध देने की अनुमति है। ई–बाजार प्लेटफॉर्म में अब तक 150 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं और उन्होंने अपने उत्पादों और सेवाओं को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है। अब तक कुल 4 स्टार्टअप्स को पोर्टल के माध्यम से कार्यादेश जारी किये गये है।

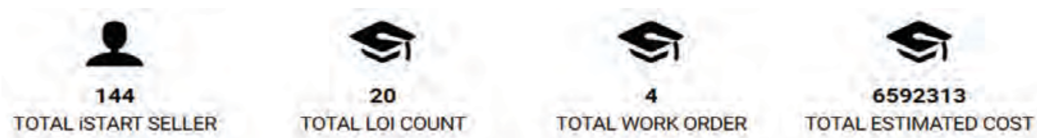

8. Financial Support/Assistance

राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू करने के लिए देश के अग्रणी राज्यों में से एक रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में स्टार्टअप नीति जारी की थी। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार स्टार्टअप को Sustenance Allowance (10,000 रुपये का अनुदान

प्रतिमाह एक वर्ष तक), Seed Fund (अधिकतम राशि 2 लाख रुपये तक का ऋण), Pilot Assistance (अधिकतम राशि 10 लाख रुपये तक का ऋण) और Techno Fund (अधिकतम राशि 25 लाख रुपये तक का ऋण) की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2022–23 में अब तक कुल राशि रुपये लगभग 10 करोड़ चयनित 157 स्टार्ट–अप को वितरित किए गए हैं।

a) **कोविड़ राहत सीड अनुदानः** माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2021–22 के संदर्भ में, स्टार्टअप्स को परियोजना मूल्यांकन तथा Bronze QRate स्कोर के आधार पर राशि रूपये 5 लाख का अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। अब तक कुल 83 चयनित स्टार्टअप्स को राशि रुपये 415.00 लाख का कोविड़ राहत सीड अनुदान दिया जा चुका है।

9. नई स्टार्टअप नीति-2022

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोधपुर Digifest के दौरान 13.11.2022 को राज्य में नव–उद्यम प्रवर्तन (स्टार्टअप) को प्रोत्साहन देने हेतु नई स्टार्टअप नीति–2022 का विमोचन किया गया। इस नीति में कई नये प्रावधान एवं योजनायें हैः–

- स्टार्टअप नीति 2022 के अनुसार आइडिया/प्रोटोटाइप चरण में योग्य स्टार्टअप को निर्वहन के लिए 20,000 रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। महिला स्टार्टअप्स के लिये यह राशि 25,000 रूपये प्रतिमाह एक वर्ष तक अनुदान के रूप में देय है।

- राज्य में स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सीड़ चरण में योग्य स्टार्टअप्स को राशि रूपये 60 लाख तक के अनुदान की वित्तीय सहायता स्टार्टअप के उत्पाद विकास, परीक्षण तथा मार्केटिंग परीक्षण हेतु प्रदान की जायेगी।
- राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत Growth Stage पर स्टार्टअप्स को रूपये 2 करोड़ तक की वित्तीय सहायता convertible ऋण या equity के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
- स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत रूपये 35 लाख तक का अनुदान Workshop Support and Accelerator Program आयोजित करने हेतु दिये जाने का प्रावधान है।
- स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में e-cell स्थापित करने हेतु रूपये 15 लाख तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- स्टार्टअप्स के प्रदर्शन के आधार पर, उक्त नीति के तहत Performance Boosters दिये जाने का प्रावधान है।

स्टार्टअप परियोजना के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमः-

राज्य सरकार राज्य में स्टार्टअप eco-system को मजबूत करने और स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय और साथ ही अंतरराष्ट्रीय पहचान प्रदान करने के लिए और एक साझा मंच के अधीन सभी हितधारकों को लाने के लिए विभिन्न स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कर रही है।

- दिसम्बर, 2021 में NITI Aayog, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से **वूमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवाड्र्स 2021** के पांचवें संस्करण के प्रचार के लिए एक रोड शो आयोजित किया गया जिसमें 100 से अधिक महिला उद्यमियों के साथ–साथ, विभिन्न महिला संस्थापकों और सीईओ, मशहूर हस्तियाँ और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
- वर्ष 2021–22 में आयोजित Jaipur Literature Festival में iStart Rajasthan द्वारा participate किया गया, जिसमें लगभग 80 Startups ने भाग लिया एवं विभिन्न start-ups ने अपने products showcase किये।
- June 2022 को Rajasthan Drone Expo-2022 आयोजित किया गया।
- 19–20 August 2022 को DigiFest का BirlaAuditorium में आयोजन किया गया।
- 07-08 October 2022 को Startup Conclavein Invest Rajasthan Summit – 2022 का JECC में आयोजन किया गया।
- 11-13 Nov. 2022 को DigiFest Jodhpur का आयोजन किया गया।

7 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं

7.1 राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (आर.एस.डी.सी)

राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC), मुख्यतः राज्य के विभिन्न विभागों/एजेंसियों को डिजिटल समर्थ/सक्षम करने और G2G, G2C व G2B सेवाओं की सुलभ उपलब्धता करने हेतु अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है। यह डाटा सेंटर डाटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रह, आईटी प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की समग्र लागत को कम करने के लिए अग्रणी एक सामान्य बुनियादी ढाँचे पर अपनी सेवाओं/अनुप्रयोगों की मेजबानी करता है।

आर.एस.डी.सी. में कुल क्षमता के 4 डाटा सेंटर, जयपुर और 1 डीआर साइट, जोधपुर में स्थापित है। आर.एस.डी.सी.–P4 में 600 रैक UPTIME टियर–4 डिजाइन प्रमाणित हैं, जो 99.995%UPTIME सुनिश्चित करता है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाटा सेंटर है।

आर.एस.डी.सी. अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मशीनों जैसे – आईबीएम प्यूरएप, ओरेकल ऐक्साडाटा, ओरेकल एक्सलॉजिक, माइक्रोसॉफट एज़्योर और सुरक्षा उपकरण जैसे फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, डीडीओएस, डब्ल्यूएएफ, डैम, एसआईईएम, एपीटी, फोरेंसिक आदि से संपन्न है।

आर.एस.डी.सी. राजस्थान के साथ–साथ अन्य राज्यों के सरकारी विभागों/संगठनों को, को–लोकेशन और क्लाउड यथा IaaS, SaaS, PaaS एवं SOC इत्यादि की सेवायें दे रहा है। आर.एस.डी.सी. के ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एंटरप्राइस एडिशन, RHEL एंटरप्राइस एडिशन तथा एप सर्वर में वेबस्फीयर (WAS), Weblogic एवं डाटाबेस सर्वर में MS-SQL, Oracle प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाता है।

आर.एस.डी.सी. में 500 से अधिक वेबसाइटों की होस्टिंग की जा रही है, जो विभिन्न विभागों को जी2जी, जी2सी और जी2बी सेवाएं प्रदान करती हैं। कुछ प्रमुख वेबसाइटों में ई–मित्र, ई–पीडीएस, जन आधार सरकार के लाभों को जनता तक पहुँचाने वाली नागरिकोन्मुखी

वेबसाइट्स सम्मिलित हैं। आरपीपी, वीसी, राजएसएसओ, राजमास्टर्स, राज सेवा द्वार आदि का उपयोग मानकीकृत समाधान प्रदान करने वाले प्लेटफार्मों के रूप में किया जाता है। सी.सी.टी.एन.एस., एफ.एम.डी.एस.एस., एस.आई.पी.एफ., ई2ई परीक्षा आदि विभाग–विशिष्ट वेबसाइट्स हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021–22 के क्रम में, राज्य सरकार ने स्टेट डाटा सेंटर की सेवाओं को अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों/पीएसयू/एजेंसी/संगठन, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्रों को सशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक F5(458)/DoIT/Tech/11/P-3/ML-3474/2021 के माध्यम से RSDC सेवाओं की दरों के लिए एक शासनादेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा आर.एस.डी.सी. सेवाओं पर दिनांक 31–मार्च–2022 तक रियायत की घोषणा की गई।

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों को स्टेट डाटा सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं निःशुल्क हैं।

7.2 राजस्थान सम्पर्क

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने एवं उनकी समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान हेतु माध्यम प्रदान करता है।

परियोजना का उद्देश्य :-

- शिकायत निवारण के विभिन्न तरीकों से नागरिकों की शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म की स्थापना।
- शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए प्रक्रिया।
- विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए रिपोर्ट के माध्यम से शिकायतों की उचित ट्रैकिंग और सक्षम निगरानी करना।
- सभी विभागों के लिए शिकायत निवारण की समरूप और प्रमाणीकृत प्रक्रिया।

परियोजना का लाभ :-

- विभिन्न विभागों और परियोजनाओं जैसे कि आपातकालीन सेवाऐं, मनरेगा, ईमित्र आदि के लिए कॉल सेंटर की सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेन्टर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी CCC से एकीकृत हैं। प्रतिदिन औसतन 52,000 से अधिक कॉल CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं।
- शिकायत निवारण के लिए केन्द्रीकृत प्लेटफॉर्म ।
- इस प्रणाली के माध्यम से 1.07 करोड से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और 1.06 करोड से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जिला स्तर पर विषयों और अधिकारियों को जोड़ने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
- सभी विभागों के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी की नई प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई है। कलेक्टर एवं विभागाधिकारियों को, शिकायतों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और किसी भी शिकायत को उनके सम्बन्धित जिलों के दायरे में पुनः कार्यवाही का अधिकार दिया गया है।
- जिलेवार एवं विभागवार निगरानी को सक्षम बनाने के लिये विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड लॉन्च किये गए हैं जो विभिन्न मापदण्डों पर सम्बन्धित जिलों के शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित प्रदर्शन और रैकिंग को दर्शाते हैं।
- टोल–फ्री नम्बर 181 पर कॉल करके आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं तथा शिकायतों के समाधान की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। लिंक http://sampark.rajasthan.gov.in/, टोल–फ्री नम्बर पर नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह केन्द्र प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करता है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति:-

Rajasthan Sampark Report

Year Wise Comparison Report

वर्ष	कुल दर्ज शिकायत	निस्तारित शिकायत	निस्तारण %	औसत निस्तारण समय	कुल संतुष्ट	संतुष्टी %	राहत संतुष्टी	राहत संतुष्टी %	रदद संतुष्ट	रदद संतुष्टी %
2018	1761077	1634163	92.79%	56	684774	58.94%	329562	73%	355880	50%
2019	1842012	1805136	98.00%	50	740538	50.52%	359203	63%	510266	57%
2020	1912077	1769385	92.54%	31	872404	59.78%	456461	65%	346342	45%
2021	2123446	2012656	94.78%	25	996626	59.82%	538931	69%	457695	52%
31-12-22	2451605	2283472	93.14%	22	893068	58.31%	509683	66%	383385	50%

7.3 नागरिक सम्पर्क केन्द्र (Citizen Contact Centre)

नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से टोल–फ्री नम्बर 1800–180–6127 एवं 181 पर राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जनसमस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेन्टर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेन्टर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी CCC से एकीकृत हैं। प्रतिदिन लगभग 52,000 से अधिक कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है।

लॉकडाउन दिनांक 24 मार्च 2020 से आज दिनांक तक लगातार राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाईन 181 वार रूम के द्वारा अपनी सेवाऐं 24x7 सुचारु दी जा रही है। अब तक वार रूम द्वारा 3,34,665 से अधिक शिकायतों/समस्याओं में से लगभग 3,34,452 (99.93%) शिकायतों/समस्याओं को समाधान हेतु विभागों/एजेंसियो को भेजा जा चुका है। प्रवासी राजस्थानियों के लिये पृथक से टोल फ्री नंबर (6127) जारी कर व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन किया गया हैं।

7.4 वीडियो-वाल

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर तक के आमजन/निवासियों के लिये विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाईव ईवेन्ट्स की ऑडियो–वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करने के लिये वीडियोवॉल की स्थापना की गई है। इस वीडियो–वाल पर स्वचालित सूचनाएं समय–समय पर प्रसारित होती हैं तथा कार्यक्रमों का दृश्य–श्रव्य प्रसारण (live webcast) होता है। इन सभी वीडियो–वाल पर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

राज्य में स्थापित वीडियो–वाल की संख्या जिलेवार निम्नानुसार है–

List of Installed Video-wall District Wise		
Sr. No.	**District**	**No. of Video-wall**
1	Ajmer	11
2	Alwar	15
3	Banswara	11
4	Baran	8
5	Barmer	18
6	Bharatpur	12
7	Bhilwara	13
8	Bikaner	9
9	Bundi	6
10	Chittorgarh	12
11	Churu	8
12	Dausa	7
13	Dholpur	6
14	Dungarpur	11
15	Hanumangarh	8
16	Jaipur	22
17	Jaisalmer	4
18	Jalore	9
19	Jhalawar	10
20	Jhunjhunu	9
21	Jodhpur	18
22	Karauli	7
23	Kota	7
24	Nagaur	15
25	Pali	11
26	Pratapgarh	6
27	Rajsamand	8
28	Sawai Madhopur	6
29	Sikar	10
30	Sirohi	6
31	Sri Ganganagar	10
32	Tonk	7
33	Udaipur	19
	Total	**339**

7.5 राजवीसी

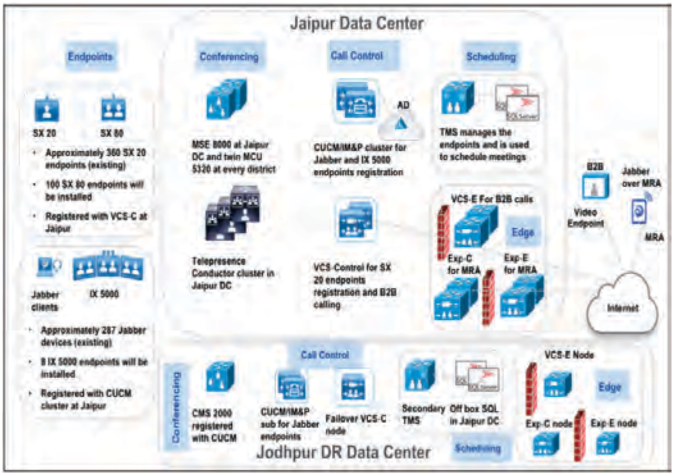

राजस्थान सरकार ने विभाग मुख्यालय, विभाग कार्यालयों, जिला मुख्यालयों (प्रत्येक DHQ में 2), एसडीएम/तहसील कार्यालयों, नगर निगमों और ब्लॉक मुख्यालयों में हार्डवेयर आधारित वीसी सेटअप स्थापित किया है। जोधपुर में एक डीआर साइट भी मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है, ताकि इस सेटअप के पूरे राजस्थान में कभी विफल होने की स्थिति में, उपयोगकर्ता के लिए निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव का प्रबंध किया जा सके। राजस्वान/राजनेट नेटवर्क का उपयोग पूरे राजस्थान में अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा की उपलब्धता के लिए किया जाता है।

वीसी सुविधा के अलावा, राजस्थान सरकार ने राज्य में संभाग मुख्यालय स्तर पर राज्य मुख्यालय जयपुर में दो और राजस्थान के शेष संभाग मुख्यालयों उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा में इमर्सिव टेलीप्रेजेंस स्टूडियो भी स्थापित किया गया है।

परियोजना का उद्देश्य:-

- यह परियोजना राज्य सरकार के कार्यालयों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त वीसी कक्ष स्थापित करके और वीसी कक्षों के साथ–साथ टेलीप्रेजेंस समाधान का अधिकतम उपयोग करने तथा सिस्टम इंटीग्रेटर और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की मौजूदा टीम द्वारा प्रशासन का समर्थन करने के लिए एफएमएस सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

- इसका प्रमुख उद्देश्य G2G के कामकाज की समग्र प्रणाली में दैनिक कार्य, संचालन और गति, दक्षता, विश्वसनीयता और जवाबदेही लाना हैं।

परियोजना का लाभ :-

- यह परियोजना राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों के मध्य संवाद एवं समन्वय का एक मजबूत आधार है।

- इसके माध्यम से, बैठक कभी भी कहीं से भी की जा सकती है जिससे समय एवं धन की बचत होती है।
- इस परियोजना में ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में आईपी टेलीफोनी सेवा की सुविधा प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से प्रशासन एवं राज्य के नागरिकों में सीधा संवाद स्थापित हो सका है।

परियोजना की वार्षिक प्रगति :-

- सरकार ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी विभागों में 630 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टूडियो रूम स्थापित किए हैं, जिनकी सहायता से राज्य सरकार सालाना 5000 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित करती है।
- राज्य ने एक सॉफ्टवेयर–आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान भी क्रियाशील किया हैं। यह सेटअप राज्य के निवासियों को जोड़ने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच का उपयोग करके राज्य भर में प्रति माह 1500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- CM हेल्पलाइन 181 सहित सचिवालय, सभी सरकारी विभागों, कलेक्ट्रेट और ग्रामीण के अधिकारियों के बीच सीधे संचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक 18000+ आईपी टेलीफोन स्थापित किए गए हैं।

7.6 राजनेट

राजनेट ओएफसी परियोजना का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों एवं कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परियोजनान्तर्गत लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों, आर.एफ. टावर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वीडियोवॉल के लिए हाई स्पीड इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है।

परियोजना का लाभ

राजनेट ओएफसी परियोजनान्तर्गत सचिवालय/जिला/ब्लॉक/नगरपालिका मुख्यालय के सरकारी दफ्तरों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्ष 2022–23 तक लगभग 5,000 सरकारी कार्यालयों एवं 2,500 कैमरा पोल एवं लगभग 6,500 सी.सी.टी.वी. कैमरों के लिये हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु लगभग 3,350 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है एवं पांच रिजर्व फॉरेस्ट (झालाना नेचर पार्क, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जवाई बांध लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व, मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व) को हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु लगभग 230 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा चुकी है।

ओएफसी कनेक्टिविटी द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संचालित ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आमजन को सेवायें एवं हाई क्वालिटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर, कोरोना महामारी की रिपोर्ट लेकर आमजन हित मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये एवं सभी विभागों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की गयी। कोरोना महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा बहुत कारगर साबित हुई।

अभय कमाण्ड कण्ट्रोल सेंटर परियोजनान्तर्गत लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा शहरों की निगरानी रखी जा रही है। साथ ही, हाई स्पीड इन्टरनेट सुविधा द्वारा 5 संरक्षित वन क्षेत्र के वन्य जीवों की निगरानी तंत्र एवं अवैध शिकार को रोकने हेतु निगरानी की जा रही है।

ओएफसी परियोजनान्तर्गत आर.एफ. टावर एवं वीडियोवॉल के लिए हाई स्पीड इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। आर.एफ. टावर द्वारा ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर तक के आमजन के लिये वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा वीडियो वॉल द्वारा प्रत्येक जिला एवं मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर तक के आमजन के लिये विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाइव इवेन्ट्स की स्ट्रिमिंग का प्रसारण करने कि लिये ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है।

राजनेट ओएफसी परियोजनान्तर्गत पुलिस विभाग के दफ्तरों, पुलिस थानों, जेल तथा न्यायालयों में ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गयी है, जिसके माध्यम से शिकायत एवं ऑनलाइन सुनवाई का कार्य किया जा रहा है।

क्रम संख्या	वर्ष	राजनेट ओएफसी लम्बाई (कि.मी.)
1	2016-17	141.359
2	2017-18	484.076
3	2018-19	957.806
4	2019-20	771.056
5	2020-21	624.067
6	2021-22	318.619
7	2022-23	285.116
	Total	**3582.099**

OFC Laying Map

KML File on Google earth

OTDR

LIU

OFC Laying MAP

HDD Machine

Camera Pole

Abhay Command Control Center

Media Converter

Rack/Switch

7.7 राज वाई-फाई

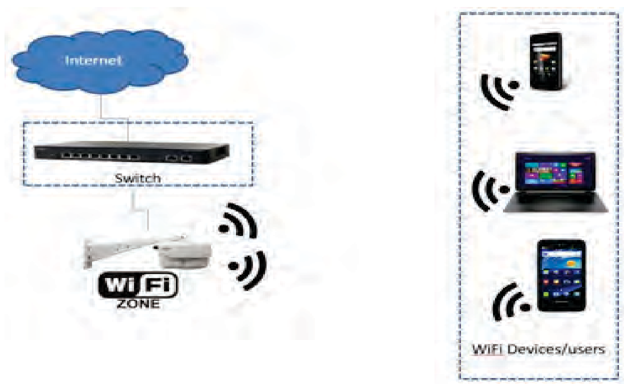

राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों के तहत ग्राम पंचायत एवं विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर वाई–फाई नेटवर्क स्थापित करने की परिकल्पना की हैं।

परियोजना का उद्देश्य : राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राज वाई–फाई परियोजना संचालित की जा रही है।

परियोजना का लाभ : वाई–फाई की सुविधा सभी विभागीय मुख्यालयों एवं समस्त जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में राज्य की कुल 11341 ग्राम पंचायतों में से 9432 ग्राम पंचायतों पर कुल 10641 वाई–फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से वाई–फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उक्त सुविधा संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका उपभोग लगभग 1.10 लाख उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। नवम्बर 2022 तक लगभग 30,000 जीबी से भी अधिक डाटा का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित वाई–फाई नेटवर्क के द्वारा किया गया है। पूर्व में, ज्यादातर ग्राम पंचायतों पर वीसेट/एमपीएलएस के माध्यम से वाई–फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई थी, जिसे वर्तमान में भारतनेट (BBNL) नेटवर्क पर शिफ्ट किया जा रहा है। भारतनेट नेटवर्क पर वीसेट/एमपीएलएस कनेक्टिविटी की तुलना में बेहतर इंटरनेट स्पीड़ मिलती है जिससे भविष्य में वाई–फाई नेटवर्क की उपयोगिता और बढ़ेगी।

जिला-वार स्थापित वाई-फाई हॉट स्पॉट की स्थिति

क्र.सं.	जिला	ग्राम पंचायत	वाई-फाई हॉट स्पॉट
1	अजमेर	284	298
2	अलवर	494	517
3	बांसवाड़ा	333	405
4	बांरा	214	228
5	बाड़मेर	314	308
6	भरतपुर	367	448
7	भीलवाड़ा	382	393
8	बीकानेर	266	271
9	बूंदी	180	217
10	चित्तौड़गढ़	287	364
11	चुरू	253	260
12	दौसा	231	260
13	धौलपुर	164	192
14	डूंगरपुर	270	305
15	हनुमानगढ़	257	346
16	जयपुर	518	571
17	जैसलमेर	92	83
18	जालौर	269	282
19	झालावाड	249	320
20	झुंझुनूं	293	322
21	जोधपुर	420	425
22	करौली	223	269
23	कोटा	153	175
24	नागौर	470	556
25	पाली	333	383
26	प्रतापगढ़	156	209
27	राजसमंद	202	235
28	सवाई माधोपुर	196	218
29	सीकर	335	402
30	सिरोही	158	162
31	श्रीगंगानगर	329	404
32	टोंक	230	269
33	उदयपुर	510	544
	योग	**9432**	**10641**

परियोजना की वर्षवार प्रगतिः

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या
2019—2020	5219	6190
2020—2021	2945	3082
2021—2022	546	688
2022—2023 (नवम्बर, 2022 तक)	722	681
कुल	**9432**	**10641**

7.8 राजस्वॉन

भारत सरकार द्वारा मार्च 2005 में देश भर के प्रत्येक राज्य में स्टेट वाइड़ एरिया नेटवर्क (SWAN) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा एनईजीपी की परियोजना (NeGP) के भाग के रूप में राज्य में डाटा, टेलीफोन और वीडियों संचार की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परिकल्पित किया है। विभाग में राजस्वॉन परियोजना वर्ष फरवरी 2013 से संचालित की जा रही हैं।

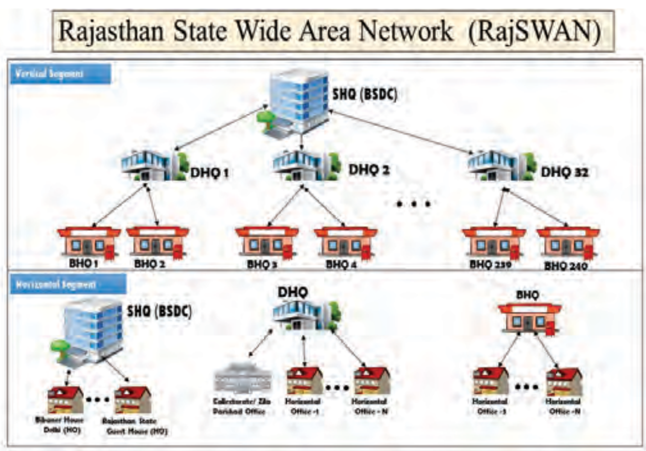

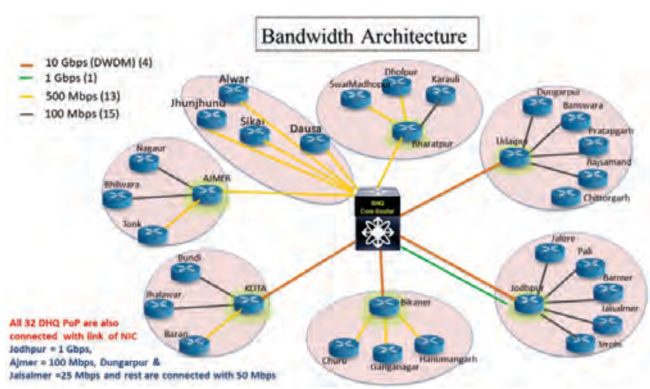

वर्तमान में राजस्वॉन नेटवर्क में 273 ऊर्ध्वाधर (Vertical) पोईन्ट ऑफ प्रजेन्स (POP) स्थापित किये गए हैं जो कि राजस्थान राज्य में

स्थित क्रमशः स्टेट हेड क्वाटर (SHQ-1) से संभागीय मुख्यालयों (Div-7) उनके जिला मुख्यालयों (DHQ-26) और उनके ब्लॉक हेड क्वाटर्स (BHQ-240) से जुड़े हुए हैं, जिससे उनसे जुड़े हुए कार्यालयों (HO-3529) का डाटा, टेलीफोन और वीडियो ट्रेफिक ले जाने की सुविधा प्रदान करता है।

राजस्वॉन के उर्ध्वाधर खण्ड (Vertical Segment) के अन्तर्गत प्रदान करवाई गई कनेक्टिविटी का प्रारूप निम्न प्रकार हैः–

- जिला मुख्यालय (DHQ) POP पोईन्ट–टू–पोईन्ट 500 से 1000 एमबीपीएस की लीज लाईन सर्किट पर स्वयं सम्बन्धित संभागीय मुख्यालय (Div. HQ) से जुडे हुए हैं एवं सभी संभागीय मुख्यालय (Div. HQ) 500 एमबीपीएस से 10 जीबीपीएस की लीज लाईन सर्किट से स्टेट हेड क्वाटर (SHQ) राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (RSDC) से जुडे हुए हैं।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय (DHQ) POP पोईन्ट–टू–पोईन्ट 100 एमबीपीएस की मुख्य लीज लाईन एवं 8 एमबीपीएस की वैकल्पिक लीज लाईन सर्किट पर स्वयं सम्बन्धित ब्लॉक हेड क्वाटर (BHQ) से जुडे हुए हैं। यह सुविधा बैन्डविथ सेवा प्रदाता बीएसएनएल एवं मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के माध्यम से किराये पर उपलब्ध करवाई गई हैं।

क्षैतिज खंड

राजस्वॉन क्षैतिज खंड (Horizontal Segment) के अन्तर्गत कुल 3,529 इमारतें है जो कि राज्य सरकार के प्रदेश में फैले विभिन्न विभागों के लगभग 4,800 से अधिक सरकारी इमारतों को कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है। इस खंड के अन्तर्गत जिला स्तर, तहसील स्तर, पंचायत समिति और नई दिल्ली में स्थित 4 कार्यालय शामिल हैं।

परियोजना का उद्देश्य:-

राजस्वॉन राज्य भर में विभिन्न विभागों के मध्य संचार चैनल की स्थापना, राज्य के नागरिको को सेवा की गुणवत्ता में सुधार, प्रशासनिक दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने एवं इलेक्ट्रॉनिक शासन (ई–शासन) के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से कार्यरत है।

परियोजना का लाभ :-

- जिला, ब्लॉक स्थित राजकीय कार्यालयों को कनेक्टिविटी।
- ब्लॉक स्तर पर स्थित राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों में कनेक्टिविटी।
- वाई–फाई सेवा, वीड़ियो कॉन्फ्रेंन्सिंग सेवा, आई.पी. फोन इत्यादि के लिये कनेक्टिविटी।
- विभिन्न कार्यालयों एवं नगरीय सुरक्षा हेतु लगाये गये कैमरों को कनेक्टिविटी हेतु ऑप्टिकल फाईबर केबल (OFC)।

Segment	**Div. HQ**	**DHQ**	**BHQ**	**SecLAN HO**	**RSWAN HO**
No of Locations	6	26	240	202	3529
10 G Link (Div.HQ to SHQ)	4				
1 G Link (Div.HQ to SHQ)	4				
500 Mb Link (Div.HQ to SHQ)	2				
1 G Link (DHQ to SHQ)		20			
500 Mb (DHQ to Div. HQ)		6			
50 Mb/35 Mb Ot her link (DHQ to Div. HQ/ SHQ)	6	26			
1 G Link (BHQ to SHQ)			1		
100 Mb BSNL (BHQ to SHQ)			44		
100 Mb BSNL (BHQ to DHQ)			195		
8 Mb Airtel (BHQ to DHQ)			223		
4 Mb Airtel (BHQ to DHQ)			13		
No Backup Airtel link (BHQ to DHQ)			4		
100 Mbps (HO to DHQ/BHQ)				**262**	1681
32 Mbps (MPLS)				**1**	3
16 Mbps (MPLS)					49
8 Mbps (MPLS)					95
4 Mbps (MPLS)				**2**	43
8 Mbps (HO to DHQ/BHQ)				**1**	6
4 Mbps (HO to DHQ/BHQ)					23
2 Mbps (HO to DHQ/BHQ)				**1**	1609
<2 Mbps (HO to DHQ/BHQ)					20

7.9 ई-मित्र

राज्य मे लगभग 81,000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क (लगभग 54000 ग्रामीण क्षेत्र मे एवं 26000 शहरी क्षेत्र में) के माध्यम से आम जन को सरकारी / गैर–सरकारी क्षेत्र की लगभग 600 नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही

हैं। आम जन द्वारा ई–मित्र की सेवाएं ई–मित्र कियोस्क, मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल, ई–मित्र प्लस मशीन एवं e-Mitra@Home के माध्यम से भी प्राप्त की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022 की अनुपालना में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लगभग 112 B2C (निजी क्षेत्र) सेवाएं भी ई–मित्र पोर्टल पर शुरु कर दी गयी हैं। निजी क्षेत्र की विभिन्न सेवायें जैसे–डिजिटल शिक्षा, कृषि, QR पार्किंग स्टीकर, चिकित्सा परामर्श, म्यूचुअल फंड्स, Insurance, HouseRent सेवा, बैंकिंग सुविधा आदि आम–जन तक पहुँचाई जा रही है।

7.10 ई-मित्र प्लस

ई–मित्र प्लस ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम है। मानवरहित स्वयंसेवी ई–मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों/संगठनों/सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है। ई–मित्र प्लस पूरे देश में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इन पर नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का भुगतान भी कर सकते हैं। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण–पत्र, ई–कार्ड (आधार, जन–आधार), पी.वी.सी. कार्ड पर जनआधार प्रिंट आदि एवं पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र के वार्षिक सत्यापन की सेवा भी निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में कुल 14,891 ई–मित्र प्लस कियोस्क राज्य भर में स्थापित हैं।

7.11 राज-पेमेंट प्लेटफॉर्म

सभी भुगतानों, प्राप्तियों और लेखा प्रक्रियाओं के लिए एकल एप्लीकेशन जो भुगतान के संवितरण के लिए प्लग–इन के रूप में किसी भी संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। एप्लीकेशन में

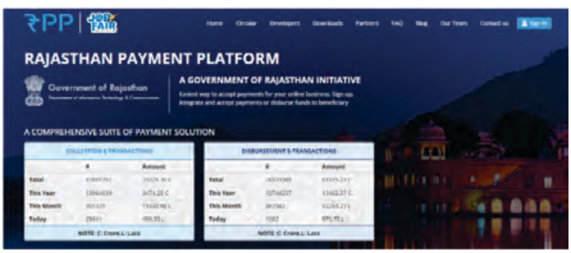

व्यक्तियों/फर्मों के लिए भुगतान की सुविधा है। किसी संगठन की सभी बैंकिंग प्रक्रियाओं का स्वचालन राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है।

Collection (संग्रह)

कुल लेनदेन	रुपये 5.78 करोड से अधिक
कुल संग्रह राशि	रुपये 23,000 करोड से अधिक

पिछले 5 वर्षों में प्रति माह लगभग 400 से 500 करोड़ रुपये का संग्रह।

- 55 से अधिक विभागों/पीएसयू की 600 से अधिक प्रकार की सेवाएं।
- संग्रह राशि के लिए सभी प्रमुख भुगतान के प्रकार जैसे– आधार पे, यूपीआई, भारत क्यूआर, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई–वॉलेट आदि उपलब्ध हैं।

Disbursement (संवितरण)

कुल लेनदेन	रुपये 2.63 करोड से अधिक
कुल संग्रह राशि	रुपये 52,000 करोड से अधिक

- पिछले 5 वर्षों में प्रति माह लगभग 800 से 900 करोड़ रुपये का संवितरण।
- 25 से अधिक विभागों/पीएसयू के 17000 से अधिक बैंक खातों द्वारा लाभार्थियों को राशि का वितरण।

भविष्य की योजनाएं :-

- जनआधार वॉलेट (IFMS 3.0)।
- यूपीआई–क्यूआर कोड आधारित सेवा को संग्रह के रूप में स्थापित करना।
- आभासी खाता संख्या (VAN) आधारित एनईएफटी/आरटीजीएस ।
- बैंक गारंटी सत्यापन और रिपोजिटरी सिस्टम ।
- एपीआई आधारित टीडीएस जमा प्रणाली।

7.12 राज ई-साईन (Raj E-Sign)

प्रदेश के नागरिकों को आधार आधारित एकीकृत इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर की सुविधा निशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं । राज्य सरकार के उपक्रम राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (RISL) को Controller of Certifying Authorities, Government of India द्वारा 19 सितम्बर 2019 को Certifying Authority घोषित कर दिया है। अब RISL के माध्यम से राज्य के नागरिकों, अधिकारी एवं कर्मचारियों को डिजिटल सिग्नेचर एवं ई–साईन जैसी सुविधाएं दी जाने लगी है।

ई–साईन प्राजेक्ट कागज रहित पारदर्शी सरकार की तरफ एक बडा कदम है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से राज्य के राजस्व मे भारी बचत होगी। राज ई–साईन एप्लीकेशन पर प्रतिदिन औसतन 30 हजार एवं पिछले एक वर्ष मे 1 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये है।

7.13 स्टेट पोर्टल

आमजन को राजस्थान सरकार से सम्बन्धित सभी जानकारी जैसे सचिवालय, प्रशासन, विभिन्न विभाग, निर्वाचन, न्यायपालिका, विधानसभा, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ई–बाजार, आमजन से जुड़ी सुविधाएं, राजस्थान की कला, संस्कृति, विरासत, पर्यटन संबंधी जानकारी/व्यवहार आदि एकीकृत रूप से राजस्थान स्टेट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही है। स्टेट पोर्टल पर राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के वेब पोर्टल/वेबसाईट एवं विभिन्न सेवाओं की जानकारी सुलभ उपलब्ध है।

7.14 एकीकृत सरकारी पोर्टल

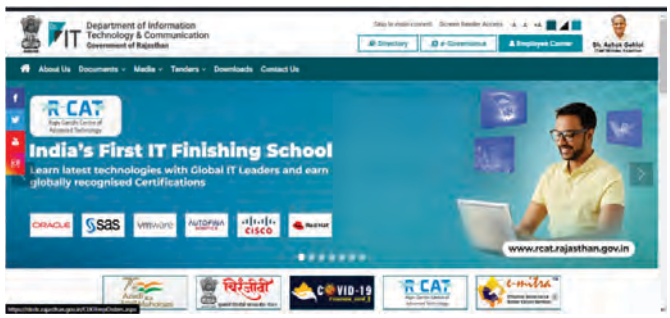

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग/बोर्ड/आयोग आदि की जानकारी, संबंधित योजनाएं एवं ऑनलाईन सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने हेतु ऊर्जा विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण, अरबन, परिवहन, कानून एवं न्याय, भू–राजस्व, अल्पसंख्यक मामलात इत्यादि विभागों के सेक्टोरल सरकारी पोर्टल एवं वेबसाईट का निर्माण किया जाकर नियमित अद्यतन किया जा रहा है। वन विभाग, पीएचईडी, राज्य मानवाधिकारी आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग इत्यादि की वेबसाईट/पोर्टल का नवीनीकरण कर लाईव कर दिया गया है। सभी वेबसाईट/पोर्टल को लेपटॉप, टेबलेट, मोबाइल एवं सभी डिवाइस अनुरूप बनाया गया है तथा अधिकांश वेबसाईट/पोर्टल को दिव्यांग/विशेषयोग्यजन सुगम बना दिया गया है।

7.15 ई-संचार 2.0

ई–संचार ऐप्लीकेशन विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोनाओं को जनसाधारण एवं विभागीय कर्मचारियों को विभिन्न सूचनाएं एवं अलर्ट एस.एम.एस. एवं वॉइस कॉल के माध्यम से भेजने की सुविधा उपलब्ध करवाता है तथा आम जन से एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं/संदेशों को परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करवाता है। इसे वेब आधारित ए.पी.आई. के माध्यम से किसी भी विभागीय एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसके 'आई–फेक्ट/रियलिटी चेक' मॉड्यूल का उपयोग किसी भी विभागीय योजना/परियोजना हेतु आई.वी.आर.एस. के माध्यम से आम–जन के बीच सर्वे करने हेतु किया जा सकता है।

परियोजना का उद्देश्य:

परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु एस.एम.एस. एवं वॉइस कॉल के माध्यम से नागरिकों तक सूचना पहुँचाने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है।

परियोजना का लाभ :

ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को एस.एम.एस एवं वॉइस कॉल की सेवाएं एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध होती हैं। ई–संचार परियोजना के मूल–सेवा प्रदाताओं के परिवर्तन की स्थिति में, इंटीग्रेटेड ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के स्तर पर किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :

SMS Messages				
Year	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
SMS Sent	12,11,87,913	49,51,17,753	1,71,19,41,931	40,99,40,518

Outbound Voice Calls				
Year	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Calls Made	98,032	50,02,085	98,12,892	1,19,62,034

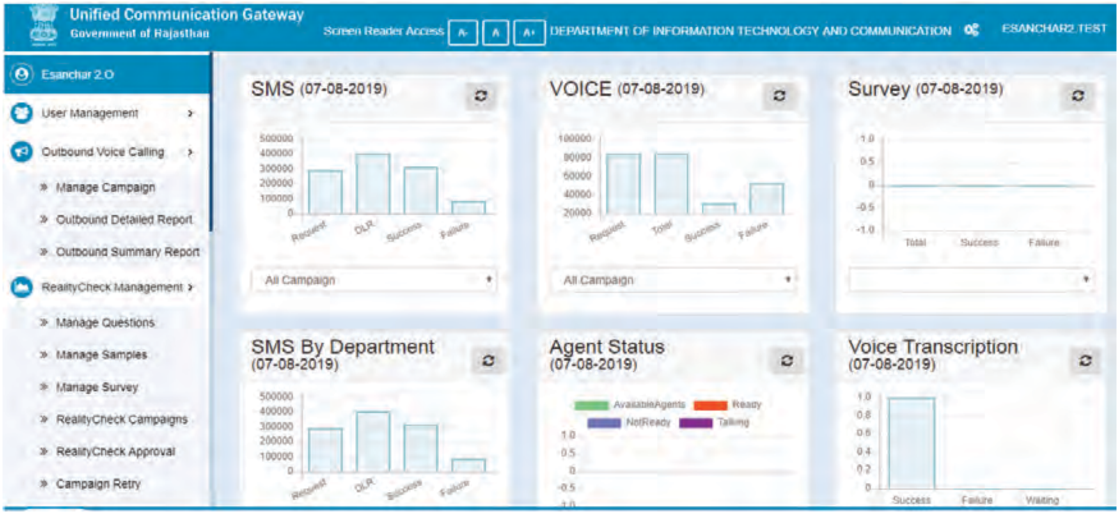

7.16 राज्य मास्टर (स्टेट मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हब)

यह डाटा हब, विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण, विभिन्न प्रकार के आंकडे (जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते हैं) उपलब्ध है। डाटा हब, विभागीय एप्लीकेशन्स को भी वेब सर्विसेज के माध्यम से मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इससे विभागीय एप्लीकेशन्स में मास्टर डाटा के इंटीग्रेशन मे समय और धन की बचत होती है। वर्तमान में राज्य के 32 विभाग राज–मास्टर सर्विस का उपयोग कर रहे है। राज–मास्टर एप्लीकेशन मे विभिन्न प्रकार के डेटा के 148 मास्टर उपलब्ध है।

7.17 राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई-ऑफिस)

राजस्थान सरकार के सभी राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्ड/कॉरपोरेशन/निगम इत्यादि में विभिन्न विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाईन करते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के हित में राजकाज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस) परियोजना का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 22.12.2022 तक राजकाज सॉफ्टवेयर से 73 प्रशासनिक विभागों के 396 संगठनों के 44,900 कार्यालयों तथा 1,17,526 अधिकारियों एवं 7,93,782 कर्मचारियों को राजकाज परियोजना से जोड़ा जा चुका हैं।

राजकाज के निम्नलिखित मॉड्यूल्स का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जा रहा है:-

1. **अचल सम्पत्ति विवरण (Immovable Property Return) :-** कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.2017 के अनुसार वर्ष 2018 से समस्त राजपत्रित अधिकारियों व परिपत्र दिनांक 29.06.2021 के अनुसार वर्ष 2021 से राज्य सरकार में कार्यरत समस्त अराजपत्रित कार्मिकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण अनिवार्यतः राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
2. **वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (Annual Performance Appraisal Report) :-** कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.07.2017 के अनुसार वर्ष 2017–2018 से समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के अनुसार वर्ष 2021–2022 से समस्त कार्मिकों द्वारा अनिवार्यतः वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. **अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकरण का आवेदन (Leave Management & Leave Encashment):-** कार्मिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण के लिए आवेदन किये जाने से लेकर स्वीकृति तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया राजकाज के माध्यम से ऑनलाईन क्रियान्वित की जा रही हैं।
4. **डाक प्रबंधन (Dak Receipt & Dispatch Management):-** राजकाज सॉफ्टवेयर के DAK मॉड्यूल के माध्यम से, विभागीय पत्रों के मूवमेंट (आवक–जावक) का ट्रैकिंग कार्य आसान हुआ है। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं तेजी लाने में राजकाज सॉफ्टवेयर एक बहुपयोगी पहल साबित हो रही है।
5. **ई-फाईल प्रबंधन (E-File Management):-** राजकाज के ई–फाईल मॉड्यूल के माध्यम से विभागों में कार्यालय–टिप्पणी से लेकर पत्रावली अनुमोदन की प्रक्रिया तक ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो रही है। ई–फाइल मॉड्यूल सुशासन एवं पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। ई–फाईल मॉड्यूल का संचालन/ क्रियान्वयन, शासन सचिवालय में स्थित विभिन्न विभागों में सुगमतापूर्वक किया जा रहा है।
6. **अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate):-** राजकाज एप्लीकेशन के 'No Objection Certificate (NOC)' मॉड्यूल के माध्यम से राजकार्मिकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवेदन से अनुमोदन तक की प्रक्रिया ऑनलाईन है।
7. **राजकीय आवास प्रबंधन (Govt. Accommodation Management):-** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.06.2021 के द्वारा, राजकीय आवास हेतु आवेदन/आवंटन की प्रक्रिया को राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन कर दिया गया है।

सॉफ्टवेयर में उपलब्ध अन्य मॉड्यूल:-

विभागीय संरचना और कर्मचारी सूचना प्रणाली (Organization & Employee Information

System), स्थानान्तरण एवं पदोन्नति प्रबंधन (Transfer & Promotion Admin), स्टोर प्रबंधन (Store Management), यात्रा प्रबंधन (Tour Management), कैबिनेट मैमो एवं बैठक प्रबंधन (Cabinet Memo & Meeting Management), टेलिफोन बिल पुर्नभुगतान (Telephone Bill Reimbursement), कार्मिक सूची प्रबंधन (Civil List Management) और आगन्तुक पास प्रबंधन (Visitor Pass Management) इत्यादि।

क्र.स.	मॉड्यूल का नाम	आवेदनों की संख्या
1.	अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकारण का आवेदन (Leave Management & Leave Encashment Application)	10,28,029
2.	वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report)	4,42,488
3.	अचल संम्पत्ति विवरण (Immovable Property Return)	7,10,293
4.	डाक प्रबंधन (Dak Receipt & Dispatch Management)	9,87,039
5.	ई–फाईल प्रबंधन (E-File Management)	2,02,572
6.	अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)	6,193
7.	राजकीय आवास प्रबंधन (Govt. Accommodation Management)	1,584

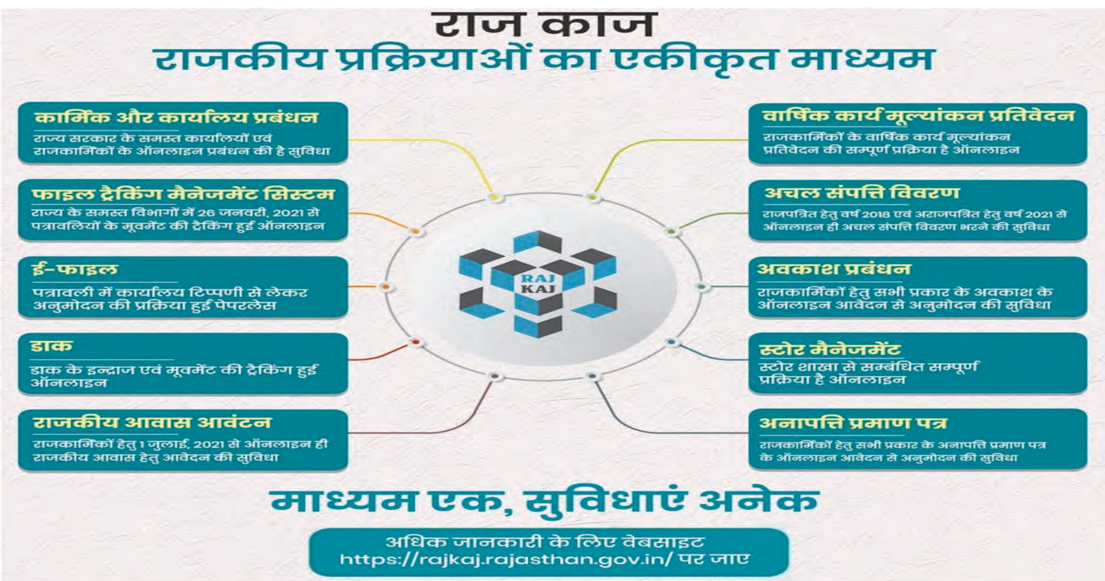

7.18 राज ई-वॉल्ट

राज ई–वॉल्ट एक Document Management System है जो नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऑफिशियल दस्तावेजों (जैसे– प्रमाण पत्र, अंकतालिका, NOC इत्यादि) के साथ–साथ नागरिक के व्यक्तिगत दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य, कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को न्यूनतम करना और सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को Digital Form में सुरक्षित रखना है, जिससे भविष्य में जरुरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।

वर्तमान में राज ई–वॉल्ट पर आम–जन और विभिन्न विभागों के 40 करोड़ से भी ज्यादा दस्तावेज संग्रहित है तथा विभिन्न विभागों की ऑनलाइन एप्लीकेशन्स के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 2 लाख दस्तावेज अपलोड किये जाते हैं ।

परियोजना का उद्देश्य

राज ई–वॉल्ट वर्तमान में राजस्थान सरकार के 15 विभागों (जन आधार, ई–मित्र, पहचान, RPSC, सिटीजन वाल्ट, DMG, LMD, राज संपर्क, SIPF, DataVerification OS, ई–पंचायत, FMDSS ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, राज मास्टर, MJSA इत्यादि) के विभागीय दस्तावेजों/फाइलों के साथ–साथ नागरिकों को जारी किए गए प्रमाण पत्र/लाइसेंस जैसे (जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल–निवास प्रमाण पत्र) इत्यादि को Digital Form में रखने की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक अपनी SSOID से Login करके eVault के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

राज ई-वॉल्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित हैं:-

1. **विभागीय सेवाएं:**

- विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को संग्रहित करना/विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को निकालना/पुनः प्राप्त करना (Fetch/Retrieve)
- विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को अपडेट करना

2. नागरिक सेवाएंः-

- नागरिक का अकाउंट बनाना
- नागरिक के दस्तावेजों / सर्टिफिकेट को संग्रहित करना
- विभाग द्वारा नागरिक के दस्तावेजों / सर्टिफिकेट को नागरिक के अकाउंट में जारी करना
- जन आधार को पारिवारिक अकाउंट से जोडना
- DigiLocker के साथ एकीकृत
- राज ई–वॉल्ट मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा

परियोजना का लाभ

विभागों / संस्थानों द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्रों में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर Higher Education से संबंधित marksheet, degree इत्यादि विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र शामिल हैं। राज ई–वॉल्ट आवेदन, प्रमाण–पत्र और दस्तावेजों को जारी करने में पारदर्शिता बढ़ानेऔर जारी करने के समय को कम करने में भी सहायता करता है।

- पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने दस्तावेजों को कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।
- नागरिकों को सेवा का लाभ उठाने के लिए भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

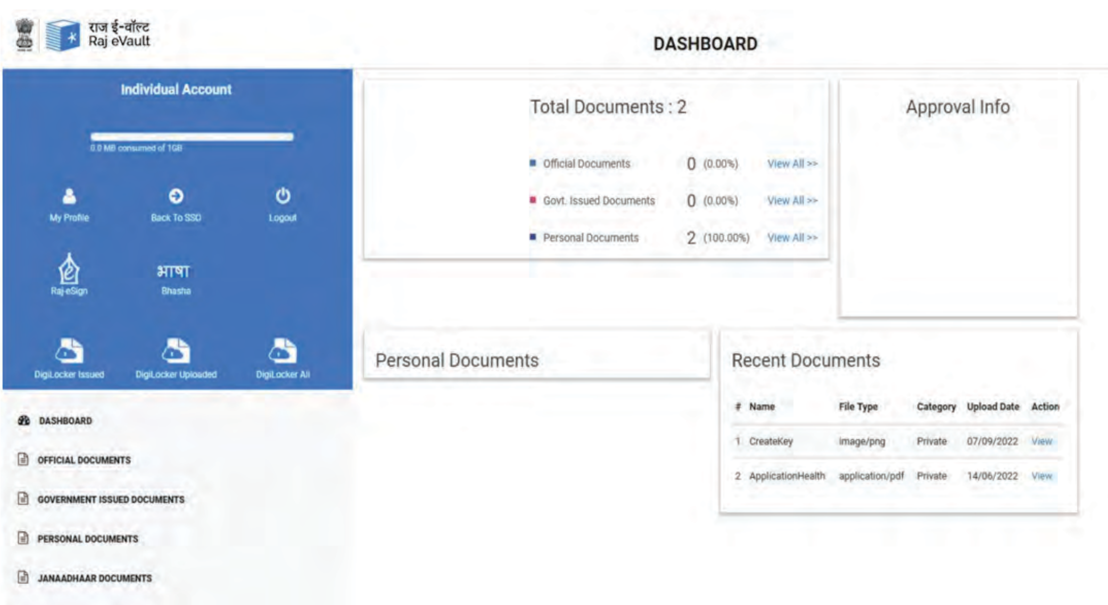

7.19 सिंगल साईन ऑन (SSO)

राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाईट्स एवं ऐप्लीकेशनों का उपयोग करने के लिए, सिंगल साईन ऑन की एकल यूजर नेम एवं पासवर्ड की सहायता से (जो कि सिंगल साइन ऑन पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है) अलग–अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। SSO के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों को अब एक डिजिटल पहचान दी जा रही है। जिसकी सहायता से अधिकारी, कर्मचारी, ई–मित्र संचालक, निवेशक एवं नागरिक विभिन्न विभागों की ऑनलाइन ऐप्लिकेशन का सुगमता से उपयोग कर रहे है। इसके अंतर्गत लगभग 226 लाख SSO ID, 242 G2G एवं 161 G2C/G2B एप्लीकेशन्स उपलब्ध करवाई गयी हैं।

7.20 राजबोट

राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए एक चैटबॉट प्लेटफॉर्म की स्थापना हेतु, इस परियोजना की परिकल्पना की गई है। राजबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता) आधारित चैटबॉट है। नागरिक, राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं जैसे कि रजिस्ट्रेशन, सामान्य सूचना FAQs एवं बुकिंग सेवाओं का उपयोग इसके माध्यम से कर सकते हैं।

परियोजना का उद्देश्य

राजबोट में हिंदी एवं अंग्रेजी में संचार करने की योग्यता एवं एक साथ कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक ही समय पर पूछे जाने वाले विभिन्न सवालों के जवाब देने की क्षमता है। राजबोट अपनी इन्हीं क्षमताओं के कारण मानव प्रयासों को कम कर, नागरिकों के विभिन्न निवेदनों को सक्षम तरीके से प्रबंधित करता है। यह प्रत्येक उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सेवायें प्रदान करता है।

परियोजना का लाभ

वर्तमान में, राजबोट को राज्य सरकार के राजकौशल, जनसूचना, वन विभाग एवं राजस्थान संपर्क वेबसाइट एवं वॉट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एकीकृत कर, उपयोगकर्ता को वांछित सूचनाएं प्रदान की जा रही हैं।

7.21 रोबोटिक्स

इलैक्ट्रोनिक माध्यम से संचालित रोबोट विभिन्न आवश्यक स्थानों पर मानव की तरह सहजता से प्रश्नों के उत्तर और मार्गदर्शन कर सकते हैं। रोबोटिक्स तकनीक के माध्यम से आमजन तक, राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) पर कार्य करता है तथा 19 देशी विदेशी भाषाओं को समझकर बात कर सकता है। यह रोबोट्स वॉईस इंटरेक्शन पर भी काम करते हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार के पास 5 Nao Robot और 1 Pepper Robot है।

7.22 आधार डाटा वॉल्ट

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशानुसार आधार नम्बर व उससे संबंधित सूचनाओ को सुरक्षित डेटा वॉल्ट बनाकर रखना अनिवार्य हैं। विभाग ने इसके लिए केन्द्रीकृत आधार डाटा वॉल्ट का निर्माण कर लिया हैं। इसके अतिरिक्त, सभी विभागीय डेटाबेस जहाँ आधार नम्बर विद्यमान है, उन सभी एप्लीकेशन्स में आधार डेटा वॉल्ट का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा हैं। वर्तमान मे आधार डेटा वॉल्ट मे 6.95 करोड से अधिक आधार एवं उससे संबंधित डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित हैं एवं इसकी संख्या लगातार बढती जा रही है। विभाग ने 'HSM as a service' एवं 'DSM as a service' विकसित की है, जिससे दूसरे विभागो को आधार डेटा वॉल्ट विकसित करने में आसानी होगी एवं समय और धन की बचत होगी।

7.23 राज सेवा द्वार (Raj Sewa Dwaar)

राज्य का ई–गवर्नेंस आर्किटेक्चर एक अत्याधुनिक सेंट्रलाइज्ड मिडलवेयर एंटरप्राइज सर्विस बस से जुड़ा हुआ है, जिसे 'राज सेवा द्वार' के नाम से जाना जाता है जो विभाग के अनुप्रयोगों और सेवाओं के बीच सभी इंटर–एप्लिकेशन संचार को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह

केंद्रीकृत तरीके से सभी सॉफ्टवेयर सेवाओं की आसान, सुरक्षित और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करता है।

- राज सेवा द्वार, डिजिटल सेवाओं की केन्द्रीकृत प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सरकारी डिजिटल एप्लिकेशन सेवाऐं एक दूसरे से साझा की जाती है।
- राज सेवा द्वार सभी सेवाओं को केंद्रीय रूप से सूचीबद्ध करके सभी G2G और G2C सेवाओं में कागजी कार्रवाई को कम करता है।
- राजसेवा द्वार का प्रमुख कार्य, राजस्थान के समस्त राजकीय विभागों की, सारी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध करवाना है जहां से एक विभाग अन्य विभागों की सेवाओं का उपभोग कर सकते है।
- राजसेवा द्वार, राजस्थान के लिए केन्द्रीकृत एपीआई स्टोर है, जहां सभी सेवाएं सरकारी विभागों, बाहरी डेवलपर्स, एजेंसियों, संगठनों द्वारा इस ईएसबी प्लेटफॉर्म के माध्यम से API वेब सेवाओं के रूप मे उपयोग के लिए उपलब्ध है।
- राजसेवा द्वार, भाषा बाधा मुक्त सेवा साझीकरण को सक्षम बनाता है। यह सभी सर्विसेज के लिए लॉग्स और आंकडे एक ही जगह पर उपलब्ध करवाता है।

राज सेवा द्वार स्थापत्य के चार प्रमुख तत्व हैं-

- **आईबीएम एडवांस डेवलपर पोर्टल-** यह पोर्टल, राज सेवा द्वार प्लेटफॉर्म पर ऑन.बोर्ड की गई सेवाओं के लिए व्यू बोर्ड डिस्प्ले है।
- **आईबीएम एपीआई कनेक्ट-** एपीआई कनेक्ट का उपयोग अद्वितीय सुरक्षा कुंजी के साथ सेवाओं को प्रबंधित और सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह सदस्यता नीति के आधार पर सेवाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित भी कर सकता है। एपीआई कनेक्ट सेवाओं की विश्लेषणात्मक जानकारी भी प्रदान करता है।
- **आईबीएम डेटा पावर-** डेटा पावर सुरक्षा सुविधाओं को सक्षम करके, राज सेवा द्वार सेवाओं के लिए सुरक्षा गेटवे के रूप में कार्य करता है

- आईबीएम इंटीग्रेशन बस– इंटीग्रेशन बस का उपयोग, सेवाओं को केंद्रीकृत करने के लिए किया जाता है।

राज सेवा द्वार राजस्थान की एक इंटेलिजेंट मिडलवेयर एंटरप्राइज सर्विस बस है जो केंद्रीकृत तरीके से सभी सॉफ्टवेयर सेवाओं की सरल, सुरक्षित और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित करती है।

परियोजना के मुख्य बिंदु-

- सेंट्रल एपीआई रिपोजिटरी कैटलॉग तैयार करना
- प्रमाणित और अधिकृत पहुंच के साथ डेटा का सुरक्षित आदान–प्रदान करना
- सेवाओं की उच्च उपलब्धता और पहुंच का प्रबंधन करना
- संदेश विनिमय प्रोटोकॉल के साथ कॉन्फ़िगरेशन योग्य और स्वचालित रूपांतरण करना
- वास्तविक समय की निगरानी और व्यापार विश्लेषण का प्रबंधन करना
- शासन नीतियां थ्रॉटलिंग दर सीमित आईपी प्रतिबंध करना आदि।

परियोजना के लाभ निम्नानुसार हैं-

- सेवा प्रदाता की आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा सेवा को संशोधित करना।
- ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार कस्टम नीतियां लागू करना।
- बाहरी नेटवर्क पर संगठन सेवाओं तथा एपीआई पर एक प्रॉक्सी परत बनाकर भेद्यता से बचने के लिए संगठनों में संसाधनों को प्रॉक्सी करना तथा प्रकाशक की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय किसी भी सेवा को प्रतिबंधित/बंद करना।
- सेवा उपयोग की केंद्रीकृत निगरानी और ट्रैकिंग।
- प्रदर्शन में सुधार के लिए लोड बैलन्सिंग प्रदान कर सकता है।

राज सेवा द्वार पर एकीकरण और उपयोग-

1150 से अधिक राज्य सेवाओं को राज सेवा द्वार के साथ एकीकृत किया गया है। राज सेवा द्वार के माध्यम से अब तक कुल 599 करोड़ से अधिक लेनदेन किए जा चुके हैं और प्रतिदिन औसतन 60 लाख लेनदेन किए जा रहे हैं। 40 से अधिक राजकीय विभाग, राज सेवा द्वार के साथ एकीकृत हैं। राज सेवा द्वार के माध्यम से जुड़े कुछ विभाग निम्नलिखित हैं–

- पुलिस विभाग

- वन विभाग
- कृषि विभाग
- पीएचईडी विभाग
- परिवहन विभाग
- श्रम और रोजगार विभाग आदि।

7.24 डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर

आज के सूचना युग में सूचना/डाटा का आकार तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं का वितरण करना भी अत्यधिक मात्रा में डाटा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के विशाल मात्रा में संरचित/असंरचित डाटा (विचार, पोस्ट, चित्र आदि) का प्रबंधन करने के लिए यह डाटा, बिगडाटा एनालिटिक्स के तहत एकत्र किया जाता है और इस डाटा का उपयोग विश्लेषण और ग्राफिकल प्रतिरूप बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही विभिन्न सार्वजनिक वितरण मंच से, विषम डाटा/सूचना से गहरी अंतर्दृष्टि (Insights) प्राप्त करने के लिए भी बिगडाटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है।

परियोजना के उद्देश्यः-

1) विभागीय अवलोकन हेतु KPIs की पहचान और KPIs से कार्यदक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण
2) रुझान और पूर्वानुमान
3) नीति अनुपालना
4) साक्ष्य आधारित निर्णय लेना

परियोजना के लाभः-

यह परियोजना विभिन्न राजस्व उत्पन्न करने वाले विभागों (CTD, Excise, Mining, Transport, Registration & Stamp) को न केवल संबंधित विभाग के डाटा का उपयोग करके, बल्कि क्रॉस डिपार्टमेंटल डाटा विश्लेषण का उपयोग करके, कराधार में वृद्धि करने में मदद करती है। साथ ही, इस परियोजना के अधीन, सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाऐं यथा "RGHS" एवं ''चिरंजीवी'' योजना में लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकृत सेवाओं के विश्लेषण का कार्य भी किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों में लागू किए गए कुछ डैशबोर्ड रिपोर्ट्स जो नीति निर्माण और निर्णय लेने में मदद करते हैं, निम्नानुसार हैंः–

i) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विश्लेषणः समाचार विश्लेषिकी
ii) हॉटस्पॉट विश्लेषण
iii) राजस्थान संपर्क जिला/विभाग रैंकिंग डैशबोर्ड
iv) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJED)
v) आइ.एच.एम.एस. (IHMS)
vi) आर.टी.आइ. (RTI)
vii) होर्टीकल्चर (Horticulture)
viii) ई–मित्र डैशबोर्ड
ix) राजनेट एसेट मॉनिटरिंग
x) जनजाती क्षेत्रीय विकास (TAD) विभाग द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान
xi) सामान्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (GCMS)
xii) ई–वे बिल के माध्यम से यात्री बस परमिट का उल्लंघन जांचना
xiii) BSBY डैशबोर्ड
xiv) डाटा लेक
xv) वन्यजीव
xvi) राजस्थान पेमेंट प्लेटफॉर्म (RPP)

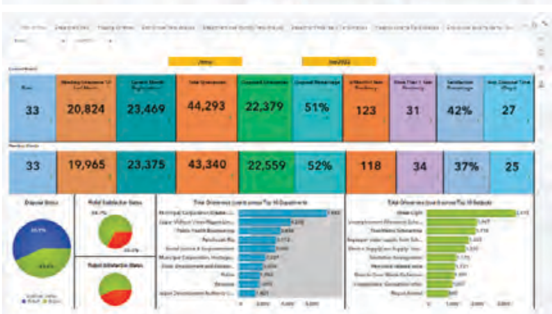

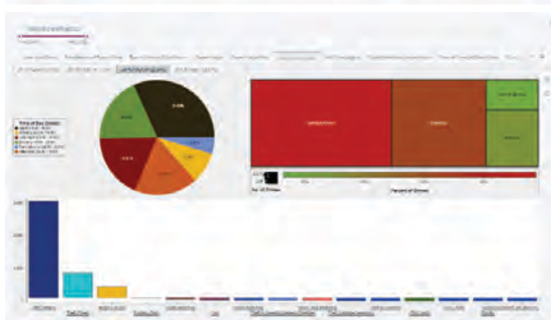

7.25 ई-बाजार

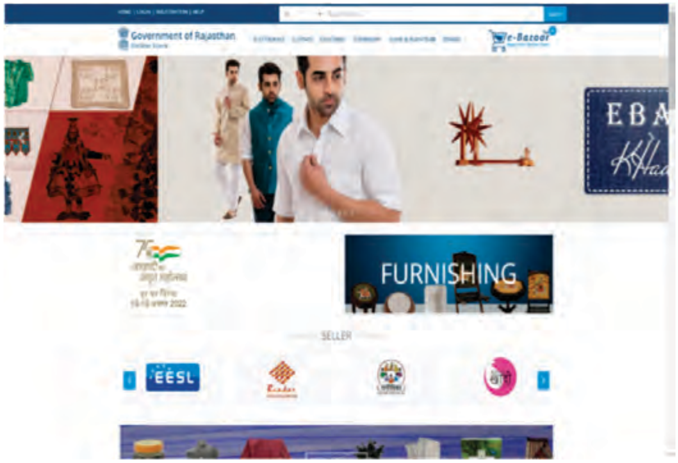

राजस्थान सरकार की नीति के अनुसरण में, ऑनलाइन विपणन में सूचना – प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देने के उद्धेश्य से, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रशासनिक एवं नागरिक कल्याण हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से ecommerce प्लेट फॉर्म विकसित किया गया है। जो कि http://ebazaar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रोजेक्ट के उद्धेश्य-

- योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागो एवं विभागीय सहभागियों के उत्पादों को बिक्री हेतु ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही जगह उपलब्ध करना हैं।

वर्तमान में ई-बाजार पर निम्नांकित विक्रेताओ के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करवाये जा रहे है :-

- Energy Efficiency Services Limited
- Gramya Khadi Handicraft Emporium
- Rajasthali Handicraft Emporium
- Aashayein The Jail Society (An Enterprise Of Jail Department, Government Of India)
- Rajasthan Rajya Sahakari Uta Sangh Confed
- Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh Ltd.
- Ajmer Sahakari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd.
- Jaipur Printers Pvt. Ltd.
- M/S Elite Global Business Services Pvt. Ltd.,
- Aksh Optifibre Ltd.
- Asd Rajasthani Foods Private Limited,

- Naman Enterprise
- Ishivax
- Lofo Services Private Limited
- Nanomatrix Materials Pvt. Ltd
- Begraj Corp
- M/S Star Agriseeds Pvr. Ltd.
- Pure Medical Solutions Private

ई-बाजार पोर्टल द्वारा उपार्जित लाभ-

B2C के अन्तर्गत

- राजस्थान सरकार के विभिन्न विभाग, अर्द्ध सरकारी इकाईयां जैसे खादी, हथकरघा निगम, बुनकर संघ, सहकारी समितियां के उत्पाद इस ऑनलाईन स्टोर पर उपलब्ध करवाये गये हैं।
- सभी प्रकार के वाणिज्यिक लेनदेन/ऑनलाइन भुगतान आदि के लिए 'राजस्थान पेमेंट प्लेफॉर्म' के साथ समाकलित किया गया है। नागरिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑनलाइन भुगतान सुविधा के द्वारा 24x7 ऑर्डर करने की सुविधा प्रदान की गयी हैं।

B2G के अन्तर्गत

- राज्य के पंजीकृत MSME के विभिन्न उत्पाद, राजकीय विभागों द्वारा बिना टेंडर 10 लाख रूपये तक की खरीद व बिक्री ई–बाजार के माध्यम से करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गयी हैं।
- राज्य के पंजीकृत start-ups के उत्पाद, बिना टेंडर 15 लाख रूपये तक की खरीद व बिक्री ई–बाजार के माध्यम से करवाये जाने की सुविधा प्रदान की गयी हैं।

ई-बाजार पोर्टल पर (दिनांक 10.10.2022 तक) किये गये कुल ट्रांजेक्शन -

- कुल सामान विक्रेता : 35
- कुल उपलब्ध उत्पाद : 740+
- कुल प्राप्त हुए आर्डर : 66,554+
- बेची गयी कुल उत्पाद मात्रा : 15.73+ लाख
- कुल राशि : 2116 लाख

7.26 एस.आई.एम.एस. पोर्टल (SIMS: Sales and Inventory Management System)

सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया गया, एक ऑनलाईन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग बिक्री गतिविधि और इन्वेंट्री को एक साथ प्रबंधित व ट्रेक करने के लिए किया जाता है। यह साफ्टवेयर निर्माता और व्यापार पुर्नविक्रेता को एक साथ लाभान्वित करने हेतु बनाया गया है।

प्रोजेक्ट के उद्धेश्य :-

- प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसी स्टोर/विभाग के लिए एक ऑनलाईन सेल्स एंड इन्वेंटरी व्यवस्था करने की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
- SIMS को डायनामिक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम को गतिशील करने की सुविधा।
- परियोजना को दवाईयो की आपूर्ति एवं ब्रिकी के लिए कॉन्फेड में लागू किया गया है।

प्रमुख विशेषताए :-

- SIMS एक साधारण व आसानी से उपयोग में लेने योग्य सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है।
- इसका उपयोग इन्वेंट्री के विवरणों को संग्रहीत करने, बिक्री विवरणों के आधार पर इन्वेंट्री को अपडेट करने, बिक्री के लिए रसीदें तैयार करने और समय–समय पर बिक्री और इन्वेंट्री संबंधी रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- SIMS एक केंद्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली है जो वास्तविक समय पर उत्पादन, खरीद, बिक्री एवं इन्वेंटरी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है जिससे प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेना आसान हो जाता है।

पोर्टल द्वारा उपार्जित लाभ :-

- राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एवं क्रय–विक्रय सहकार समिति के मेडीकल अनुभाग के जन औषधि दवा केन्द्रो व दवा गोदामों पर संचालन हेतु तैयार किया गया है।
- RGHS के अन्तर्गत अनुमोदित निजी दवा केन्द्रो द्वारा RGHS के लाभार्थियों को कैशलेस दवा बिक्री की जा रही है।
- विभिन्न स्टोरों की इन्वेंट्री स्तर पर डिमांड एवं सप्लाई की दक्षता बढाने की सुविधा प्रदान की गई है।

- वेंडर से गोदाम, गोदाम से गोदाम, गोदाम से स्टोर, स्टोर से गोदाम तक स्टॉक ट्रांसफर/वापसी केंद्रीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन के माध्यम से एक सिंक्रनाइज और सुसंगत तरीके से करवाने की सुविधा प्रदान की गई है।
- स्टॉक, मांग एवं आपूर्ति, भंडारण क्षमता, लाभ एवं हानि प्रक्रिया जैसे विभिन्न मानको पर स्टोर के प्रदर्शन में सुधार के अवसरों के ट्रैक, पूर्वानुमान और पहचानने के लिए विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विश्लेषण की सुविधा प्रदान की गई है।
- निर्णय लेने के लिए किसी भी समय कहीं भी वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करना जो प्रशासन को समय पर विश्लेषण करने में मदद करता है और इस प्रकार निर्णय लेने की क्षमता को बढाने की सुविधा प्रदान की गई है।
- SIMS पोर्टल पर (दिनांक 12.10.2022 तक) किये गये कुल ट्रांजेक्शन –
- कुल पंजीकृत दवा विक्रय केन्द्र : 3536
- कुल उपलब्ध उत्पाद : 175928+
- RGHS के अन्तर्गत जारी कुल बिलो की संख्या : 66554+
- RGHS के अन्तर्गत जारी कुल बिलो की कुल राशि :2116 लाख

7.27 रास परियोजना (RAAS–Rajasthan Accountability & Assurance System)

राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सुशासन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस प्रणाली (RAAS) परियोजना लागू की गई है। इसके माध्यम से आपातकालीन सेवाओं के सुचारू संचालन और प्रबंधन हेतु तथा सरकारी वाहनों और सरकारी उपयोग में आने वाले समस्त वाहनों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से GPS tracking का कार्य किया जा रहा है।

RAAS परियोजना के अंतर्गत सरकारी वाहनों में GPS उपकरणों की स्थापना कर, RAAS application के माध्यम से वाहन की वर्तमान लोकेशन, यात्रा–विवरण, ऑन–ऑफ की स्थिति इत्यादि अन्य कई जानकारी की रिपोर्ट उपलब्ध होती है। पुलिस, अग्निशमन, अन्नपूर्णा, वन विभाग के वाहनों में इस तकनीक का प्रयोग किया गया है।

7.28 राजधारा-एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा एकीकृत जी.आई.एस. (GIS) आधारित एकीकृत सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम पर विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए सूचना एवं विश्लेषण हेतु जी.आई.एस. आधारित वेब व मोबाईल एप्लीकेशन्स को विकसित एवं स्थापित कर

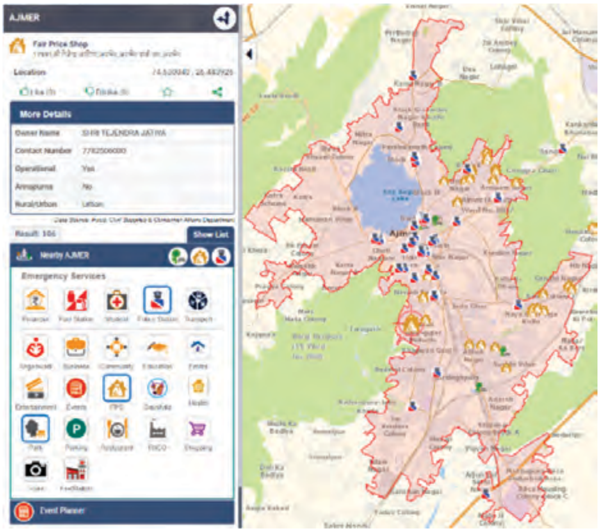

इसे सम्बंधित विभागों को उपलब्ध करवा दिया गया है, जिससे वे इसके द्वारा अपने विभाग की सभी परिसम्पत्तियां के भू–स्थानिक डाटा जोड़ सकें और उपलब्ध डाटा का संधारण/उन्नयन कर सके। यह डाटा GIS आधारित इंटरफेस द्वारा उपलब्ध नक्शे पर दर्शाया जाता है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में विभागों के परिसम्पत्तियां व उनमें उपलब्ध सुविधाओं का विभागीय/ अंतर–विभागीय विश्लेषण किया जा सके।

विभिन्न विभागों/उपक्रमों की परिसंपत्तियों के भू–चिन्हीकरण, विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के भू–चिन्हित सर्वेक्षण, विभागीय कर्मचारियों/अन्य कर्मियों की भू–चिन्हित उपस्थिति तथा क्षेत्रीय स्तर पर दी जाने वाली सर्विस डिलीवरी के निरीक्षण (inspetion) के लिए GIS आधारित राजधारा मोबाइल ऐप विकसित की गई है, जो कि फील्ड कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण व सुविधाजनक साबित हुई हैं। इस ऐप की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका उन्नयन करते हुए नवीन ऐप का विकास किया जा रहा है।

विभिन्न विभागों की सिविल कार्य परियोजनाओं की योजना बनाने, प्रगति की निगरानी व प्रबंधन के लिए GIS आधारित Work flow Management System (GWMS) विकसित किया गया है। इस सिस्टम द्वारा ऑनलाइन कार्य योजना, BSR व non-BSR आधारित तकमीना (Estimates), Schedule of Power पर आधारित अनुमोदन, e-sign से प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति व कार्यादेश जारी करना, भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों milestones के आधार पर कार्य की विस्तृत योजना बनाना इत्यादि कार्य किये जा सकते हैं। साथ ही डैशबोर्ड पर कार्य की प्रगति का सभी स्तरों पर प्रबन्धन किया जा सकता है। कार्य की प्रगति की GIS आधारित निगरानी करने के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। इस सिस्टम को सार्वजनिक निर्माण विभाग में वर्ष 2021–22 में स्थापित कर दिया गया था। विभाग की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप इस के एप्लिकेशन के उन्नयन कार्य के साथ इस सिस्टम को जल जीवन निगम में स्थापित करने हेतु भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सम्पूर्ण राज्य के लिये सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर उसको भू संदर्भित किया जा कर विभिन्न विभागों के लिये इमेजरी बेसमैप के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इस इमेजरी बेसमैप को

आधार मानते हुए महत्वपूर्ण भू–संरचनाओं यथा सड़क व रेल मार्ग, जल–संरचनाएं इत्यादि का GIS प्लेटफॉर्म पर अंकन (Digitization) कर सभी विभागों के उपयोग के लिये मैप–सर्विस के रूप में स्थापित किया जा चुका है। संसाधित इमेजरी का उपयोग विभिन्न विभागों यथा RUIDP, SRSAC, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग इत्यादि द्वारा किया गया है जब कि basemap को GIS आधारित applications पर उपयोग हेतु उपलब्ध करवाया गया है।

GIS 3D initiatives के अंतर्गत चयनित ऐतेहासिक स्मारकों के virtual संरक्षण करने हेतु जयपुर के हवामहल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हाल म्यूज़ियम, सिटी पैलेस, चारदीवारी के आठ दरवाजे व आमेर किला के साथ साथ उदयपुर के सिटी पैलेस एवं कुंभलगढ़ किले की 3D Scanning कर इनका 3D virtual मॉडल बनवाया गया है। साथ ही 3डी मॉडल से पर्यटन विकास एवं सामान्यजन की जानकारी हेतु विभिन्न सॉफ्टवेर उत्पाद यथा Video Walkthroughs, Oculus आधारित 3D walkthrough, Light & Sound Shows तथा Mobile Games आदि का विकास भी करवाया गया। Video Walkthroughs को https://bioscope.rajasthan.gov.in, https://rajasthan.gov.in एवं https://www-tourism.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। Mobile Games Google play store पर उपलब्ध हैं और Oculus आधारित 3D walkthrough और Light–Sound Shows को विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनियों में जन–सामान्य के लिए प्रदर्शित किया जाता है।

7.29 राज ई. आर. पी.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों को ऑनलाइन करने हेतु Standard Customizable व Configurable Package (HR, MM, WPM, AFM etc- मॉडयूल्स) विकसित।

परियोजना के लाभः-

- विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली में एकरूपता लाना।
- मितव्ययी समाधान।
- आवश्यकतानुसार बिना लागत के परिवर्तन संभव।
- Cost Specific process के लिये GOTS/COTS product.

वर्तमान स्थिति

सरकारी उपक्रमों –RISL, Jaipur Metro Rail Corporation, RSIL, RSMML तथा 5 विद्युत निगम व उर्जा कंपनियों JVVNL, AVVNL, JdVVNL, RVPNL, RVUNL में क्रियान्वयन।

7.30 राज-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Raj-LMS)

Raj-LMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के लिए Bi - Lingual (हिन्दी एवं अग्रेजी) ऑनलाईन प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन पोर्टल है। पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री, ऑनलाईन एवं क्लास रूम प्रशिक्षण, कर्मचारियों/ विद्यार्थी/नागरिको के लिए ऑनलाईन मूल्यांकन की व्यवस्था है, साथ ही पोर्टल पर प्रशिक्षु की प्रगति टेकिंग कौशल दक्षता विश्लेषण एवं प्रशिक्षण के लिए अनुशंषा की सुविधा उपलब्ध है। विभाग एप्लीकेशन और सामग्री निर्माण उपकरण का उपयोग करके अपनी सामग्री (content) बना सकते हैं।

वर्तमान स्थिति

- लगभग 1,25,000 उपयोगकर्ताओं वाले एलएमएस का उपयोग करने वाले 6 संबंद्ध विभाग हैं– राजस्थान पुलिस, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ई–मित्र, डीओपी, प्रशिक्षण निदेशालय और कॉलेज शिक्षा विभाग।
- राजस्थान पुलिस को आंतरिक पदोन्नति के लिए डिजिटल सामग्री का विकास (creation of digital contents and questionnair) और प्रशिक्षण,
- राजस्थान चिकित्सा परिषद और वन प्रशिक्षण संस्थान को डेमो दिया गया।
- क्राउड सोर्सिंग मोबाइल ऐप तैयार कर कॉलेज शिक्षा विभाग को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

  URL: https://rajlms.rajasthan.gov.in

7.31 जयपुर 3D सिटी परियोजना

बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के अनुसार जयपुर शहर के लिए जीआईएस आधारित 3D मॉडल बनाने की घोषणा की गयी थी, जिसकी अनुपालना में इस परियोजना की क्रियान्विति की गई है।

परियोजना का उद्देश्य-

3D सिटी परियोजना (लगभग 3000 वर्ग कि० मी० जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2025 के अनुसार) का क्रियान्वन 3D GIS वातावरण में बुनियादी ढांचे के

विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन, 3D सिटी मॉडलिंग और प्रभाव आकलन करने, दृष्टिगोचर बनाने, अनुकरण करने, योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए किया गया है।

परियोजना के लाभ-

- शहर का समग्र 3D दृश्य जो जयपुर शहर के वर्चुअल/डिजिटल ट्विन एवं शहर के लिए एकीकृत निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए चिंता के क्षेत्र (area of concern) को दृष्टिगोचर करने और विश्लेषण करके कानून और प्रशासन में सहायता करना।
- आपातकालीन और आपदा प्रबंधन यथा आग, बाढ़, भूकंप या कोई अन्य आपात स्थिति में जीवन बचाने के लिए भी जमीनी स्तर पर त्वरित कार्रवाई में सहायता करना।
- क्षेत्र में दौरा किये बिना विभिन्न नियोजन परिदृश्यों की योजना को दृष्टिगोचर बनाना, योजना बनाना, अनुकरण करना आदि से शहर की योजना बनाने में सहायता करना।
- बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना बनाना और निगरानी में सहायता करना।

कार्यों का संक्षिप्त विवरण-

- 3D सिटी प्लेटफॉर्म Rajasthan State Data Center में स्थापित कर दिया गया है।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग के Ground Control Points एवं Benchmarks को उपयोग में लेते हुए डीजीपीएस सर्वेक्षण (मय स्थायी स्मारक स्थापित करना) का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- परियोजना क्षेत्र का डिजिटल सरफेस मॉडल (DSM @ 40 cm), डिजिटल टैरेन मॉडल (DTM @ 40 cm using aerial LiDAR), कंटूर (contour @ 50 cm interval), ट्रू ऑर्थो इमेजरी (@ 08 cm using aerial photography) स्लोप/आस्पेक्ट इमेजरी (@40 cm), ड्रैनेज इमेजरी (@ 40 cm), 3D बेस मैप, 3D लैंड–यूज़/लैंड कवर, 3D मैश मॉडल और शहर की विभिन्न प्रकार अवसरंचनाओं यथा ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक पोल, ट्रांसमिशन टावर, ओवरहेड वाटर टैंक, बस स्टैंड आदि के 3D मॉडलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- परियोजना क्षेत्र की बिल्डिंग/भवनों के LoD (Level of Details) LoD 0, LoD 1, LoD 2, LoD 2.5 मॉडलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- शहर के विकास और प्रशासन प्राधिकरणों के लिए शहरी योजना एवं विकास, आपातकालीन/आपदा प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट मैनेजमेंट, यूटिलिटीज मैपिंग, सेवा वितरण प्रबंधन, सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, कानून और सुरक्षा व्यवस्था की योजना और अनुकरण, शोर उत्सर्जन विश्लेषण, यातायात प्रबंधन/नेविगेशन सिस्टम और मार्ग ढूँढना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया एनालिटिक्स आदि के लिए यूज़केस विकसित किए गए है।

- विभिन्न विभागों यूडीएच, एलएसजी, नगर नियोजन, जेडीए, जेएनएन, आरएचबी, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, एमएनआईटी, पीएचईडी आदि विस्तृत प्रशिक्षण भी दे दिया गया है।

- विभिन्न विभागीय डाटा सेट जैसे जेडीए का मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2025, मास्टर डेवलपमेंट प्लान–2011, जोनल डेवलपमेंट प्लान, जेडीए एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, नाहरगढ़ इको–सेंसिटिव जोन, खसरा/राजस्व गांव का नमूना मानचित्र, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का कलर कोडिंग जोन मानचित्र (CCZM), जयपुर नगर निगम (ग्रेटर और हेरिटेज) के वार्ड, जोन और कॉलोनी की सीमा, वन सीमा, डीएलसी नमूना मानचित्र, पुलिस थाना सीमा, पीएचईडी के जल आपूर्ति पाइपलाइन का नमूना नक्शा, भूमिगत नाले का नमूना नक्शा आदि का भी 3D सिटी सोल्यूशन में एकीकरण कर दिया गया है।

  उपरोक्त समस्त डेटा सेट SSO ID के माध्यम से 3D सिटी सॉल्यूशन में उपयोग हेतु उपलब्ध है।

7.32 चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)

CMIS राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए एक वेब–आधारित अनुप्रयोग है। सीएमआईएस पोर्टल राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं और प्रमुख परियोजनाओं के सभी निर्णयों/दिशा–निर्देशों की समग्र प्रगति/स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

CMIS के मॉड्युल निम्नानुसार है :-

Transaction	Report	Other
• Budget Announcement • Cabinet Decision • CM Announcements • CM Direction • CM Direction • Jan Ghoshna Patra • Recruitment	• Budget Announcement Report • Cabinet Decision Report • CM Announcements Report • CM Direction Report • CM Direction Report • Jan Ghoshna Patra Report • Recruitment Report	• Grievence Monitoring System • VIP Letter Monitoring System • News Monitoring System • Issues(PR) Monitoring

8 मानव संसाधन विकास

8.1 सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण

विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अति आवश्यक हैं। इसके लिये विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता में सुधार करने के लिये, विभिन्न तकनीकों/प्रौद्योगिकियों पर नियमित रूप से ऑन–साइट/ऑनलाइन प्रशिक्षण करवा रहा हैं। माह सितम्बर 2022 तक लगभग 900 कार्मिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

8.2 इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए, राजस्थान सरकार ने दिशा–निर्देश जारी किये हैं, जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है, उसको नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।

8.3 राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड को मिटाने हेतु स्थापित, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुर्नभरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। साथ ही नागरिकों को भी 'RSCIT' पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिया जाता है। इसके माध्यम से लगभग 6447 ITGK खोले गये है जिनमें लगभग 64.23 लाख प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2022 मे नए ज्ञान केन्द्र नहीं खोले गये है तथा दिनांक 20.12.2022 तक लगभग 6.58 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

8.4 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL), जयपुर

राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसी क्रम में राज्य के युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट–अप के लिए रोजगार के अवसरों को बढाने की आवश्यकता है।

इस हेतु राज्य के युवाओं, उद्योगों, एमएसएमई (MSME) एवं स्टार्ट–अप को नवीनतम उन्नत

प्रौद्योगिकी क्षेत्र (AdvancedTechnology) जैसे

- इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफेक्चरिंग (ESDM),
- मेडिकल टेक्नोलॉजी (Med-Tech),
- क्लाइमेट टेक्नोलॉजी (Climate-Tech),
- एग्रिकल्चर टेक्नोलॉजी (Agri-Tech) एवं
- भविष्य की नई संभावित उन्नत प्रौद्योगिकी इत्यादि

के क्षेत्र में पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा, हेतु वित्त वर्ष 2021–22 के राज्य बजट में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) स्थापित करने की घोषणा की है।

RIAL अत्याधुनिक एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम एवं अनुसंधान और विकास हेतु उन्नत तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की प्रयोगशाला (Lab) स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। RIAL उद्योगों को तकनीकी परामर्श प्रदान करने और पेशेवरों, छात्रों और स्टार्टअप्स को उन्नत तकनीकों में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के सहयोग से प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

उद्देश्य एवं लाभ

संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न उन्नत तकनीकों जैसे एआई/एमएल (AI/ML), आईओटी (IOT), ब्लॉक–चेन एवं बिग डाटा आदि का उपयोग करके अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन (स्टार्टअप के लिए) और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना RIAL का प्रमुख उद्देश्य हैं ।

साथ ही ईएसडीएम, मेडी–टेक, क्लाइमेट–टेक एवं एग्रीटेक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकियों की सहायता के लिए उन्नत एल्गोरिथम, अनुप्रयोग और विधियों के लिए एक अत्याधुनिक अनुसंधान, विकास और परीक्षण सुविधाओं/प्रयोगशालाओं का विकास करना तथा उपरोक्त क्षेत्रो में डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रम करवाना भी RIAL का कार्यक्षेत्र हैं ।

उद्योगों/युवाओं/तकनीकी शिक्षण संस्थान/स्टार्टअप्स के लिए तकनीकी परामर्श और

समाधान के लिए एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म विकसित करना और उद्योग की जरूरतों और प्रासंगिकता के आधार पर लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम तैयार करना एवं प्रशिक्षण करवाना।

नई पीढ़ी के तकनीकी उद्यमी तैयार करना, जो तकनीकी इनक्यूबेशन और स्टार्ट–अप सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए तैयार हो।

शिक्षा, छात्रों, उद्योग और उद्यमियों को अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास, सर्विसिंग का विस्तार, कौशल विकसित करना, प्रोटोटाइप विकसित करना, और वन–स्टॉप समाधान के रूप में अत्याधुनिक तकनीकी प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराना।

नवाचार, अविष्कार और प्रोडक्ट प्रोटोटाइप विकसित करने हेतु एवं स्टार्ट–अप और उद्योगों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मूल्यांकन के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) बनाना।

प्रस्तावित गतिविधि एवं विशेषताएं

- राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (RIAL) को उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों की प्रयोगशालाओं से लैस एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक प्रशिक्षण सह अनुसंधान एवं विकास सुविधा के रूप में विकसित किया जाना है।
- संस्थान में प्रायोजित किये जाने वाले सारे कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, औद्योगिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जायेंगे, जो कि प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्रों में अति विशेषज्ञता (Super Speciality) के लिए राज्य के युवाओ को तैयार करेंगे।
- संस्थान के संकाय (Faculty), सलाहकार पैनल और विशेषज्ञ दल में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी से संबंधित विज्ञजन, स्टार्ट–अप और शीर्ष शिक्षाविद शामिल होंगे।
- RIAL इंडस्ट्री, स्टार्टअप एवं उच्च शिक्षण संस्थान जैसे विभिन्न हितधारको के लिए तकनीकी परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करने का एकल समाधान केंद्र बनकर उभरेगा।
- RIAL विभिन्न क्षेत्रों जैसे ईएसडीएम, मेडी–टेक, क्लाइमेट–टेक एवं एग्री–टेक आदि के लिए उन्नत तकनीको से युक्त अलग–अलग "सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च" स्थापित करेगा जिसमे अंतराष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होगी।
- RIAL उद्योगोन्मुख अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ सभी क्षेत्रों में उपलब्ध एडवांस्ड लर्निंग और अनुसंधान के लिए अनूठा इंस्टीट्यूट होगा।

प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों हेतु चयनित क्षेत्र

- इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैनुफेक्चुरिंग (ESDM)

- मेडिकल टेक्नोलॉजी (Med-Tech),
- क्लाइमेट टेक्नोलॉजी (Climate-Tech)
- एग्रिकल्चर टेक्नोलॉजी (Agri-Tech)
- टेक्सटाइल (Textile)
- केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल (ChemicalandPetro-chemical)
- ऑटोमोबाइल, ऑटो कोम्पोनेंट्स एंड इलैक्ट्रिक वाहन
- जैम्स एंड ज्वेलरी
- राजस्थान के लिए कोई अन्य प्रासंगिक क्षेत्र एवं
- भविष्य की नई संभावित उन्नत प्रौद्योगिकी आदि

8.5 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RGFDI), जोधपुर

- फिनटेक दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। फिनटेक क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के वितरण में तीव्रता, मजबूती, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए तथा वित्तीय अनुप्रयोगो के विकास एवं उत्पादो में नई डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। देश में फिनटेक स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र मे वृद्धि के साथ, वित्तीय और नवीन आई. टी. प्रौद्योगिकियों के मिश्रित कौशल वाली जनशक्ति की आपूर्ति एवं उपलब्धता में एक बड़ा अंतर है।
- राज्य के युवाओं को फिनटेक क्षेत्र में तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने बजट सत्र वर्ष 2021–22 में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की घोषणा की थी।
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) को राज्य विधानसभा से पारित एक अधिनियम के तहत स्थापित किया जाएगा तथा इसे पब्लिक विश्व विद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा और सफल उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार होगा।
- इस संस्थान में दो प्रकार के पाठयक्रम आयोजित किये जाएंगें–
- प्रथमतः यह एक फिनिशिंग स्कूल की तरह कार्य करेगा जहां ड़िजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण–पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।
- द्वितियतः यह इंस्टीट्यूट विश्वविधालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त होगा तथा यह संस्थान वित्तीय

प्रौद्योगिकी डोमेन में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरेट अनुसंधान के पाठयक्रम आयोजित करेगा।

उद्देश्य एवं लाभ

- यह इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। यह संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान डॉक्टरेट डिग्री के पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान डॉक्टरेट डिग्री के पाठ्यक्रम से राज्य में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के (BFSI) क्षेत्र में आई.टी. प्रौद्योगिकियों के साथ मिश्रित कौशल की उच्च गुणवत्ता वाली कुशल जनशक्ति तैयार होगी साथ ही एक फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम भी विकसित होगा, जो राजस्थान में स्टार्ट–अप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा। जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) वित्त और प्रौद्योगिकी डोमेन में मौजूदा अग्रणी उद्यमियों के साथ भी गठजोड़ करेगा ताकि फिनटेक उद्योगों की प्रासंगिकता के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं प्रायोजित अनुसंधान सुनिश्चित किए जा सकें तथा इन–हाउस इन्क्युबेशन सेन्टर की मदद से भविष्य के उद्यमियों को अपने फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डिप्लॉय करने में सुविधा प्राप्त हो सके।
- राज्य के युवाओं को राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RFGDI) में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के (BFSI) क्षेत्र में विशिष्ट कौशल के साथ–साथ Wealthtech, Broking, SaaS, एवं InsureTech, Alternate Lending (वैकल्पिक वित्तीय लेनदेन के साधन), Digital Payment इत्यादि जैसी नवीनतम आई.टी. तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जायेगा।
- साथ ही राज्य को, अपनी फिनटेक परियोजनाओं के लिए भी उन्नत तकनीक की जन–शक्ति उपलब्ध हो पायेगी।

प्रस्तावित स्कूल

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के तहत चार स्कूल ऑफ स्टडीज स्थापित करने का प्रस्ताव हैं:–

- स्कूल ऑफ फाईनेन्शियल इन्फोर्मेशन सिस्टम
- स्कूल ऑफ फाईनेन्शियल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी एवं मार्केट
- स्कूल ऑफ फाईनेन्शियल सिस्टम एंड एनालेटिक्स
- स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप

प्रशासनिक व्यवस्था (संस्थान की प्राधिकृत निकाय एवं निकाय)

- शासी मण्डल
- अकादमिक परिषद
- वित्त और खरीद समिति
- प्रवेश समिति
- परीक्षा समिति
- चयन समिति
- आउटरीच और उद्योग गठबंधन समिति
- ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें विनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकरण घोषित किया जा सकता है

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (RGFDI), जोधपुर के निर्माण के लिए प्रस्तावित प्रारूप

8.6 राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT)

राजस्थान ने प्रौद्योगिकी, व्यवसायिक शिक्षा और स्टार्ट–अप सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के राज्य के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 53 में राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर–केट) की घोषणा की गई थी। इसके अनुक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर–केट) की स्थापना कर वर्ष 2022 में राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक सोसायटी के रूप में निगमित किया गया है। इसे सूचना केन्द्र जयपुर कैम्पस में स्थापित किया गया। इसका विधिवत् उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2022 को किया गया ।

आर–केट में उन्नत और उभरती आईटी प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाऐगा। इसमें मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग (एआई–एमएल), ब्लॉकचैन, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और क्वांटम कम्प्युटिंग इत्यादि तकनीकी पाठयक्रम को शामिल किया जायेगा। जिससे तकनीकी स्नातक, तकनीकी पेशेवर व स्टार्टअप इत्यादि के लिये तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कम्पनियॉ जैसे ओरेकल, वीएम वेयर, एसएएस, रेड हैट इत्यादि के प्रमाणन पाठ्यक्रम एक सप्ताह से छः माह की अवधि के साथ संचालित किए जावेगें।

परियोजना का उद्देश्य एवं लाभ

आर–केट उन्नत और उभरती आईटी तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग (एआई–एमएल), ब्लॉकचैन, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और क्वांटम कम्प्युटिंग इत्यादि ग्लोबल सर्टिफाइड पाठयक्रम के प्रशिक्षण आयोजित करेगा। इससे राजस्थान के युवाओ (स्नातक/स्नातकोत्तर) को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें। उक्त प्रशिक्षण से तकनीकी महाविद्यालयों में अध्ययनरत/उत्तीर्ण विद्यार्थीयों, अध्यापकों, उद्योगों व सरकारी/ गैरसरकारी कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

परियोजना की प्रगति

आर–केट संस्थान द्वारा अब तक छः ग्लोबल सर्टिफाइड कम्पनियों (Oracle, SAS, VM Ware, Red Hat, CISCO & Autofina Robotics) के साथ MOU साइन किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में अब तक आर–केट द्वारा लाभान्वित किये गये 320 लाभार्थी हैं। जिनका सम्पूर्ण खर्च लगभग 230 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है ।

आर–केट का परिदृश्य

9. अन्य विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं

9.1 वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी-पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)

वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS) परियोजना रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जवाई बांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, और झालाना नेचर पार्क जैसे वन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी सोल्यूशन हैं जो उच्च स्तरीय थर्मल/ऑप्टिकल कैमरें, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि से परिपूर्ण है।

संपूर्ण सॉल्यूशन में निम्न शामिल हैं:

- **ऑनसाइट सेटअप:** टॉवर/पोल, थर्मल, ऑप्टिकल और पीटीजेड कैमरे (PTZ), रेडियो सेटअप, सोलर सोल्यूशन, Aviation lighting, नेटवर्क स्विच आदि।
- **लोकल कंट्रोल रूम सेटअप:** सर्वर, Computer Storage, पीएसी, आवश्यक सॉफ्टवेयर/एप्लिकेशन, नेटवर्क उपकरण, वर्क स्टेशन केबिनेट आदि से सुसज्जित स्थानीय मॉड्यूलर और कंटेनरीकृत डेटा केंद्र प्रत्येक साइट पर मॉड्यूलर कंटेनर में स्थापित किए जाते हैं।
- **सॉफ्टवेयर/अनुप्रयोग:** वीएमएस, सीसीसी, एनालिटिक्स, हेल्पडेस्क आदि
- **संचार उपकरण:** बेस रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो हैंडसेट, और आरओआईपी (ROIP)
- एकीकरण सपूर्ण साल्यूशन विभिन्न राजस्थान आई टी ब्लाक्स जैसें Raj SSO, एम्बेडेड, एनालिटिक्स, हेल्पडेस्क आदि के साथ एकीकृत हैं।
- फाइबर के माध्यम से स्थानीय नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के बीच कनेक्टिविटी प्रदान की गई।

- UAV (मानव रहित वाहन): ग्राउण्ड स्टेशन, एकीकृत मिशन योजना, केंद्रीय और निगरानी सॉफ्टचेयर

WS&APS एप्लीकेशन के उद्देश्य-

तकनीक सक्षम WS&APS एप्लीकेशन वन विभाग की निगरानी प्रणाली और निगरानी तंत्र में सुधार करेगी :

- बाघ और अन्य वन्यजीव जानवरों का संरक्षण करना
- वन अधिकारियों की निगरानी क्षमता में सुधार करना
- अवैध शिकार या अन्य वन्यजीव अपराध प्रवण क्षेत्रों की पहचान
- घुसपैठ, अवैध शिकार और अवैध खनन की निगरानी करना
- प्रभावी निर्णय लेने के लिए तथ्य आधारित जानकारी प्रदान करना

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति-

WS&APS चरण–1 परियोजना अक्टूबर, 2017 में प्रारम्भ हुई एवं दिनांक 10 दिसम्बर 2019 में गो–लाईव हुई और वर्तमान में यह परियोजना कार्यान्वयन चरण में है।

WS&APS चरण–2 परियोजना वर्तमान में स्थापना एवं कमीशनिंग चरण में हैं।

WS&APS एप्लीकेशन से उपार्जित लाभ-

- 24x7 निगरानी और अवैध शिकार विरोधी प्रणाली की स्थापना
- बाघ या अन्य पहचान किए गए वन्यजीव प्रजातियों के गतिविधि की स्वचालित निगरानी
- किसी भी वन्यजीव अपराध / पशु की प्रतिक्रिया / बचाव की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार
- वन्यजीव / वन अपराध के खिलाफ रोकथाम प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना
- परिचालन संचालन स्तर की दक्षता और प्रभावी निर्णय लेने के लिए सिस्टम संचालित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

WS&APS एप्लीकेशन पर कुल ट्रांजेक्शन-

WS&APS एप्लीकेशन एक निगरानी समाधान है जहां कोई ट्रांजेक्शन डेटा कैप्चर नहीं किया जाता है। हालाँकि, सिस्टम जनरेट अलर्ट या अलार्म (गतिविधि / अवैध प्रवेश) और Incidence का विवरण अग्रलिखित अनुसार हैं:–

क्र.सं.	प्रकार	संख्या
1.	अलर्ट / अलार्म	97 लाख से अधिक
2.	इंसीडेन्ट्स की सूचना	14,000
3	AI डिटेक्शन	2,27,223

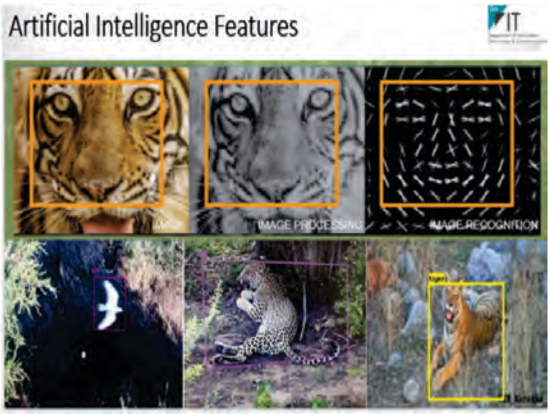

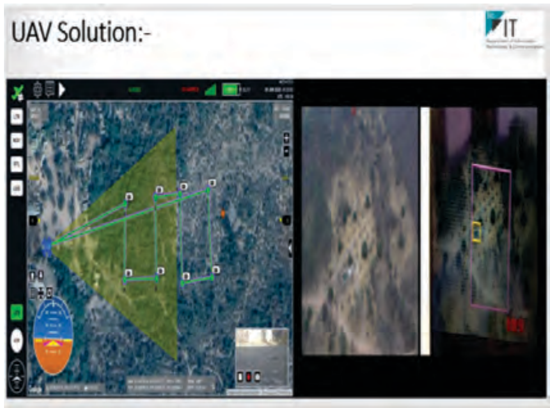

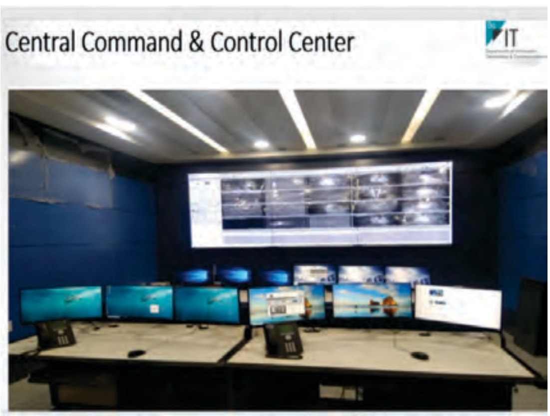

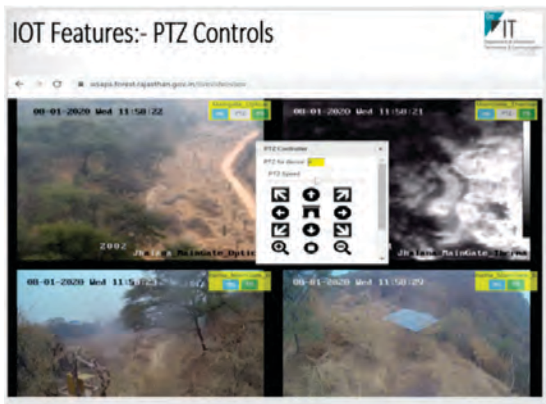

9.2 आई.टी. इनेबलमेन्ट ऑफ सिलिकोसिस पेशेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड डिसबर्समेन्ट सिस्टम

सिलिकोसिस मरीजों को सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति के अन्तर्गत जारी किये जाने वाला आर्थिक लाभ, पारदर्शी एवं सीधा नगद हस्तान्तरण प्रदान करने के उद्देश्य से इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसका उपयोग करते हुये चिकित्सा विभाग, खान विभाग तथा श्रम विभाग सुगमता से सिलिकोसिस प्रकरणों की मेडिकल जॉच, दस्तावेजों का सत्यापन, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र तथा आर्थिक अनुदान जारी करते हैं। जनआधार का उपयोग करते हुये लाभार्थियों का पंजीकरण, पहचान एवं अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाता हैं। लगभग 30,000 सिलिकोसिस पीड़ितों को अब तक सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान की जा चुकी हैं। सिलिकोसिस के प्रमाणीकरण प्रक्रिया के सरलीकरण एवं भुगतान स्वीकृती आदेश को स्वतः स्वीकृत माध्यम से जारी किये जाने हेतु नये पोर्टल का निर्माण किया गया है।

9.3 वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)

FMDSS को एक एकल एकीकृत वेब आधारित प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। इस पोर्टल द्वारा वन विभाग के विभिन्न सेवाओं अनुभागों की गतिविधियों का ऑनलाइन प्रबंधन किया जाता है एवं नागरिक वन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं

FMDSS पोर्टल में निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित किये गए हैं -

1. Citizen Service Delivery Module
2. Forest Development Management Module
3. Forest Production Management Module
4. Financial Management Module
5. Forest Protection Management Module
6. Forest Administration and Land Management
7. Comprehensive & Interactive Dashboard
8. Plantation and Monitoring Module
9. Nursery Module
10. NOC Module

- FMDSS के विभिन्न मॉड्यूल के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।
- प्लांटेशन मॉनिटरिंग एप की मदद से प्लांटेशन साइट्स की मॉनिटरिंग की जा रही हैं।
- वन क्षेत्र में अपराध और अतिक्रमण को कम करने के लिए वन संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

- इस एप्लीकेशन का उपयोग करके, नागरिक राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं ।
- यह एप्लीकेशन वन विभाग के निकट नर्सरी, पौधों की जानकारी प्रदान करता है ।
- यह एप्लीकेशन बांस, लकड़ी आदि की नीलामी के लिए जानकारी प्रदान करता है ।
- यह पोर्टल मुख्यालय, मंडल कार्यालय, रेंज कार्यालय और वनस्थल के भीतर त्वरित सेवा विनिमय और सूचना प्रदान करता है।

उत्पादन

- कुल वनोपज नीलामी – 6431(राजस्व – रुपये 6487 लाख)

विकास

- वित्तीय वर्ष 22–23 में 59 लाख पौधों (192 प्रकार के पौधों) की कुल स्टॉक क्षमता के साथ संचालित 627 नर्सरी साइट
- एफएमडीएसएस द्वारा 6542 सक्रिय साइटों की ऑनलाइन रीयल टाइम निगरानी की जा रही है

संरक्षण

- कुल पंजीकृत वन अपराध – 1,15,906
- कुल पंजीकृत आग की घटनाएं – 10,919

अनुमति/एनओसी

- जारी एनओसी –4605 (राजस्व – रुपये 64 लाख)

नागरिक सेवा

- कुल ऑनलाइन बुकिंग –984527 (राजस्व – रुपये 163.5 करोड़)

9.4 आरटीआई पोर्टल

राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहाँ सभी विभागों/बोर्डों/स्वायत शासन संस्थाओं को ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल पर जोड़ दिया गया है। "आरटीआई" पोर्टल पर आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत अनिवार्य सभी सूचनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती है।

इसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 01 अक्टूबर 2013 को शुरू किया गया था। वर्तमान में 275 विभाग के 58000 से अधिक सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी ऑनलाइन "आरटीआई" पोर्टल rti.rajasthan.gov.in का उपयोग कर रहे हैं।

परियोजना का उद्देश्य-

"आरटीआई" पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिक द्वारा आरटीआई अधिनियम–2005 के तहत अनिवार्य सभी सूचनाएं एवं सेवाएं प्राप्त करने हेतु ई–मित्र कियोस्क या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आरटीआई आवेदन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करवाना हैं। पोर्टल विभागीय उपयोगकर्ताओं को आरटीआई आवेदनों और अपीलों को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए रखने और संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल राज्य में सरकारी पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर सूचना, ट्रैकिंग और रिपोर्ट आवश्यकताओं (एमआईएस) की सेवा उपलब्ध करवाता है। यह पोर्टल सूचनाओं के आदान–प्रदान और प्रसार के लिए राजस्थान सरकार के कार्यालयों और नागरिकों के बीच एक सेतु प्रदान करता है।

राजस्थान सूचना आयोग मॉड्यूल के अन्तर्गत नागरिकों के लिए "आरटीआई" पोर्टल के माध्यम से दर्ज द्वितीय अपीलों एवं परिवादों/आवेदनों की निस्तारण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है।

1. नागरिकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदनों की डाक दर्ज करना।
2. संविक्षा (स्क्रूटनिंग) व सुनवाई दिनांक निर्धारण हेतु नोटिस जारी करना।
3. अपीलों एवं परिवादों के निर्णयों की प्रति ऑनलाईन उपलब्धता।

परियोजना का लाभ-

1. नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके स्वयं या ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के साथ साथ आवेदन शुल्क भी ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड और ई–मित्र के माध्यम से जमा कर सकता है।
2. आरटीआई आवेदनों और अपीलों की तय समय सीमा में ट्रैकिंग।
3. पत्र और नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस और ईमेल ट्रिगरिंग) से सूचना स्वतः उत्पन्न।
4. सभी विभागों की रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा।
5. द्विभाषी अनुप्रयोग उपयोग में आसानी देता है।
6. नागरिक के यात्रा के समय और लागत में कमी, समयबद्ध सूचना विवरण, कार्यालयों का शून्य या कम दौरा।
7. ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदनों और अपीलों को दर्ज करने और संसाधित करने में उपयोगकर्ताओं की मदद करने के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है।

8. पोर्टल पर सभी पंजीकृत विभागों के लिए आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से उपयोगकर्ता लाभान्वित हुए एवं यह प्रशिक्षण विभागों के अनुरोध अनुसार लगातार जारी है।

दिनांक : 14.10.2022 तक की स्थिति

	कुल प्राप्त	निस्तारित
आर.टी.आई आवेदन	149228	112597
आर.टी.आई अपील	21921	10218

9.5 अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर

जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों सहित सभी 33 जिलों में अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित हैं:–

- वीडियो निगरानी तंत्र
- डायल 100 नियंत्रण कक्ष
- फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली
- कुशल यातायात प्रबन्धन तंत्र
- वाहन ट्रेकिंग तंत्र
- भौगोलिक सूचना तंत्र

परियोजनान्तर्गत प्रगति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विषय	विवरण
1	कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना	सभी 7 संभागों और 26 जिला मुख्यालयों पर स्थापित कर कार्यशील है। वीडियो निगरानी तंत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में कुल 8152 लाइव कैमरो एवं 255 ऑफलाईन कैमरों के द्वारा सतत निगरानी डायल 100 नियंत्रण तंत्र सभी जिलों (24X7) कार्यशील

जिले वार स्थापित कैमरों की स्थिति

S.No.	District Cameras	Live Cameras	Offline Cameras	Total
1	अजमेर	469	46	515
2	भीलवाड़ा	202	0	202
3	नागौर	178	8	186
4	टोंक	161	0	161
5	भरतपुर	378	0	378
6	धौलपुर	133	0	133
7	करौली	114	0	114
8	सवाई माधोपुर	140	0	140
9	बीकानेर	547	0	547
10	चूरू	43	5	48
11	हनुमानगढ़	211	6	217
12	श्रीगंगानगर	204	2	206
13	जयपुर	1281	10	1291
14	अलवर	300	22	322
15	दौसा	287	3	290
16	झुंझुनूं	229	0	229
17	सीकर	281	0	281
18	जोधपुर	753	20	773
19	बाड़मेर	125	6	131
20	जैसलमेर	168	21	189
21	जालौर	132	18	150
22	पाली	136	0	136
23	सिरोही	136	2	138
24	कोटा	378	15	393
25	बांरा	211	3	214
26	बूंदी	73	1	74
27	झालावाड	38	26	64
28	उदयपुर	359	0	359
29	बांसवाड़ा	104	0	104
30	चित्तौड़गढ़	173	1	174
31	डूंगरपुर	23	27	50
32	प्रतापगढ़	53	2	55
33	राजसमंद	132	11	143
	योग	**8152**	**255**	**8407**

9.6 राज्य भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)

स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल,राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न भर्तियों के लिए ऑनलाईन आवेदन के लिए सही मायने में एक ऑनलाईन प्रणाली है। यह एप्लीकेशन पोर्टल विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों को अपने घर से या राज्य भर में स्थित ई–मित्र केंद्रों के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

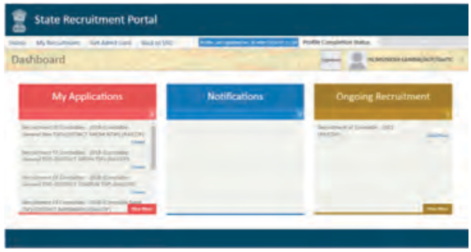

परियोजना का उद्देश्य:-

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंगल पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों को भर्ती का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में सुविधा प्रदान करना है।
- इस पोर्टल से सभी विभाग अपने स्तर पर भर्तियों को प्रकाशित कर सकते हैं तथा भरे गये आवेदन प्रपत्र एवं भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के आंकडे अपने Login में देख सकते हैं।
- अभ्यर्थी SSOID के माध्यम से सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है तथा विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में वन टाईम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली को लागू किया गया है जिससे कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में बार–बार विवरण भरने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अंतर्गत जनआधार/आधार से OTR रजिस्ट्रेशन करने के विकल्प को प्राथमिकता दी गई है।
- अभ्यर्थी को स्वयं के स्तर पर अपने शैक्षणिक दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति

वर्तमान में यह पोर्टल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है।

भर्ती पोर्टल के लाभ:-

1. **आयोग/बोर्ड/राज्य सरकार के अन्य विभाग -**
   - कम समय में किसी भी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाने की सुविधा उपलब्ध हैं।
   - आवेदन की प्राप्ति एवं आवेदन में आसानी से बदलाव की सुविधा उपलब्ध है।
   - प्रवेश पत्र/रोल नंबर जनरेशन, परीक्षा केंद्र आवंटन, परिणाम अपलोड (upload)

एवं आपत्तियां (objections) जैसी सुविधायें प्रदान की गई हैं।

- भर्तियों से संबंधित यथार्थ रिपोर्टस् आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- यह एक कुशल एवं तेज प्रणाली है।
- एप्लिकेशन में एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही भर्ती के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं किया जा सकता है।
- पोर्टल द्वारा भर्तियों से संबंधित शुल्क के भुगतान की सूचना आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

2. नागरिकों के लिए लाभः-

- सभी भर्तियों के आवेदन एवं सूचना के लिए यह एकमात्र प्रणाली है।
- प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध है।
- नई भर्तियों के लिए अधिसूचना आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाईन एवं राज्य भर में स्थित ई–मित्र केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र एवं परिणाम आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
- व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस एवं ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
- प्रश्न–पत्र एवं परिणाम से संबंधित आपत्तियां ऑनलाईन अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
- प्रत्येक आवेदन से संबंधित पूरा विवरण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

पोर्टल के माध्यम से भर्तियों के आंकडे (वित्तीय वर्ष 2022–2023)

कुल भर्तियों की संख्या	कुल आवेदन
21	38,26,634

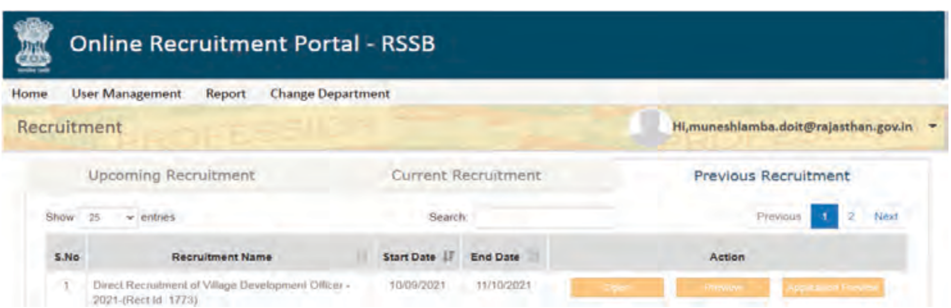

9.7 ई-टेन्डर (e-Procurement)

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक खरीद में निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर 2011 से भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना ई–प्रोक्योरमेंट (Government eProcurement solution - GePNIC) प्रारम्भ की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 1 सितम्बर 2016 से सभी सरकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए Goods and services हेतु 10 लाख रूपये तथा Works हेतु 5 लाख रूपये की निविदाएं अनिवार्य रूप से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करनी निर्धारित की गई।

यह प्रोजेक्ट वर्ष 2011 से अब तक सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। अब तक 272 विभागों के 9,31,309 करोड़ रूपये के 5,83,072 टेण्डर इस प्रणाली के माध्यम से जारी हो चुके हैं। ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अब तक 21,25,290 बिड्स प्राप्त हो चुकी हैं।

इस प्रोजेक्ट का वर्षवार status निम्न तालिकानुसार है।

कमांक	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	197	203	207	205	206
2.	कुल निविदायें	79329	67002	64821	83208	77,012
3.	प्रकाशित की गई निविदाओं का मूल्य (करोड रूपये में)	89583	64482	74054	118166	1,65,320
4.	निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाऐं	285744	259238	236994	255942	1,52,828

9.8 एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)

इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेज्मेन्ट सिस्टम (IHMS) को वर्ष 2017–18 की मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में प्रारंभ किया गया है। यह एक नागरिक केंद्रित ऑनलाइन हेल्थ मैनेजमेन्ट प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिको को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाए बेहतर तरीके से प्राप्त हो रही है।

यह व्यापक इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेन्ट सिस्टम (IHMS), अस्पताल प्रबंधन की विभिन्न प्रणाली का एक सुपरसेट है जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) के रूप में नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी सभी डेटा और घटनाओं को कैप्चर करना सुनिश्चित करता है।

यह एप्लीकेशन मेडिकल कॉलेजो, अस्पतालों और डेंटल कॉलेज अस्पतालों से लेकर उप–केंद्रों तक सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपलब्ध है, और साथ ही एएनएम/आशा केंद्रों के लिए भी उपलब्ध है।

परियोजना के उद्देश्यः-

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य भर में रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उसकी विशिष्ट पहचान आधार/जनाधार संख्या इत्यादि के साथ जोडते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) प्रदान करना है।

परियोजना के लक्ष्यः-

- इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेज्मेन्ट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन डिजाइन करना एवं एप्लीकेशन को राजस्थान डिजिटल स्टैक से जोड़ना।
- यह रोगी की देखभाल की गुणवत्ता और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए भाग लेने वाले संगठनों/अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बीच क्लीनिकल और प्रशासनिक डेटा के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान करना।
- रोगियो की देखभाल की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रोगियों और संगठनों/अस्पतालों को ऑनलाईन क्लीनिकल जानकारी उपलब्ध करवाना।
- तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाली बीमारी/स्थितियों की पहचान कर उन पर प्रतिक्रिया तैयार करने के साथ–साथ राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियो के बेहतर समन्वय के लिए स्वास्थ्य मानको पर समग्र जानकारी उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड अपनाने को बढ़ावा देना।

प्रगतिः-

- सफलतापूर्वक एप्लीकेशन विकसित कर 910+ स्वास्थ्य सुविधाओं में कॉन्फिगर किया गया/कार्यान्वित किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि शामिल हैं।
- इस प्रणाली के माध्यम से औसतन 1.5 लाख रोगियों का पंजीकरण प्रतिदिन स्वास्थ्य संगठन/अस्पतालों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

- अब इस प्रणाली के माध्यम से 51.13 लाख इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉडर्स (ई.एच.आर) जेनेरेट किए गए है।
- राज्य की विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे– आर.जी.एच.एस, चिंरजीवी इत्यादि का इस प्रणाली में विलय कर, एस.एम.एस अस्पताल जयपुर में इस परियोजना को शीध्र ही शुरू किया जाएगा।

वर्ष	पंजीकृत रोगियो की संख्या		
	OPD	IPD	Emergency
2019-2020	2,71,25,436	16,55,184	41,73,988
2020-2021	3,31,32,188	18,96,699	40,01,576
2021-2022	5,66,14,281	27,07,668	53,99,896
2022-2023	5,80,48,558	22,37,451	56,74,621

परियोजना के मॉड्यूलः-

• User Management	• Blood Bank
• Emergency	• Telemedicine and PACS Module
• OPD	• Wellness and Risk Factors Module & Wellness Clinics
• Enquiry Module	• Patient Medical Record Department (PMRD)
• HMS Web-Portal/Online Appointment Module	• Bio Medical Waste
• Electronic Health Record (including Electronic Medical Record)	• Diet / Kitchen
• Transport Management	• Laundry
• Investigation & Billing	• Estate and Facility Management
• Inpatient Management	• Purchase & Offline Procurement
• Operation Theatre Management	• Eligible Couple & Family Planning Module
• Central Sterile Stores Department	• Pregnancy, Delivery, Newborn & Child Care Module
• Stores Management	• Bio-Medical Equipment Department/ e Equipment
• Pharmacy Module	• Rajasthan Medicare Relief Society

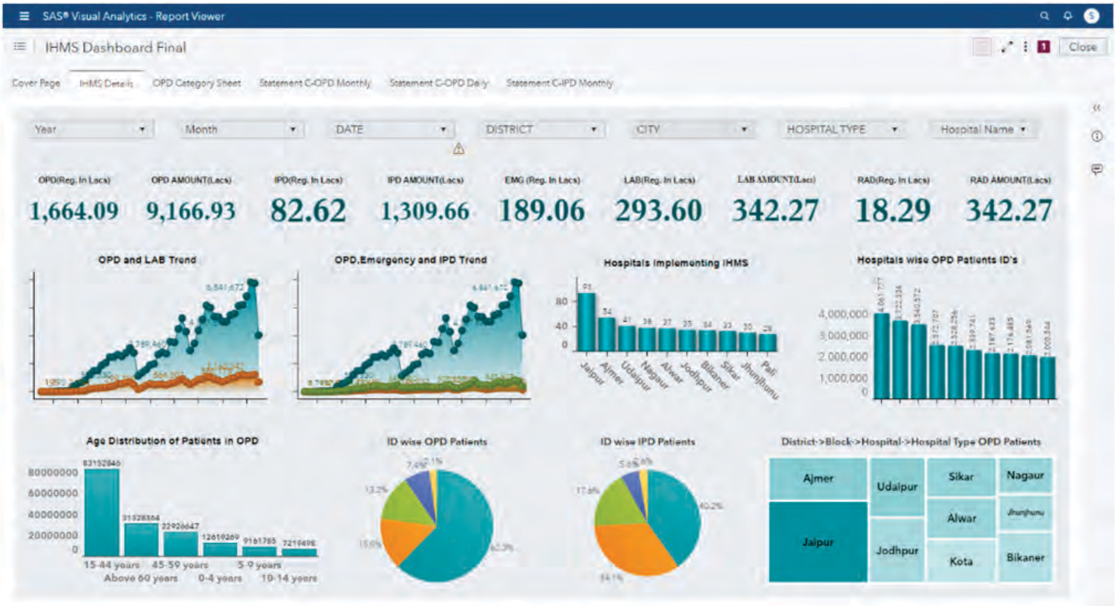

9.9 एकीकृत ई-पंचायत सॉफ्टवेयर

एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर सरकारी कार्यालयों का दौरा किए बिना, वांछित जानकारी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। इस परियोजना के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों की स्वायत्ता, पारदर्शिता व जवावदेही में सुधार लाना एवं सम्पूर्ण खाता प्रबंधन, कार्य प्रबंधन कार्यों व स्कीमों में ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि का ऑनलाइन भुगतान इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है।

बजट घोषणा 2022–23 के अनुपालन में, मनरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिया जायेगा। दिव्यांग परिवारों और सहरिया, कठौरी और खेरुआ जनजाति के परिवारों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया

जाएगा। उक्त रोजगार नव सृजित योजना अर्थात मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 'CM-REGS' के तहत दिया जाएगा। उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ई–पंचायत एप्लीकेशन के तहत डीओआईटी एंड सी/आरआईएसएल द्वारा एक नया मॉड्यूल 'CM-REGS' विकसित किया गया है।

वर्तमान स्थिति

आर.पी.पी. पर पंजीकृत कुल खाते	16078
ऑनलाइन लेनदेन करने वाले कुल जी.पी.	11333
कुल पंचायत भुगतान (निर्माण/अन्य)	12858 Cr.
कुल एसबीएम भुगतान	3782 Cr.

भविष्य की योजनाएं

- मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा Geo–Tagging के आधार पर कार्यो की निगरानी।
- भारत सरकार की PRI SUITE एप्लीकेशन्स से एकीकरण।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए एक राज्यव्यापी एकीकृत समाधान के रूप में इसकी स्थापना विभाग के विभिन्न मौजूदा पोर्टलों के साथ सभी संभव एकीकरण।

9.10 लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (LDMS)

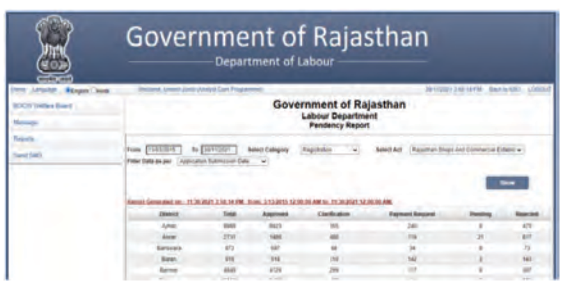

श्रम विभाग राजस्थान सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। विभाग का मुख्य दायित्व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और समाज के गरीब, वंचित और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है। नागरिकों के इस बड़े समूह के लिए आईटी आधारित समाधान का उपयोग आवश्यक है। एलडीएमएस परियोजना को नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग और विभागीय अधिकारियों को विभाग के समग्र कामकाज में पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को स्वचालित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है।

परियोजना के लाभ

- 10 अधिनियमों के तहत प्रतिष्ठानों का ऑनलाइन पंजीकरण, नवीकरण और संशोधन।
- BOCW श्रम पंजीकरण प्रक्रिया, व श्रम कार्ड जारी किया जाना।

- ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे के माध्यम से पंजीकरण में सरलता और पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड की सुविधा
- BOCW अधिनियम के तहत 8 योजनाओं के लिए आवेदन ।

वर्तमान स्थिति-

अभी तक 29,81,369 श्रमिकों के श्रमिक कार्ड जारी हो चुके हैं

कुल आवेदन प्राप्त हुए	45,65,491
निष्पादित किये गए आवेदन	29,81,369
विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदन	30,14,143

भविष्य की योजनाएं

- लाभार्थियों के लिए एफ.डी. प्रबंधन मॉड्यूल।
- नागरिकता पर लंबित अनुप्रयोगों की अधिसूचना आधारित ट्रैकिंग और निपटान।
- सुधार और औद्योगिक विवाद मॉड्यूल का राज्यव्यापी रोलआउट।
- आवेदन का तकनीकी सुधार।
- परफॉरमेंस और डाटा प्रबंधन।
- रिपोर्ट की गए ईओडीबी संबंधित सभी विशेषताओं की अनुपालन।

9.11 राजफेब (RajFab)

विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन "राजफैब" (rajfab.rajasthan.gov.in पर होस्ट किया गया है) को विकसित किया गया है और इसका उपयोग विभागीय गतिविधियों को कम समय में, पारदर्शी, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है ।

वर्तमान स्थिति

कुल आवेदन प्राप्त	44209
आवेदन निस्तारित	42326
विभाग के पास लंबित	1351
आवेदक के पास लंबित	532

भविष्य की योजनाएं-

- बॉयलर निर्माता मॉड्यूल (मानचित्र स्वीकृति, विनिर्माण स्वीकृति)
- थर्ड पार्टी फैक्ट्री एक्ट मॉड्यूल (नवीनतम राजपत्र अधिसूचना के अनुसार)

- परियोजना का संचालन और रखरखाव।
- रिपोर्ट किए गए सभी ईओडीबी संबंधित विशेषताओं की अनुपालन।

9.12 स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वर्कफ़्लो आधारित एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं:

- राज्य बीमा,
- भविष्य निधि,
- राष्ट्रीय पेंशन योजना,
- मेडिक्लेम,
- बल्क भुगतान सुविधा (भुगतान आदेश)

वर्तमान स्थिति

रजिस्टर्ड कर्मचारी	950256
सेवानिवृत्त जीपीएफ खाता कर्मचारी	4816
लाइव स्कीम	4
लाइव एप्लिकेशन्स	12
भुगतान किए गए (सभी योजनाएं)	Rs- 32829 Cr.

भविष्य की योजनाएं-

- प्रोजेक्ट का नया संस्करण लॉन्च कर दिया गया है जो नई तकनीक पर आधारित है, जिसमे यूजर इंटरफेस और निष्पादन प्रक्रिया बेहतर है।
- जीआईएफ (सामान्य बीमा मॉड्यूल) मॉड्यूल का विकास जिसमें छात्रों के लिए दुर्घटना बीमा भी शामिल है इत्यादि।
- जीआईएफ और सीपीएफ मॉड्यूल के पूर्ण रोलआउट में विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां शामिल हैं।

9.13 लाईट्स-न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)

न्याय विभाग के लिए न्यायिक प्रकरणों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु प्रारूपों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर LITES सॉफ्टवेयर और उसकी वेबसाइट को तैयार किया गया है। (LITES-Litigation Information Tracking and Evaluation System) तथा सॉफ्टवेयर का नवीन संस्करण 03.02.2016 से उपयोग किया जा रहा है।

उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न न्यायालयो में लंबित न्यायिक प्रकरणों का राज्य/जिला स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाता हैं। जिनमे राज्य सरकार एक पक्षकार है।

प्रगतिः-

वर्तमान में 52 प्रशासनिक विभागों के अधीन 298 विभाग (यूनिट) एवं उक्त विभागों के अधीन कुल 7313 कार्यालयों द्वारा लाइट्स सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा हैं।

- गत वर्ष 36,915 नए न्यायिक प्रकरणों को इन्द्राज किया गया हैं।
- अभी तक 7,432 अधिवक्ताओं को इससे जोड़ा गया हैं।
- वर्तमान में 1,78,040 न्यायिक प्रकरण लंबित हैं।
- राज्य सरकार के पक्ष में 74.41% न्यायिक प्रकरणों के निर्णय पारित हुआ हैं।
- विभिन्न प्रारूपों में कुल अभी तक 62,74,443 ट्रांजेक्शन्स दर्ज किये गए हैं।
- एपीआई (API) के माध्यम से उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर के न्यायिक प्रकरणों में सी.एन.आर. (CNR केस नंबर रिकॉर्ड) का अद्यतन तथा अगली सुनवाई तिथि का स्वतः अद्यतन किया जा रहा हैं। Link- https://lites.law.rajasthan.gov.in/

9.14 राज ई-ज्ञान (Raj e-Gyan)

राज ई–ज्ञान शिक्षकों और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन ई–लर्निंग पोर्टल है। इसमें प्री–प्राइमरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शैक्षिक डिजिटल सामग्री उपलब्ध है। डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम बनाने के प्रयासों में यह पहला कदम है। डिजिटल इंडिया की अवधारणा को सार्थक करते हुए विद्यालयों में अंतिम (Learning) स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं

विद्यार्थियों कोई–कंटेट के रूप में टेक्सट, पॉवर पाइंट, एनिमेशन, ऑडियो–वीडियों, ई–पुस्तक आदि प्रारूपों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रही है।

इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, राजस्थान के छात्रों को डिजिटल सामग्री के लिए आसान, सर्वव्यापी, अद्यतन (updated) और व्यापक भंडार प्रदान करना है।

वर्तमान स्थिति

- राज–ई–ज्ञान 2.0, नवीनतम तकनीक के माध्यम से राज–ई–ज्ञान को नए स्तर पर ले जाने और मौजूदा एप्लीकेशन को नए वातावरण में अधिक प्रासंगिक बनाने की योजना बनाई गई है।
- राज–ई–ज्ञान पोर्टल लाइव है और कक्षा–प्रथम से 12वीं तक की पुस्तकों और e-kaksha वीडियो को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि छात्रों द्वारा आसानी से डाउनलोड किया जा सके।
- राज–ई–ज्ञान एप्लीकेशन के लिए 500 इंटरएक्टिव डिजिटल सामग्री बना दी गयी है।
- पहुँच बढ़ाने के लिए DoIT&C में उपलब्ध विभिन्न तौर–तरीकों का लाभ उठाया जा सकता है। ग्रामीण छात्रों के लाभ के लिए संपूर्ण ई–कक्षा वीडियो ई–ज्ञान पोर्टल, जनसूचना, ईमित्र – प्लस मशीनों पर अपलोड किए गए हैं।
- छात्र मूल्यांकन के लिए राज–ई ज्ञान पोर्टल के साथ स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों की मैपिंग के लिए शालादर्पण के साथ एकीकरण किया गया। वेब एपीआई के माध्यम से शालादर्पण से छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों के सभी डेटा कॉपी किए गए।
- सभी छात्रों के लिए प्रश्न बैंक और ऑनलाइन मूल्यांकन विकसित किए जा रहे हैं।

URL- https://egyan.rajasthan.gov.in

9.15 एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा (HTE) पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी एकीकृत उपलब्ध करवाई जा रही है। HTE पोर्टल पर आमजन के द्वारा विभिन्न योजनाओ, महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी, परीक्षा परिणाम की घोषणा, विश्वविद्यालय की जानकारी एवं राजस्थान में चल रहे उच्च शिक्षा के कॉलेजों से

सम्बंधित जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है।

पोर्टल पर सभी उच्च शिक्षा से सम्बंधित विभागों की जानकारी यथा महत्वपूर्ण वेबसाइट्स छात्रवृत्ति, प्रवेश, विभिन्न योजनाओं एवं कॉलेजों की NOC प्रक्रिया की जानकारी का ब्यौरा सर्व सुलभ उपलब्ध किया जा रहा है।

प्रगति -

- वर्तमान में 7 प्रशासनिक विभागों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।
- गत वर्ष तक मे 75 विश्वविद्यालय, 3056 कॉलेजों की जानकारी उपलब्ध कराई गयी, जिनमे 9873 कोर्स सम्मिलित हैं।
- गत वर्ष मे 149508 स्नातक तथा 17581 स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया संपादित की गयी।

9.16 राजस्थान जन-आधार योजना

विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा बजट भाषण 2018–19 में राजस्थान जन–आधार योजना लाए जाने की घोषणा की गई थी। आयोजना विभाग की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग द्वारा राजकॉम्प को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। जन–आधार योजना के तहत जन–आधार रेजिडेन्टस् (JRDR) का सफल प्रबन्धन जिसमें राज्य के 1.94 करोड निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डाटाबेस तैयार किया गया है एवं राज्य के एकीकृत पारिवारिक डाटाबेस (JRDR) के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभो एवं सेवाओं की प्रदायगी में समस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तन्त्र का संचालन किया जा रहा हैं।

माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा बजट भाषण 2021–22 में बिंदु संख्या 238 एवं 249 में की गयी बजट घोषणाओं की अनुपालना में आमजन सरलता से योजनाओ के लाभ देने के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य जन आधार के माध्यम से करते हुए 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रियाओं का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

बजट घोषणा 238- विभिन्न राजकीय योजनाओं को ऑनलाइन करने में दस्तावेजों व भौतिक सत्यापन के माध्यम से पात्रता का प्रमाणीकरण एक बड़ी बाधा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि समस्त योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करते हुए 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर पूर्ण कर लिया जायेगा।

बजट घोषणा 249- विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों व भुगतान प्रक्रियाओं में जटिलता होने के कारण आमजन, जनप्रतिनिधिगण तथा कर्मचारी–अधिकारियों को देय लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाते। अतः इस प्रक्रिया का सरलीकरण व ऑनलाइन कर दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए Deemed तथा Auto Approval जैसे प्रावधान किये जायेंगे।

वर्तमान स्थिति (Status)

नामांकन (Enrolment):

परिवार नामांकन	1.94+ करोड
व्यक्तिगत नामांकन	7.55+ करोड

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):

डीबीटी ट्रॉन्जेक्शन	128+ करोड
डीबीटी राशि	60,066+ करोड

9.17 राजस्थान ई-आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)

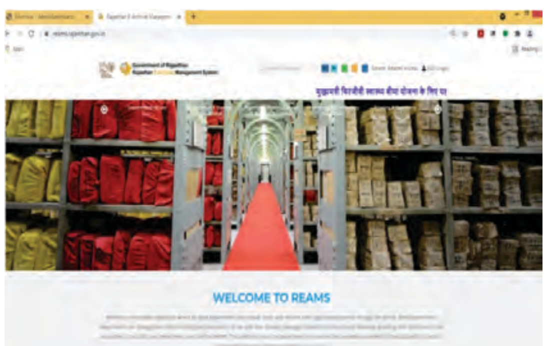

ReAMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित कर सरकारी विभागों तथा प्रदेश की जनता को डिजिटल दस्तावेजों को सुलभ ऑनलाईन उपलब्ध कराने वाला पोर्टल है। इस पोर्टल से राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से संबधित असाधारण गजट अधिसूचनाओं का 1 अप्रैल 2019 से ऑनलाईन प्रकाशन किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के अब तक 22 लाख डिजिटल दस्तावेजों का संग्रहण तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की 4791 असाधारण गजट अधिसूचनाओं का ऑनलाईन प्रकाशन किया जा चुका है।

परियोजना का उद्देश्य

ReAMS परियोजना काउद्देश्य राजस्थान सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण पत्रावलियों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों को 24x7 ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। साथ ही, विभागों के मूल दस्तावेजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की बचत कर आमजन को भी दस्तावेजों की ऑनलाइन उपलब्धता घर बैठे सुनिश्चित करवाना तथा अनुमोदन युक्त दस्तावेज प्रकाशन एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना भी है।

परियोजना का लाभ :-

- सरकारी विभागों के डिजिटाइज दस्तावेजों का ऑनलाइन संग्रहण कर 24x7 उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सरकारी विभागों के मूल दस्तावजों से संबंधित स्थान, समय तथा धन की आवश्यकताओं में बचत करना।
- डिजिटल प्रतियों के माध्यम से मूल दस्तावेजों का संरक्षण कर लंबे समय तक सुरक्षित रखना।
- डिजिटाइज दस्तावेजों की आमजन को घर बैठे सुगम उपलब्धता।
- ऐतिहासिक दस्तावेजों की इतिहासकारों तथा शोधार्थियों को ऑनलाइन उपलब्धता।
- ऑनलाइन दस्तावेजों का प्रकाशन करना।

परियोजना की वर्षवार प्रगति :-

वर्ष	संग्रहित डिजिटाइज दस्तावेजों की संख्या	असाधारण गजट अधिसूचनाओं की संख्या	लाभान्वित विभागों के नाम
2017	2110	0	नगर निगम, अजमेर देवस्थान विभाग, उदयपुर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,अजमेर विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर सूचना एवं जन संपर्क विभाग, जयपुर मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, उदयपुर राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
2018	493884	0	
2019	878594	1250	
2020	201940	1196	
2021	330342	1233	
2022	293242	1112	
कुल दस्तावेजों की संख्या	2200112	4791	

9.18 आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)

DoITC/RISL द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली में आपदा चरणों के दौरान, पूर्व और बाद में दी जाने वाली सहायता गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला के परिचालन प्रक्रिया को शामिल किया गया है, ताकि जीवन/संपत्ति के नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके और प्रभावित नागरिकों को आवश्यक राहत और पुनर्वास प्रदान किया जा सके। ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ आदि आपदाओं के मामले में किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी डी.एम.आई.एस. पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है। साथ ही, नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न अन्य ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए गए हैं जैसे – मवेशी शिविर, प्रभावित क्षेत्रों की साफ–सफाई, ग्रैच्युटीस रिलीफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डैमेज्ड हाउसेस और हैंडीक्राफ्ट/हस्तलिखित सहायता कारीगर/मत्स्य पालन।

अब तक 3420 करोड़ की सब्सिडी 51 लाख किसानों को बाढ़ (25 लाख किसानों/1100 करोड़), कीट हमला (75000 किसानों/132 करोड़), हेलस्टॉर्म (275000 किसानों/275 करोड़) और सूखे (22 लाख किसानों/1913 करोड़) के लिए वितरित की गई है।

सहायता/सब्सिडी से संबंधित मॉड्यूल के अलावा विभिन्न अन्य मॉड्यूल जैसे आपातकालीन खरीद, इन्वेंटरी प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, फंड प्रबंधन, जन संचार को एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के भाग के रूप में विकसित किया गया है जो निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

DMIS ऐप्लीकेशन ने IFMS सिस्टम के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रांसफर) की एक पारदर्शी और पेपरलेस प्रक्रिया बनाई है। ऐप्लीकेशन ने सब्सिडी इस ऐप्लीकेशन वितरण के समय को कम करने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद की है जिससे सरकारी खजाने को भारी बचत हुई है।

किसी भी आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर जलापूर्ति, सड़क मरम्मत एवं स्कूल/राजकीय भवन के मरम्मत संबंधी कार्य हेतु नवीनीकरण में सहायता प्रदान करने के लिए अधोसंरचना मॉड्यूल विकसित किया गया है। जिलो द्वारा इसके लिए प्रस्ताव भेजे जाने पर, अनुमोदन के बाद बजट आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी।

9.19 राजकिसान साथी

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में DoIT&C/RISL एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज किसान साथी पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत बनाया गया है जो कि सिंगल विंडो प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें कृषि एवं संबंधित विभागों के आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की जाती है।

राजकिसान साथी भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित एवं अत्याधुनिक ITआधारित समाधान है जो कृषि विभाग की सेवा वितरण से लेकर दीर्घकालिक नीति स्तरीय योजना तक की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। परियोजना के अंतर्गत G2C,G2B और G2G से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं को विकसित किया जा रहा है एवं इस परियोजना में अब तक कृषि एवं संबंधित विभागों के 100 से अधिक मोडयूल्स को विकसित किया गया है।

कृषि, उद्यान एवं कृषि विपणन विभाग की 24 गतिविधियों में भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है, इनमें डिग्गी, फार्म पौण्ड, सिंचाई पाइप लाइन, ड्रिप, स्प्रिकंलर, ग्रीन हाउस, शेडनेट, बगीचा स्थापना, राजीव गांधी कृषक सहायता योजना, सोलर पम्प सेट, छात्राओं को प्रोत्साहन राशि आदि शामिल है। अब तक एक लाख 53 हजार कृषकों को 510 करोड रूपये की अनुदान/सहायता राशि ऑनलाईन वितरित की गई है। इस पोर्टल द्वारा 5120 डिग्गियों, 9016 फार्म पौण्ड तथा 8564 कि.मी. पाईप लाईन की स्थापना कृषकों द्वारा करायी गयी है। 30 लाख से अधिक किसानों ने राजकिसान साथी पोर्टल का उपयोग किया है ।

एग्री बिजनेस से जुड़े लाइसेन्स क्वालिटी कंट्रोल, फसल सर्वेक्षण, मौका निरीक्षण आदि प्रक्रिया भी इसके माध्यम से ऑनलाइन की गई है। इस पोर्टल के द्वारा 50 हजार से अधिक लाइसेन्स जारी किये गये। राज एग्री क्यूसी मोबाइल एप द्वारा उर्वरक व बीज के 59 हजार से अधिक नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिये गये हैं। अब तक कृषकों को कुल 30 लाख से अधिक बीज मिनीकिट ऑनलाइन वितरण किये गये।

कृषकों, व्यापारियों, कार्मिकों द्वारा राज किसान साथी के 11 मोबाइल ऐप उपयोग में लिये जा रहे हैं।

कृषकों/आवेदकों के लिए लाभ -

- आवेदन प्रपत्रों व प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।
- पात्रता की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज आवेदन के समय उपलब्ध होते हैं।
- आवेदन में जन–आधार से आवेदक का नाम, पता, जाति, फोटो, बैंक विवरण अपने आप आ जाता है।
- आवेदन ऑनलाइन जमा करते ही कृषि कार्यालय में पहुंचता है।
- सब्सिडी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में किसान को एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता हैं। आवेदक अपने आवेदन की जांच स्वयं ऑनलाइन भी कर सकता है।
- किसानों को सब्सिडी संबंधी सेवाओं की सुगमता और जन–आधार से जुडे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इसकी सुपुर्दगी/अदायगी।
- भविष्य में एक संपूर्ण सूचना प्रणाली जिसके माध्यम से किसानों को बाजार की उपलब्धता,

आदानों की कीमतों, मौसम की जानकारी, मिट्टी की जानकारी और उर्वरक, बीज आदि के लिए सलाह जैसी विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। कृषि, मौसम विज्ञान और तकनीकी जानकारी तक समय पर पहुंच,फसल उत्पादन में निर्णय लेने के लिए पूर्वानुमान सेवाओं की स्थापना एवं कृषि आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली और मौसम सूचना प्रणाली भी विकसित की जायेगी।

विभाग के लिए लाभ

- सभी कृषि संसाधनों से संबंधित डाटा का एक केंद्रीकृत डाटाबेस।
- कृषि संबंधी गतिविधियों के निस्तारण में लगने वाले समय में कमी।
- सरकारी अधिकारियों और एमआईएस रिपोर्ट के लिए एकीकृत बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड।
- संपूर्ण सेवा वितरण प्रणाली का बेहतर मूल्यांकन, विश्लेषण और सत्यापन।
- योजनाओं की स्थिति और उसकी प्रगति के बारे में ऑनलाइन जानकारी।
- सब्सिडी वितरण के लिए कृषि कार्यालयों के विभिन्न स्तरों के बीच सुगम प्रक्रिया
- कार्य दोहराव में कमी।
- वेब–ऐप्लीकेशन, पेमेंट गेटवे और एसएमएस के माध्यम से कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण।

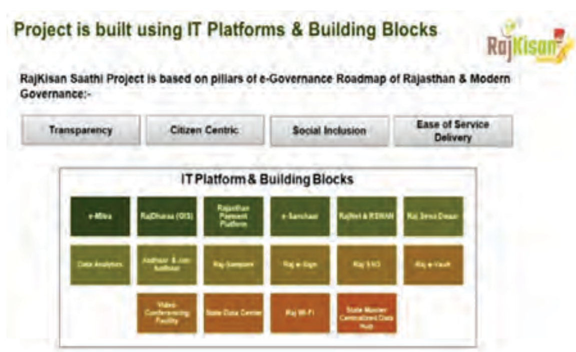

- सभी हितधारकों (किसान, कर्मचारी, कृषि–व्यवसाय समुदाय आदि) तक विस्तारित पहुंच।

9.20 सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)

सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम (सी.एच.एम.एस.) एक ऑनलाइन आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसमें राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारी, अन्य राज्य/केंद्र, राज्य अतिथि, विदेशी अतिथि, जन प्रतिनिधि, स्थानांतरण, सेवानिवृत्त अधिकारी, निजी और सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

परियोजना का उद्देश्य निम्न है-

- राजस्थान के सभी सर्किट हाउस, दिल्ली में राजस्थान हाउस और मुंबई में गेस्ट हाउस में कमरे के आरक्षण के लिए ऑनलाइन सेवा अनुरोध ।
- सर्किट हाउस मैनेजर द्वारा कमरे के आरक्षण को ऑनलाइन स्वीकार या अस्वीकार करना।
- यात्रा कार्यक्रम का अनुकूलन ।
- खपत एवं सेवाओं के आधार पर मेहमानों के लिए ऑनलाइन बिल जारी करना।
- रसोई, स्टोर और हाउसकीपिंग प्रबंधन को ऑनलाइन करना ।
- वार्षिक, मासिक, दैनिक रूम ओक्यूपेंसी एनालिटिक्स डैशबोर्ड विकसित किया गया है ।
- वास्तविक समय पर प्रभावी निगरानी और प्रशासन के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली ।

अब तक 35 सर्किट हाउस स्वचालित हो चुके हैं। कुल कमरे बुकिंग अनुरोध (ट्रांजेक्सन की संख्या) 68133 हैं। इसमें से 39843 अनुरोधों को इस पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक चेक–आउट किया गया है और 16655 अनुरोधों को रद्द किया गया है।

9.21 सोशल मीडिया नेटवर्क मैनेजमेन्ट प्लेटफार्म

राजस्थान के नागरिकों के साथ अत्यधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से त्वरित और सीधा संवाद करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट एक लोकप्रिय परियोजना है। यह प्लेटफॉर्म आमजन के साथ सरल और शक्तिशाली संपर्क बनाने के साथ नेटवर्किंग और जुड़ाव बनाए रखने में भी मदद करता है।

परियोजना का उद्देश्यः

- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अन्तिम छोर तक

पहुँचाना, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सके।

- नये ब्लॉग, वेबसाइट, ऑर्टिकल के माध्यम से आमजन को जागरूक करना।
- मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मीडिया ट्रैकिंग करना।
- प्रोफेशनल इनफॉरमेशनल वीडियोज का निर्माण करना।
- विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग/लाइव वेबकास्टिंग करना।
- Crisis management के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्ट/क्रिएटिव वीडियो आदि का निर्माण करना।
- साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना।

परियोजना का लाभः

वर्तमान में विभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न हेन्डल्स (GoR, CMO, DoIT&C, RajSampark, eMitra, iStart, RajPoliceHelp) पर निरंतर विभिन्न प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे – चिरंजीवी, जनआधार, आरजीएचएस, इंदिरा रसोई, आईएम शक्ति उड़ान आदि का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे पात्र व्यक्ति/परिवार उस स्कीम/परियोजना का लाभ ले सके।

इन platforms पर विभिन्न informational images, videos, stories post की जाती हैं, जो रिट्वीट एवं रिशेयर भी की जाती हैं। प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के केम्पेन संचालित करना जैसे– #सावधानी_ही_सुरक्षा_है, #राजस्थान_सतर्क_है, #घर_घर_औषधी_योजना आदि।

परियोजना की वर्षवार प्रगतिः

73 Handles of CMO, GoR, DoIT&C, eMitra, Rajsampark, iStart, Rajasthan Police Department has been created on different Social Media Platforms i.e Facebook, Twitter, Instagram, YouTube & WhatsApp

Growth rate of social media handles:

- CMO & GoR is approx 215.02% & 202.38% on twitter, 46.6% & 54.62% on facebook and 76.28% & 120.22% on Instagram
- DOITC on Twitter is 492.30 %, on Facebook is 178.14% & on Instagram is 667.40%

- Rajsampark on Twitter is 439.48%, on Facebook is 172.45% & on Instagram is 381.05%
- e-mitra on Twitter is 379.09%, on Facebook is 159.16% & on Instagram is 2015.49%
- For iStart on Twitter 71.63%, on Facebook 34.46% & on Instagram 4343.83%
- For Rajasthan Police Help Desk on Twitter is 1260.97% (till date)
- Campaigns: #फैसले_जनहित_के, #राजस्थान_सतर्क_है, #ModelStateRajasthan, #मुख्यमंत्री_चिरंजीवी_स्वास्थ्य_बीमा_योजना, #सफलता की कहानी, #इन्दिरा_गांधी_शहरी_रोजगार_योजना, #किसान_हित_की_बात, #मुख्यमंत्री_किसान_मित्र_ऊर्जा_योजना, #खुशहाल_युवा_खुशहाल_राजस्थान, #विकास_का_पहिया, #BeCyberSmart, Outreach & awareness workshop, #CoversationalInsightsWithiStart#DoITCWeekly, #ई–मित्र@होम, #LiveSmarterWitheMitra, #समस्या_समाधान_मंच, #सेवा_भी_सुविधा_भी, #आपकी_सेवा_में आदि
- Handling 2 Chatbots (https://m.me/RajGovOfficial) jioChat (https://jiochat.com/channel/ 600000000916/1)
- A blog website (http://rajasthanrevealed.com/)

S.no	social media works	2021-22	2022-23 (till September 2022)	Total
1	Produced campaigns	60	25	85
2	Creatives	9570	4565	9870+
3	Videos	245	80	325+
4	Live broadcast	100	45	145
5	Queries on Facebook messenger	10500+	4500+	15000+
6	Professional videos	27	12	39
7	Queries on @RajPoliceHelpDesk	14784	10802	25500+

9.22 जनकल्याण पोर्टल

जनकल्याण पोर्टल राजस्थान सरकार की एक पहल है, जो सरकार में सुशासन और पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी सरकारी सूचनाओं को एक ही मंच पर लाने के लिए काम कर रही है। जनकल्याण परियोजनाओं, प्रमुख कार्यों, सरकारी दस्तावेजों, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं / सेवाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है।

आमजन के लिये सभी सूचनाओं को 9 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है जो नीचे दिए गए हैं :–

राजकीय दस्तावेज • अधिनियम एवं नियम • परिपत्र • कोविड–19 आदेश • अधिसूचना • आदेश • नीति एवं दिशा–निर्देश • नागरिक घोषणा पत्र	**सुशासन** • कैबिनेट निर्णय • माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रमों के दौरान घोषणाएं • बजट घोषणाएं • जन घोषणा पत्र • माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र	**जन जागरूकता** • विज्ञापन • पोस्टर • ऑडियो • वीडियो
जनकल्याणकारी योजनाएं एवं सेवाएं • योजनाएं • सेवाएं	**नवाचार एवं उपलब्धियां** • राजकीय नवाचार • उपलब्धियां • पुरस्कार	**विकास कार्य** • परियोजनाएं
प्रोग्राम कवरेज • वीडियो • संबोधन	**प्रकाशन** • मीडिया कवरेज • विभागीय प्रकाशन • विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन	**ई-कनेक्शन** • वेबसाइट • मोबाइल एप

9.23 ई-लाइब्रेरी

ई–लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में, विभिन्न राजकीय कॉलेजों की लाइब्रेरी प्रकिया को कम्प्यूटरीकृत किया है। एप्लीकेशन को लाइब्रेरियन से इनपुट के साथ विकसित किया गया है ताकि इसे अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाया जा सके।

सभी पुस्तकालय संचालन, जैसे – पुस्तक क्रय, जमा, अधिग्रहण, परिग्रहण और स्टॉक सत्यापन स्वचालित किया गया है।

सरकारी कॉलेज के पुस्तकालयों में संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह एप्लीकेशन सीमित संसाधनों के साथ दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए लाइब्रेरियन के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यही आवेदन विभागीय पुस्तकालयों में भी उपयोग लिया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं

- सभी पुस्तकालय प्रबंधन कार्यों का स्वचालन, जिसमें पुस्तक जारी करना, जमा, सदस्य जोडना आदि शामिल हैं।
- संबंधित पुस्तकालयों की वास्तविक समय स्थिति देने के लिए डैशबोर्ड की रिपोर्ट।
- कॉलेज की लाइब्रेरी जरूरतों के लिए उपयोगी।
- भौतिक पुस्तकों के डाटा का पूर्ण डाटा प्रविष्टि।
- आवेदन में छात्रों के डाटा के प्राप्त करने के लिए DCE प्रवेश मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ है।

वर्तमान स्थिति

- 33 शासकीय महाविद्यालय पुस्तकालय, 5 शासकीय विभाग (राजभवन, राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, बीकानेर, संगीत संस्थान, टीआरआई एवं वन) अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर को अनुकूलित कर उपयोग कर रहे हैं।
- एप्लीकेशन को सचिवालय पुस्तकालय एवं जवाहर कला केन्द्र में भी क्रियान्वित किया गया।
- लगभग 20 लाख पुस्तकों की डाटा प्रविष्टि का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2,66,000 सदस्यों का डाटा आवेदन में अपडेट किया जा चुका है।

- सॉफ्टवेयर मुफ्त प्रदान किया जाता है, लेकिन अनुकूलन, एफएमएस और डाटा प्रविष्टि के लिए शुल्क संगठन द्वारा वहन किया जाता है।
- निम्न विभागों में प्रेजेंटेशन और डेमो दिया गया है– राधाकृष्णन पुस्तकालयः लगभग 1,00,000 पुस्तकें और सार्वजनिक पुस्तकालय, नागौर : लगभग 5000 पुस्तकें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेरः लगभग 1 लाख से अधिक पुस्तकें, सरकार नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज, हनुमानगढः लगभग 40,000 पुस्तकें।

URL: https://dce.rajasthan.gov.in/elib

9.24 जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)

जी.सी.एम.एस.(Generalized Court Management System) राज्य के सभी प्रकार के न्यायालयों में विभिन्न अदालती कार्यों के मानक कार्यात्मकता वाला एक जेनेरिक प्लेटफार्म है। इस प्रणाली को समग्र न्यायालय प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जहां एक अपीलकर्ता अपने मामले को वास्तविक समय के आधार पर तकनीकी मदद से प्रतिवादी के पूरे विवरण के साथ देख सकता है। सिस्टम कुल मामलों, लंबित मामलों, पूर्ण मामलों के संदर्भ में आंकडे प्रदान करता है, ताकि अदालतो के मामलों को निपटाने के लिए विश्लेषण कर सके।

यह न्यायालयों के स्वचालन को न्यूनतम लीड–टाइम और अदालती कार्यवाही के मानकीकरण में सहायक होता है। जी.सी.एम.एस. एप्लिकेशन (GeneralizedCourtManagement System) को न्यायालय के प्रबंधन संबंधी कार्यो के वेब–आधारित एप्लीकेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिसे किसी भी प्रकार के न्यायिक संगठन के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न न्यायालयों (राजस्व, सिविल आदि) की प्रक्रिया जैसे– पंजीकरण, नोटिस/सम्मन, वाद सूची, फीडबैक, अंतिम निर्णय और कार्यान्वयन, कैविट्स, फाइल प्रबंधन, संदेश और विभिन्न कार्यों के अनुमोदन और संचालन के लिए उपयोग में लिया जाता है।

वर्तमान में विभिन्न विभाग जैसे राजस्व मण्डल कोर्ट, समस्त अधिनस्थ राजस्व न्यायालय, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण (आर.सी.सैट), राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए.आर.आर.ए), चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, खान और भूविज्ञान विभाग(डी.एम.जी) और राजस्थान टैक्स बोर्ड इस एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे है।

आम जनता के लिए प्रकरण की जानकारी हेतु पब्लिक पोर्टल में निम्न विकल्प दिये गये है।

1. **राजस्व मण्डल कोर्ट अजमेर**
   - प्रकरण की स्थिति
   - वाद सूची
   - निर्णय प्रति
   - बैंच आवंटन
   - अन्तरिम आदेश प्रति
2. **राजस्थान टैक्स बोर्ड**
   - केस सर्च
   - वाद सूची
   - एडवोकेट वाद सूची
   - निर्णय प्रति
3. **राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (एल.ए.आर.आर.ए)**
   - केस सर्च
   - वाद सूची
   - निर्णय प्रति
4. **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना**
   - केस सर्च
   - निर्णय प्रति
5. **खान और भूविज्ञान विभाग(डी.एम.जी)**
   - केस सर्च
   - वाद सूची
   - निर्णय प्रति
6. **राजस्थान सिविल अपील प्राधिकरण**
   - प्रकरण की स्थिति
   - वाद सूची
   - रोस्टर
   - निर्णय प्रति

Department Statistics on GCMS

S No.	Department	Number of Court	Total users	Registered Cases	Decided	Pending
1	a) BOR	1 (Multi Benches)	243	174730	109084	65646
	b) Sub-ordinate Revenue Courts	1478	3314	1258969	687825	571144
2	MCSBY Department	34	167	180109	98536	81573
3	Tax Board Department	1	30	44927	39725	5202
4	LAARA Department	1	9	334	209	125
5	DMG Department	1	25	2183	1030	1153
6	RCSAT	2	28	47623	38201	9422

9.25 राजकौशल

रोजगार विभाग (DoE) ने राजस्थान में आजीविका के अवसरों को मजबूत करने और राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए, "राजकौशल–जॉब मार्केट प्लेस" नामक एक नई योजना लागू की है । प्रस्तावित आईटी प्लेटफॉर्म बेरोजगार कुशल युवाओं को सशक्त करेगा, जो उद्योग और सेवा उपभोक्ताओं को उनकी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। यह प्लेटफार्म जनशक्ति डाटाबेस के रूप में सूचना के एक अद्वितीय स्रोत के रूप में काम करेगा, विभिन्न अन्य डाटा स्रोतों और सेवा प्रदाताओं की जानकारी को एकीकृत करेगा।

वर्तमान स्थिति

कुल उपलब्ध श्रम / जन–शक्ति	61,08,475
कुल उपलब्ध नियोक्ता	9,59,776
कुल उपलब्ध नौकरियां	10,323
प्रोफ़ाइल अपडेट (स्वयं के द्वारा)	8,77,434
प्रोफ़ाइल अपडेट (प्रशासन द्वारा)	1,73,452

भविष्य की योजनाएं-

- Google Play Store और iOS पर मोबाइल एप्लीकेशन का रोलआउट।
- प्लेटफ़ॉर्म पर एजेंसी / एजेंट मॉड्यूल का रोलआउट।

- अन्य संबंधित मॉड्यूल जैसे RSLDC, EEMS, LDMS आदि के साथ रियलटाईम एकीकरण।
- नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए निकटतम उपलब्ध संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए जीआईएस घटक।

9.26 ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)

रोजगार विभागने EEMS को राज्य भर में सभी उपयोगकर्ताओं (बेरोजगार और सरकार) द्वारा उपयोग करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित एप्लीकेशन के रूप में लागू किया है। नौकरी चाहने वालों, व्यवसाय समुदाय और अन्य पंजीकृत सार्वजनिक उपयोगकर्ता इस पोर्टल को उपयोग सकते हैं। EEMS परियोजना के माध्यम से DoE का उद्देश्य राज्य में राजस्थान राज्य सरकार और रोजगार आदान–प्रदान का समर्थन करना है, ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बेहतर ढंग से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए ICT का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

वर्तमान स्थिति

कुल पंजीकृत उम्मीद्वार	20,00,094
कुल उम्मीदवार जो भत्ते के लिए आवेदन करते हैं	11,23,962
अभ्यर्थियों को अब तक की कुल राशि का भुगतान	18,63,46,53,625
इस वित्तीय वर्ष पर अभ्यर्थी को देय कुल राशि (01–04–2022 से 22–11–2022)	4,02,44,09,646

भविष्य की योजनाएं

- अभ्यर्थियों का पंजीकरण / नवीनीकरण / प्रोफाइल अपडेशन।
- पहचान कार्ड की स्वीकृति और जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ।
- बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ।
- बेरोजगारी भत्ते का भुगतान।
- आवश्यकता के अनुसार रिपोर्ट।
- NCS पोर्टल पर डाटा एक्सपोर्ट।

9.27 वन अधिकार अधिनियम के लिए पोर्टल (Portal for Forest Rights Act – FRA)

वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त वन अधिकार दावों के निपटान में पारदर्शिता लाने तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के क्रम fra.rajsthan.gov.in एफआरए पोर्टल 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस 2021 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।

परियोजना का उद्देश्य

वन क्षेत्र में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासी जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है। इन वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और वन भूमि के दावे ऑनलाइन जमा कर, दावे के सत्यापन से लेकर वन अधिकार पत्र जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा प्रत्येक स्तर पर पदनाम उपयोगकर्ता संलग्नक और उपयोगकर्ता के आवेदन की जांच कर सकता है और अपने स्तर पर अनुरोध को अग्रेषित/अनुशंसित/पुनः असाइन/अस्वीकार कर सकता है, उपयोगकर्ता "एफआरए" आवेदन की स्थिति भी देख सकता है।

कलेक्टर के अनुमोदन के बाद "पट्टा रिपोर्ट" उत्पन्न होगा और जिला कलेक्टर/टीएडी/ जिला वन अधिकारी डिजिटल रूप से "पट्टा रिपोर्ट" पर ई–हस्ताक्षर करने एप्लीकेशन को "पट्टा रिपोर्ट" पर अधिकृत उपयोगकर्ता के डिजिटल साइन के साथ प्रिंट करने योग्य प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है।

परियोजना का लाभ

- नागरिक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके स्वयं या ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से वन भूमि अधिकार के दावे का आवेदन दाखिल कर सकता है।
- एफआरए पोर्टल द्वारा वन भूमि के दावों की ट्रैकिंग।
- आवेदन पर की गई प्रत्येक कार्यवाही को वास्तविक समय पर ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम (एसएमएस और ईमेल) से सूचना स्वतः प्रेषित।
- नागरिक के यात्रा के समय और लागत में कमी, समयबद्ध सूचना विवरण, कार्यालयों का शून्य या कम दौरा।
- सभी विभागों की रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा।

दिनांक : 14.10.2021 तक की स्थिति

	कुल प्राप्त दावे	कुल स्वीकृत दावे	कुल दावे अस्वीकृत
कुल दावे	108547	40958	58436

9.28 यू.आई.डी (आधार)

आधार (UID) परियोजना, देश के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान जारी करने की एक अद्वितीय परियोजना है। वर्तमान में, यह निवासियों के बायोमेट्रिक्स और जनसांख्यिकीय डाटा के भंडारण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डाटाबेस है। वर्ष 2009 में, योजना आयोग (वर्तमान, NITI आयोग) के तत्त्वाधान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का गठन किया गया और उसे भारतीय निवासियों के आधार (UID) डाटाबेस के साथ–साथ लेन–देन आधारित अधिप्रमाणन से सम्बन्धित एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। आधार, पात्र लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी योजनाओं के नकद और गैर–नकद लाभों को सीधे स्थानांतरित करने का सबसे सफल माध्यम साबित हुआ है।

UIDAI ने वर्ष 2010 में, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C) को अपना स्टेट–रजिस्ट्रार नियुक्त किया था और DoIT&C ने राजस्थान में मई–2011 से आधार नामांकन एवं जनवरी 2020 से बाल आधार नामांकन (आयु वर्ग 0 से 5 वर्ष) का शुभारम्भ कर दिया था। पिछले 10 वर्षों में DoIT&C ने राज्य निवासियों के लगभग 92.69% से अधिक निवासियों का आधार नामांकन किया है। इसी प्रकार से बाल आधार नामांकन पिछले 2 वर्षो में 29 प्रतिशत रहा है। UIDAI ने राज्य के निवासियों के लिए लगभग 7.43 करोड़ आधार आईडी जारी कर दिए हैं। वर्तमान में, DoIT&C के पास 3000 से अधिक सक्रिय ऑपरेटर हैं, जो राज्य भर में आधार डाटाबेस में पंजीकरण और अद्यतन कर रहे हैं। इस प्रकार, DoIT&C प्रति व्यक्ति मशीनों/ऑपरेटरों की उपलब्धता के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ स्टेट–रजिस्ट्रारों में से एक है।

DoIT&C, UIDAI के द्वारा स्थापित एक अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (ASA) भी है, जो UIDAI की ही अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (AUA) के रूप में उसे प्रदत्त हाँ/ना अधिप्रमाणीकरण की सुविधा का उपयोग कर विभिन्न विभागों को अधिप्रमाणन करने के लिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी और आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान कर संबंधित लाभों और सेवाओं की सुरक्षित और पारदर्शी सेवा वितरण प्रदायगी सुनिश्चित करती है।

18 नवम्बर, 2022 तक, DoIT&C ने 59,69,66,041 से अधिक अधिप्रमाणन किए और औसतन प्रति माह 5,21,44,873 से अधिक अधिप्रमाणन किए हैं। DoIT&C का आधारभूत ढाँचा राज्य में नकद और गैर–नकद लाभों के वितरण में प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और जन आधार (पूर्व में, भामाशाह) जैसी प्रमुख DBT फ्लैगशिप योजनाओं की सफलता में प्रमुख घटक रहा है।

9.29 राजस्थान सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम

प्रस्तावित निवेशकों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (1 से 10 करोड़ रूपये तक) के लिए ऑनलाईन आवेदन, पेपरलैस/ई–भुगतान के कार्य संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन निपटान आदि के लिए संपर्क हेतु एकल विन्डो की तरह कार्य करता है। साथ ही इसके माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदन, मंजूरी, एन.ओ.सी., लाइसेंस आदि जारी करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

यह एकल केंद्र के रूप में 16 विभागों की विभिन्न प्रकार की 140 सेवाऐं प्रदान करता है। अब तक 5,10,080 आवेदन एवं 3,11,083 अनुमोदन, मंजूरी, एन.ओ.सी., लाइसेंस आदि इसके माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

9.30 राजनिवेश

राजनिवेश (https://rajnivesh.rajasthan.gov.in) का शुभारंभ 16 दिसंबर, 2020 को किया गया था। इस प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावों (10 करोड़ रू. से अधिक) को सुविधाजनक बनाये जाने के साथ ही अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाये जाने के लिए उद्योग विभाग एवं ब्यूरो ऑफ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन (BIP) के लिए विकसित किया गया है।

यह प्लेटफॉर्म प्रस्तावित निवेशकों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए ऑनलाइन (पेपरलैस) प्रश्न समाधान/आवेदन जमा करने/ई–भुगतान/ऑनलाइन आवेदन निपटान और संबंधित विभागों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुमोदन/मंजूरी/एनओसी/लाईसेंस आदि जारी करने के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

यह एकल केंद्र के रूप में 14 विभागों की विभिन्न प्रकार की 135 सेवाऐं प्रदान करता है। अब तक 392 आवेदन एवं 154 अनुमोदन, मंजूरी, एन.ओ.सी., लाइसेंस आदि इसके माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

9.31 ई-बिजनेस पोर्टल

ई–बिजनेस पोर्टल, विभिन्न सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थानों के बीच आसानी से व्यापार करने और निर्बाध संचार को बढावा देने के लिए एक केंद्रीकृत वर्कफ्लो–आधारित एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है।

9.32 ऋण माफी आवेदन पोर्टल (Loan Waiver Portal)

सहकारिता विभाग के लिए ऋण माफी हेतु ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ऋण माफी हेतु आवेदन एवं अभिप्रमाणन दोनों आधार (UID) आधारित किए गए हैं। साथ ही में किसानों का eKYC के माध्यम से सत्यापन किया गया हैं। इस प्रक्रिया के

माध्यम से फर्जी आवेदकों की पहचान हुई है एवं सरकारी खर्चे में कटौती हुई हैं। राजस्थान सरकार के लिए यह पोर्टल बहुत लाभकारी है, इस पोर्टल ने किसानों का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार करने में मदद की हैं। इस डेटाबेस का उपयोग अन्य कृषक हितेषी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना इत्यादि में उपयोग किया जा सकेगा।

पोर्टल का अधिकारिक लिंक https://lwa.rajasthan.gov.in

Total Farmers Registered: 24,26,227

Total Loan Waiver Amount : 8686.96 crore

9.33 ऐतिहासिक भवनों की 3D स्कैनिंग एवं मॉडलिंग

राज्य के चयनित ऐतिहासिक स्मारकों एवं भवनों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए लिये ऐतिहासिक स्मारकों एवं भवनों की 3डी मॉडलिंग (3D Modelling) का कार्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत हवामहल, अल्बर्ट हॉल, जयपुर सिटी पैलेस, उदयपुर सिटी पैलेस, जन्तर – मन्तर, बड़ी चौपड़, जयपुर सिटी के सात गेट, आमेर व कुंभलगढ़ किलों के लिए LIDAR Scanning एवं 3D Modelling का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

9.34 यूडीएच में आईटी का योगदान (Contribution of IT in UDH)

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 (UDH & LSG) – प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिको को राजकीय योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किये जाने एवं उनके प्रतिदिन के कार्य व समस्याओं में सरलीकरण कर राज्य की सभी प्राधिकरण, नगर निगम एवं नगरीय निकायों में 2 अक्टूंबर, 2021 से प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 का शुभारम्भ किया जा चुका है। प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 वेबसाइट पर पट्टा आवेदन, भवन प्लान अनुमति, भूमि रुपान्तरण (90 ए), नामान्तरण, उपखण्ड/पुर्नगठन, लीज गणना एवं जमा जैसी ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है साथ ही आमजन द्वारा वेबसाइट पर 1,00,000 से अधिक आवेदन किये जा चुके है।

LEASE DEED OR PATTA	
Total Received	100611
Total Approved	15785
Total Rejected	13992
Total Pending(Department)	61959
Total Pending(Applicant)	8875

MUTATION OR NAME TRANSFER	
Total Received	25418
Total Approved	15740
Total Rejected	2251
Total Pending(Department)	4752
Total Pending(Applicant)	2675

ONE TIME LEASE DEED DEPOSIT	
Total Received	62
Total Approved	5
Total Rejected	2
Total Pending(Department)	54
Total Pending(Applicant)	1

SUBDIVISION OR RE CONSTITITION	
Total Received	346
Total Approved	13
Total Rejected	35
Total Pending(Department)	278
Total Pending(Applicant)	20

9.35 एलएसजी में आईटी का योगदान (Contribution of IT in LSG)

राजस्थान सरकार द्वारा विभाग में किये जा रहे कागजी कार्य के दौरान सरकारी कार्यालयों में आम आदमी को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न विभागों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा रहा है. इसी कड़ी में स्वायत्त शासन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं को सफलतापूर्वक ऑनलाइन कर दिया गया है। एप्लीकेशन एसएसओ और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत है। इन सभी सेवाओं को एसएसओ में एलएसजी सेवा मॉड्यूल में एकीकृत किया गया है।

ट्रेड लाइसेंस (पंजीकरण और नवीनीकरण) - ट्रेड लाइसेंस सेवा का उपयोग किसी भी नए व्यवसाय या व्यापार प्रक्रिया के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग मौजूदा या पुराने लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए भी किया जा सकता है।

TRADE LICENCE/RENEWAL	
RGDPS TIMELINE AS PAR RGDPS ACT	7 days
Total Received	4351
Total Approved	1552
Average time taken	59
Median time taken	33
Minimum time taken	1
Maximum time taken	489

फायर एनओसी - इस सेवा के तहत किसी भी नए उपक्रम के लिए एलएसजी विभाग द्वारा दी गई फायर एनओसी सभी प्रकार के दस्तावेजों की जांच और आवश्यक उपकरणों और प्रक्रियाओं के भौतिक निरीक्षण के बाद पूरी तरह से ऑनलाइन जारी की जाती है।

FIRE NOC/RENEWAL	
RGDPS TIMELINE AS PAR RGDPS ACT	7 days
Total Received	5759
Total Approved	3331
Average time taken	59
Median time taken	38
Minimum time taken	1
Maximum time taken	566

म्युटेशन (नामांतरण) - इस आवेदन का उपयोग भूमि दस्तावेजों जैसे बिक्री विलेख/उपहार विलेख/पट्टा इत्यादि पर नाम हस्तांतरण के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता है।

MUTATION/ NAME TRANSFER	
RGDPS TIMELINE AS PAR RGDPS ACT	7 days
Total Received	25486
Total Approved	15754
Average time taken	37
Median time taken	24
Minimum time taken	1
Maximum time taken	459

लीज डिपॉजिट - इस एप्लिकेशन का उपयोग भूमि/संपत्ति के जमा लीज शुल्क के लिए किया जाता है। इस एप्लिकेशन में उपयोगकर्ता सभी प्रकार की लीज शुल्क जमा कर सकता है।

साइनेज लाइसेंस - किसी भी प्रकार के साइन बोर्ड/होर्डिंग के लिए ली जाने वाली अनुमति इस सेवा के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

SIGNAGE LICENCE/RENEWAL	
RGDPS TIMELINE AS PAR RGDPS ACT	45 days
Total Received	3
Total Approved	0
Average time taken	
Median time taken	
Minimum time taken	
Maximum time taken	

सीवर कनेक्शन - सीवर कनेक्शन के आवेदन से लेकर उसके निस्तारण तक, सीवर कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा गया है।

SEWER CONNECTION	
RGDPS TIMELINE AS PAR RGDPS ACT	3 days
Total Received	740
Total Approved	37
Average time taken	102
Median time taken	114
Minimum time taken	6
Maximum time taken	372

अरबन डेवलपमेंट टेक्स (UD Tax)– सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित, इस ऑनलाइन सेवा के माध्यम से पूरे राजस्थान में संपत्ति के लिए कर भुगतान आसानी से किया जा सकता है।

प्रोपर्टी आईडी - राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की संपत्तियों को एक अलग पहचान के साथ जोड़ने की दिशा में इस सेवा को विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदक अपनी सम्पति के लिए एक डिजिटल आईडी प्राप्त कर सकता है।

9.36 रेरा में आईटी का योगदान (Contribution of IT in RERA)

ई–गवर्नेंस पहल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभियान के तहत, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, राजस्थान ने अपनी सभी सेवाओं को डिजिटल करने का फैसला किया। प्रारंभ में परियोजना को रेरा द्वारा मेसर्स ड्रीमसॉफ्ट4यू प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था, जिसमें पांच मॉड्यूल (परियोजना पंजीकरण, एजेंट पंजीकरण, शिकायत पंजीकरण और आवेदन परिवर्तन अनुरोध) शामिल थे। एप्लीकेशन के विकास के बाद, परियोजना ''RERA, राजस्थान की आईटी सक्षमता'' को अक्टूबर, 2017 में सुविधा प्रबंधन सेवाएं (FMS) प्रदान करने और नए मॉड्यूल के विकास के लिए आरआईएसएल को सौंप दिया गया था।

रेरा के अधिकारियों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, विभाग की ''नो फुटफॉल एंड नो पेपर'' नीति को प्राप्त करने के लिए नए मॉड्यूल विकसित करने के लिए जनवरी, 2020 में अतिरिक्त संसाधनों को काम पर रखा गया था। 15 जी2सी और जी2जी सेवाएं सफलतापूर्वक विकसित और कार्यान्वित की गई हैं और नए मॉड्यूल का विकास प्रगति पर है।

वार्षिक विकास स्थिति

Modules Developed
1. Complaint Management System (शिकायत प्रबधन प्रणाली)
2. QPR (Quarterly Performance Reporting) (त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्टिंग)
3. APR (Annual Performance Reporting) (वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्टिंग)
4. Online Refund Application Submission (ऑनलाईन रिफंड आवेदन जमा)

DoIT&C द्वारा RERA के लिए पूर्व में विकसित किये गये 15 मॉड्यूल्स के लिए FMS सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

9.37 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

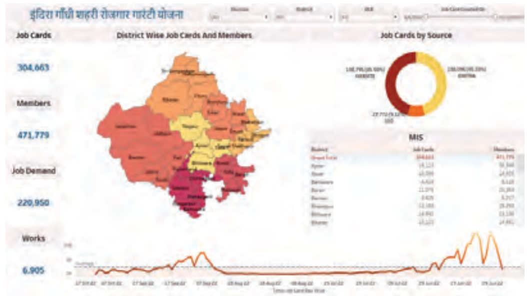

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रो में भी महानरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना माननीय मुख्यमंत्री की इस वर्ष की बजट घोषणाओं में भी शामिल है। इस योजना के पोर्टल के माध्यम से आमजन ऑनलाइन ही रोजगार हेतु आवेदन कर सकेगा। आवेदन पश्चात जॉब डिमांड, वर्क क्रियेशन, कार्य आवंटन, उपस्थिति प्रबंधन एवं लाभार्थी को ऑनलाइन भुगतान समेत समस्त कार्य को ऑनलाइन करने की सुविधा IRGY पोर्टल पर प्रदान की गई है साथ ही पोर्टल पर कार्य आवंटन

हेतु दो लाख से अधिक परिवारों द्वारा आवेदन किया जा चुका है।

9.38 स्टेट ऑर्गन टिश्यु ट्रासप्लांट ऑर्गनाइजेशन (SOTTO)

राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अंग की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य में मृतक अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान राज्य के पैनलबद्ध अधिकृत अस्पतालों के माध्यम से किडनी, लीवर, ह्रदय, छोटी आंत, अग्न्याशय और फेफड़े जैसे अंगों के प्रत्यारोपण के लिए सोटो पोर्टल तैयार किया गया हैं। जिसके माध्यम से मृतक दाता एवं अंग प्राप्तकर्ताओं, दोनो की सूचनाएं पोर्टल पर दर्ज की जाती है। सोटो पोर्टल में अंग प्राप्तकर्ताओं के बारे में पूरी जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र की जाती है, जिसमें अंग प्राप्तकर्ताओं का व्यक्तिगत विवरण व उनका चिकित्सकीय विवरण लिया जाता है।

इसी प्रकार से मृतक दाता के बारे में भी पूरी जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र की जाती है। तत्पश्चात अंग प्राप्तकर्ता का चयन प्रबंधन उनकी प्रतीक्षा सूची अनुसार ऑनलाइन ही किया जाता है तथा सोटो पोर्टल के माध्यम से राज्य में होने वाले समस्त मृतक दाता एवं अंग प्राप्तकर्ताओं का विवरण ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है। सोटो पोर्टल में डैशबोर्ड पर विभिन्न फिल्टर की सहायता से हॉस्पीटल, ब्लड ग्रुप व अंग के आधार पर रिकार्ड्स को विश्लेषित किया जा सकता है। इसी डैशबोर्ड पर हम एक्टिव या इनएक्टिव मरीज का विवरण भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई मरीज कुछ समय के लिए इनएक्टिव होता है तो प्रतीक्षा सूची ऑटो अपडेट हो जाती है, इसी प्रकार यदि मरीज कुछ समय पश्चात पुनः एक्टिव हो जाता है तो वह प्रतीक्षा सूची में अपने यथा स्थान पर पहुंच जाता है। सोटो पोर्टल के माध्यम से अंगदान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से क्रियान्वित किया जाता है।

9.39 डीएलसी जीईओ टैगिंग (DLC Geo Tagging)

वित्तीय वर्ष 2021–22 में की गई बजट घोषणा "बजट भाषण के बिन्दु संख्या 257–"DLC दरों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्धारण कर Geo–Tagging के साथ ऑनलाइन करना" की अनुपालना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिए GIS आधारित डीएलसी के विकास की परियोजना का कार्यान्वयन इस विभाग द्वारा किया जा रहा हैं। इस योजना का उद्देश्य जीआईएस तकनीक का उपयोग करके मौजूदा पेपर आधारित डीएलसी की मैपिंग, मौजूदा डीएलसी दरों में विसंगतियों को कम करने, डीएलसी को युक्तिसंगत बनाते हुए डीएलसी दरों के निर्धारण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी कर नागरिकों को सम्पति पंजीकरण की निर्बाध सुविधा प्रदान करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाना हैं।

उक्त योजना के अंतर्गत भू–प्रबंध विभाग से प्राप्त खसरा परिसीमाओं के आधार पर (GIS) जीआईएस तकनीक का उपयोग कर के डीएलसी जोन का मैप पर डिज़िटाइजेशन एवं यूनिफाइड जीआईएस प्लेटफार्म राजधारा पर प्रकाशन का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य जयपुर, अजमेर, झुंझुनू और सीकर जिलों के लिये पूरा कर लिया गया है तथा चूरू, पाली, दौसा, बांसवाड़ा, अलवर, नागौर और जोधपुर जिलों में उपलब्ध खसरा डाटा के आधार पर digitization का कार्य चल रहा है। साथ ही इस प्रकार बनाये गए डंचे को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को मौजूदा डीएलसी दरों में अनियमितता की पहचान, तार्किक रूप से उनमे संशोधन करने हेतु प्रदान किया जा रहा है।

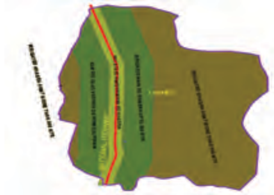

इस प्रकार तैयार (GIS) जीआईएस एवं सम्बन्धित डाटा को आगामी उपयोग हेतु ई–पंजीयन सिस्टम से तकनीकी रूप से एकीकरण (integration) का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरांत ई–पंजीयन सिस्टम से पंजीयन की जाने वाली संपत्ति की DLC दरें, GIS आधारित DLC Boundary के आधार पर ई–पंजीयन सिस्टम को उपलब्ध करवा दी जावेंगी।

10 कोविड - 19 के दौरान DoIT&C विभाग का योगदान

कोविड – 19 के खिलाफ राजस्थान की लडाई काफी सुदृढ रही है क्योंकि राजस्थान ने इस लडाई का संयम, सकारात्मक सोच एवं सक्रियता के साथ सामना किया है। मार्च, 2020 में पहला मामला सामने आने के साथ ही सरकारी तंत्र पूर्ण तरीके से सक्रिय हुआ एवं बीमारी की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां 22 मार्च, 2020 को लॉकडाउन संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। कोविड – 19 के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए न्यून अंतराल में त्वरित गति से अनेक आवश्यक कदम उठाये गये। राजस्थान सरकार के अधिकांश विभागों द्वारा प्रयास किए गये, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा किये प्रयास इसे अन्य से भिन्न बनाते हैं जो कि अनुकरणीय हैं।इन प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

- सूचना के त्वरित प्रसरण और शिकायत समाधान हेतु एकल संपर्क सूत्र– SPoC (Single Point of Contact) की स्थापना।
- त्वरित निर्णय हेतु Face-to-Face चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था।
- COVID-19 व मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित वेबसाइट एवं एप का संचालन।
- वर्तमान परिस्थितियों में निवासियों/प्रवासियों की सुविधा के लिए तैयार विभिन्न एप, सोशियल मीडिया कवरेज तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) की व्यवस्था।

दिनांक– 25 मार्च 2020 की सुबह से ही राज्यस्तरीय वॉर रूम स्थापित किया गया, जिसमें 2 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के तथा 2 राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के अधिकारियों के साथ ही सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग के तकनीकी निदेशक/अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्त्व में संचालित किया गया।

- **वॉर रूम** को राज्य स्तरीय 181 हेल्प लाईन के माध्यम से समस्याओं व शिकायतों का ब्यौरा हर घंटे प्राप्त हो रहा है। वॉर रूम की टीम जिला स्तर पर स्थापित वॉर रूमों से तथा अन्य राज्यों के वॉर रूमों से समन्वय स्थापित कर शिविरों की स्थापना, रोगियों का ब्यौरा (नए

रोगियों की जानकारी, क्वारन्टीन की व्यवस्था पर निगरानी इत्यादि), मजदूरों इत्यादि के अंतर्राज्यीय आवागमन, खाद्य सामग्री की आवश्यकता की आपूर्ति इत्यादि हेतु संबंधित विभागों/एजेंसियों/राज्यों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान किया गया।

- **जिला स्तरीय वॉर रूम-** राज्य स्तरीय वॉर रूम को सशक्त बनाने एवं क्षेत्रीय स्तर से जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में 33 जिला स्तरीय War Rooms की भी स्थापना की गयी। राज्य स्तरीय वॉर रूम के समान ही इन District War Rooms के अंतर्गत भी तकनीकी एवं प्रशासनिक शाखा का निर्माण किया गया था।
- **राजस्थान संपर्क (181हेल्प लाईन)** -चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अंतर्राज्यीय आवागमन तथा अन्य सामान्य श्रेणियों से सम्बन्धित शिकायतों और समस्याओं को 181 हेल्प लाईन पर 24X7 दर्ज कराया जा रहा है। वॉर रूम द्वारा प्राप्त 87.08 लाख से अधिक शिकायतों/ समस्याओं में से लगभग 85.79 लाख (98.52%) शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया गया।
- **वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग-** चूँकि COVID-19 के संक्रमण काल में अधिकारियों/ कर्मचारियों/ जनप्रतिनिधियों का आवागमन प्रतिबंधित है अतः आपस में संवाद व सूचनाओं के रूबरू (Face-to-Face) होकर प्रसरण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के लिए पंचायत स्तर तक स्थापित किया गया। वर्तमान के महामारी काल में अब तक राज्य तथा जिला स्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 700 से अधिक बार COVID-19 पर अन्य राज्यों, माननीय प्रधानमंत्री व अन्य जिलों से वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग की जा चुकी हैं। साथ ही जिलों से तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लगभग 6000 बार से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा चुका है।
- **COVID-19 महामारी से संबंधित वेबसाइट का संचालन** - COVID-19 के दौरान राज्य स्तर से वॉर रूम तथा अन्य स्त्रोतों से एकत्रण पश्चात जारी सूचनाओं के प्रसरण के लिए www.covidinfo.rajasthan.gov.in का संचालन किया जा रहा है, जिससे समस्त स्तरों से जारी आदेशों/निर्देशों/प्रेस विज्ञप्तियों आदि को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। वेबसाइट पर महत्त्वपूर्ण संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं, ताकि आपातकाल में/आवश्यकतानुसार संपर्क कर सहायता/सुविधा प्राप्त की जा सके।
- **मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल एप-** कोविड–19 के दौरान आमजन के लिए खाद्य, औषधि, आवास सुविधा इत्यादि के प्रबंधन हेतु भामाशाहों व सक्षम व्यक्तियों/संस्थाओं को सहयोग देने हेतु एक ऑन लाइन प्लेटफॉर्म (www.cmrf.rajasthan.gov.in) तथा एक एप का संचालन किया जा रहा है।

- **मोबिलिटी पास** - RajCop Citizen App के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस, यातायात विभाग (RTO) आदि से व्यक्तियों व वाहनों के घरों से बहिर्गमन हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु ''ई–पास'' प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है तथा बिना किसी से व्यक्तिगत सम्पर्क के अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

- **RajCovidInfo App-** राज्य में भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) के अंतर्गत तैयार की गयी प्रणाली से कोविड–19 के फैलाव को ऊष्णता आधारित नक्शों (Heat-Based)/विषयगत नक्शों (Thematic Maps) से पता लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा वेब पोर्टल www.corona.rajasthan.gov.in व मोबाइल एप (RajCovidInfoApp) का संचालन किया जा रहा है ताकि समस्त हित धारक अपनी रणनीति तैयार कर सकें। इस एप्लीकेशन के माध्यम से चिकित्सकीय मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा उनके उपयोग की सूचना भी मिलती है। मोबाइल एप के माध्यम से जियो फेंसिंग (Geo-fencing) तकनीक के द्वारा क्वारन्टीन प्रक्रिया के क्रियान्वयन की मोनिटरिंग की सुनिश्चित की जाती है।

- **ई-बाजार एप** - कोविड –19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर, नागरिक को और उनके आस–पास के दुकानदारों को आवश्यक किराने की वस्तुओं की खरीद और वितरण से जोड़ने के लिए E-Bazar COVID-19 एप विकसित किया गया है। इस एप के माध्यम से नागरिक, विक्रेता एवं थोक व्यापारी अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपने स्थान के 1.5 किमी के भीतर पंजीकृत दुकानदारों और खरीददारों को खोज सकते हैं। नागरिक इस एप के माध्यम से कैश ऑन डिलीवरी भुगतान मोड के साथ ऑर्डर दे सकते हैं एवं अपने ऑर्डर की स्थिति की जाँच भी कर सकते हैं। नागरिक विक्रेता को एप पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा भी सकते हैं एवं स्वयं जाकर सामान ला भी सकते हैं। राज्य के सभी उपभोक्ता भंडार इस एप से जुड़े हुए हैं।

- **ई-औषधी (कोविड-19)** - इस डेशबोर्ड के माध्यम से कोविड–19 महामारी में काम में आने वाली 57 प्रकार की महत्त्वपूर्ण औषधियों व अन्य आइटमों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है।

- **सोशल मिडिया के माध्यम से प्रचार** - कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

- **COVID-19 STATISTICS एप्लीकेशन + BI डैशबोर्ड/रिपोर्ट**

  राज्य भर में व्यापक रूप से COVID19 महामारी से संबंधित विभिन्न आँकड़ों को कैप्चर करने की आवश्यकता को देखते हुए, RajCAD, DoIT&C की इन–हाउस टीम ने मार्च 2020 में मात्र 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में एक केंद्रीकृत वेब–आधारित ऑनलाइन एप्लिकेशन "COVID-19 STATISTICS" विकसित की और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यक पहलुओं/सुविधाओं को शामिल करने के लिए इसे धीरे–धीरे अपग्रेड किया गया।

- एप्लिकेशन का प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार के सभी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को COVID19 महामारी की स्थिति से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित वास्तविक समय के आंकड़ों को एकत्रित/निगरानी करने एवं सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, जो निम्नानुसार हैं –

  - Form-1 और 1A:चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आंकडे (जिला सी.एम.एच.ओ.)
  - Form-1B:दैनिक COVID19 टीकाकरण बुलेटिन से संबंधित आंकडे।

1. Form-2: जिला/ब्लॉक प्रशासन से संबंधित आंकडे।
2. Form-3: कानून–व्यवस्था की स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सुविधा (एमएचए) से संबंधित आंकडे।
3. Form-3:जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक मुद्दों और समर्थन से संबंधित आंकड़े।
   - Form-3A: COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों के तहत मामलों के उल्लंघन से संबंधित आंकड़े।
4. Form-4: गृह और संस्थागत क्वारंटीन व्यक्तियों के विवरण से संबंधित आंकडे।
5. Form-5:सीमा पर फंसे लोगों/प्रवासियों से संबंधित आंकड़े (एनडीएमए)।
   - Form-5A:राज्य भर में समर्पित COVID19 स्वास्थ्य केंद्र (DCHC), COVID19 देखभाल केंद्र (CCC) और COVID19 क्वारंटीन केंद्र (CQC) से संबंधित आंकड़े।
6. Form-6:जिला प्रशासन द्वारा जारी ऑफलाइन/ऑनलाइन ई–पास से संबंधित आंकड़े।
7. Form-7:COVID+ व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े।
8. Form-8:फंड आवंटन और व्यय से संबंधित आंकड़े (सीएमआरएफ)
9. Form-9:कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन में पुलिस थाना क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े
10. Form-10:जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त इंसीडेंट कमांडरों (आईसी), स्वयंसेवकों और सीएलजी सदस्यों से संबंधित आंकड़े।
11. CQAS:क्वारंटीन उल्लंघनों से संबंधित आंकड़े।
12. eMitra Form:प्रवासी शिविरों और प्रवासियों से संबंधित सांख्यिकी (आवक/जावक)।
13. eAushadhi: COVID19 उपचार के लिए आवश्यक विभिन्न दवाओं/दवाओं से संबंधित आंकड़े।
14. eUpkaran: COVID19 उपचार के लिए आवश्यक विभिन्न चिकित्सा उपकरणों से संबंधित आंकड़े।

11 वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष 2022-2023 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2022 तक व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.12.2022
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	**4,64,634.93**	**2.53**	**4,64,637.46**	**51,847.05**
2	NEGP	-	-	-	-
	Total	**4,64,634.93**	**2.53**	**4,64,637.46**	**51,847.05**

वर्ष 2021-2022 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment (RE)			Exp. Upto 31.03.2022
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	95,352.20	2.50	95,354.70	93,958.96
2	NEGP	-	-	-	-
	Total	**95,352.20**	**2.50**	**95,354.70**	**93,958.96**

वर्ष 2020-2021 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment (RE)			Exp. Upto 31.03.2021
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	71280.15	2.50	71282.65	68833.40
2	NEGP	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**71280.15**	**2.50**	**71282.65**	**68833.40**

12 पुरस्कार एवं प्रशंसा

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को e-Governance और I.T. के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया :–

1. Raj Masters – Centralized Master Data Hub को

- Indian Express Techsabha award 2019
- eGovernance Now award 2019 एवं
- Skoch award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।

2. RTI परियोजना को

- Skoch Award से पुरस्कृत किया गया है।

3. eSign CA Solution को

- eGovernance Now award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।

4. e-Bazaar परियोजना को

- IMC Digital Technology Award 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
- Skoch order of Merit award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।

5. WS&APS परियोजना को

- SKOCH in "Silver Category" of Cyber Security
- "Order of Merit" category for Top ranking Cyber Security Projects in India (2018)
- Finest India Skills & Talent (F.I.ST) Awards 2019 under innovation Product of the year Security
- Silver Awards in category-VI i.e. "Excellence in adopting emerging technologies"- National e-Governance Award 2020

6. BTH & BSDC परियोजना को

- FSAI Awards से पुरस्कृत किया गया है।

7. Power SCADA परियोजना को

- Energy Conservation Awards से पुरस्कृत किया गया है।

8. Emitra परियोजना को

- Best digital Transformation Award 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
- IMC Digital Technology Awards 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
- Skoch Award 2019 एवं

- Skoch Award 2022 से पुरस्कृत किया गया है।

9. Raj-Kaj (eOffice) Paperless परियोजना को

- Skoch Award 2022 Awards से पुरस्कृत किया गया है।

10. Jan Kalyan Portal परियोजना को

- Skoch Award 2022 Awards से पुरस्कृत किया गया है।

11. Aadhaar Authentication Ecosystem & Aadhaar Data Vault Project परियोजना को

- SKOCH Order-of-Merit Award- 2022 से पुरस्कृत किया गया है।

12. Rajmasters परियोजना को

- Indian Express Techsabha award 2019
- eGovernance Now award 2019
- SKOCH award 2019 एवं
- Certificate of Recognition for Excellence - IMC Digital Technology Awards 2020 से पुरस्कृत किया गया है।

13. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE) परियोजना को

- IMC Digital Technology Award 2020 - Award for excellence for best Digital Implementation एवं
- IMC Digital Technology Award 2021- Certificate of Merit in Government Sector से पुरस्कृत किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011

http://www.rajasthan.gov.in,

http://www.doitc.rajasthan.gov.in